



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266606
CG-DL-E-03102025-266606

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293।
No. 293।

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जाँच परिणाम
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025
मामला सं. एडी (ओआई)-29/2024

विषय: तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान के मूल अथवा वहां से निर्यातित “सोडा एश” के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

एफ. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा धति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे 'एडी नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' या 'नियम' भी कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे 'आवेदक' या 'आवेदक एसोसिएशन' कहा गया है) ने डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और

जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक कंपनियां' कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष रूस, तुर्की, यूएसए और ईरान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा एश" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या 06/31/2024- डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2024 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके अधीन नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई ताकि उक्त संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. जांच का इतिहास

3. विभिन्न देशों द्वारा सोडा एश पर एंटी-डंपिंग जांच और उपाय लागू करने का इतिहास रहा है। पहली एंटी-डंपिंग जांच 5 जुलाई 1999 को शुरू हुई और पूरी हुई, तथा 11 जुलाई 2000 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 12/1/99-DGAD के तहत चीन जनवादी गणराज्य से सोडा एश के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। ये शुल्क अधिसूचना संख्या 107/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 4 अगस्त 2000 के तहत लगाए गए।
4. इसके बाद, अंतिम निष्कर्ष संख्या जी.एस.आर. के तहत सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। 6 अक्टूबर 2009 के आदेश संख्या 725 (ई) के तहत, जिसे 5 नवंबर 2009 की अधिसूचना संख्या 122/2009-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था।
5. इसके बाद 20 अगस्त 2010 को एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई, जो पूरी हो गई और 17 फरवरी 2012 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2010- डीजीएडी के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका से सोडा एश के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। ये शुल्क 3 जुलाई 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सनसेट समीक्षा जांच में 14 दिसंबर 2018 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/5/2017- डीजीएडी के माध्यम से इन शुल्कों को समाप्त कर दिया।
6. इसके अलावा, 10 फरवरी 2012 को एंटी-डंपिंग जांच शुरू की गई थी, जो पूरी हो गई और तुर्की तथा रूस से सोडा एश के आयात पर अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/3/2011-DGAD दिनांक 9 फरवरी 2013 के तहत शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। ये शुल्क अधिसूचना संख्या 8/2013- सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 18 अप्रैल 2013 के तहत लगाए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सनसेट रिव्यू जांच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/4/2018-DGAD दिनांक 14 मार्च 2019 के तहत इन शुल्कों को बंद कर दिया।

ग. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में जांच की शुरूआत करते हुए दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

- iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी।
- iv. प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति प्रदान की, जिन्हें संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध माना जाता है, और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई।
- vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का निर्देश दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित, दूतावासों को भी भेजी गई।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।
- क. अवादान सल्फ्यूरिन कंपनी
 - ख. कावेह सोडा केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी
 - ग. सेमनान सोडा ऐश कंपनी
 - घ. शिराज पेट्रोकेमिकल कंपनी
 - ङ. मेसर्स ट्रेड हाउस लिमिटेड (बशिकरियन केमिस्ट्री)
 - च. ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "वेरेजिनकी सोडा वर्क्स"
 - छ. जेएससी बशिकरियन केमिस्ट्री
 - ज. एसएएसएस सोडा ऐश सेल्स एंड सर्विसेज़
 - झ. मेसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी, क्रीमिया सोडा प्लांट,
 - ज. एटी सोडा
 - ट. सोडा सेनायी
 - ठ. कज्जान सोडा इलेक्ट्रिक
 - ड. एफडसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स
 - ढ. सोल्वे सोडा ऐश
 - ण. जनरल केमिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स
 - त. एएनएसएसी
 - थ. एफडसी कॉर्पोरेशन
 - द. सिनर रिसोर्सेज एलपी
 - ध. सिनर ब्योमिंग एलएलसी
 - न. सिनर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन
- viii. संबद्ध जाँच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:
- क. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री" रूस
 - ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बशिकर सोडा कंपनी" रूस

- ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बेरेज़िनकी सोडा फैक्टरी" रूस
 घ. डीडसी डेल्टा डैनिसमैनलिक वे टिकारेट ए.एस.
 झ. पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी
 च. पॉटस ट्रेडिंग डीडसीसी
 छ. दुट्टी डीडसीसी
 ज. सिसेकेम डीआईएस टिकारेट ए.एस.
 झ. तुकिये सिसे वे कैम फैब्रिकलानी ए.एस.,
 अ. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफज़ेडसीओ
 ट. सिसेकेम व्योमिंग एलएलसी
 ठ. केम्पार एनर्जी पीटीई लिमिटेड
 ड. हिरण्यवर्णम केमिकल्स एंड अल्कलीज़ पीटीई लिमिटेड
 ढ. एडीवी इंटरनेशनल एफज़ेडसीओ
 ण. एजी सिनेर इथालाटइहराकाटवे टिकारेट ए.एस.
 त. ईटीआई सोडा यूरेटिमपजरलामानकिलयेइलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे तिकारेत ए.एस
 थ. कज्जान सोडा एलेक्ट्रिक्युरेटिम ए.एस
 द. सोडा वर्ल्ड लिमिटेड
 ध. जी. इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई
 न. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफज़ेडसीओ
 प. वी.ई.आई.सी. वे डिस टिकारेट ए.एस
 ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए प्रश्नावली भेजी।
 क. गुजरात गार्जियन लिमिटेड
 ख. एडवांस सर्फेक्टेंट इंडिया लिमिटेड
 ग. फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड
 घ. ए.आर. स्टैंचेम प्राइवेट लिमिटेड
 झ. एलेनविक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 च. हिंद सिलिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 छ. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड
 ज. टॉरस केमिकल (प्रा.) लिमिटेड
 झ. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड
 ज. किशोरसन्स डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 ठ. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
 ठ. जे.जे. पटेल इंडस्ट्रीज
 ड. प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर

- द. श्रीराम भारत केमिकल एंड डिटर्जेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
- ए. अलब्राइट मोराराजी एंड पर्डित लिमिटेड
- त. मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज
- थ. एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- द. आदर्श कांच उद्योग (प्रा.) लिमिटेड, वेयर प्राइवेट लिमिटेड
- ध. यू.पी. ग्लास मैन्युफैक्चर सिंडिकेट
- न. प्रगति ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
- प. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
- फ. गोरा मल हरि राम लिमिटेड
- ब. फेना (प्रा.) लिमिटेड
- भ. रोहित सर्फेक्टेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
- म. श्री यूनिकॉन ऑर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड
- य. एस्ट्रल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
- कक. पोलाची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- खख. बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- गग. वसुंधरा रसायन लिमिटेड
- घघ. श्री हरि इंडस्ट्रीज,
- डड. पावर सोप लिमिटेड
- चच. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- छछ. शांति नाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लिमिटेड,
- जज. जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- झझ. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड
- अअ. एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
- टट. एस. कुमार डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड
- ठठ. मौली एक्सपोट्र्स
- x. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- क. आरना इंटरनेशनल
 - ख. लिब्रा अल्कलीस्कीमी प्राइवेट लिमिटेड
 - ग. सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - घ. पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
 - ड. एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड
 - च. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- xi. उपर्युक्त ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के अलावा, सेंट गोवेन इंडिया और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होमकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने आयातक प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, किंतु अपने अनुरोध प्रस्तुत किए।

- xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा 04 जनवरी, 2025 तक ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया गया:
- क. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री" रूस
 - ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बशिकर सोडा कंपनी" रूस
 - ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बेरेज़िन्की सोडा फैक्ट्री" रूस
 - घ. डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस.
 - इ. पैसिफिक वार्टस डीडसीसी
 - च. पॉटस ट्रेडिंग डीडसीसी
 - छ. टुट्टी डीडसीसी
 - ज. सिसेकैम डीआईएस टिकारेट ए.एस.
 - झ. तुकिये सिसे और कैम फैक्ट्री ए.एस.,
 - ज. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ
 - ट. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी
 - ठ. केम्पार एनर्जी पीटीई लिमिटेड
 - ड. हिरण्यवर्णम केमिकल्स एंड अल्कलीज़ पीटीई लिमिटेड
 - ढ. एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ
 - ण. एजी सिनेर इथालाटइहराकाटवे टिकारेट ए.एस.
 - त. ईटीआई सोडा यूरेटिमपज्जारलामानाक्लियाटवेइलेक्ट्रिक्यूरेटिम सनायी। और टिकारेट ए.एस.
 - थ. कज्जान सोडा इलेक्ट्रिक्यूरेटिम ए.एस.
 - द. सोडा वर्ल्ड लिमिटेड
 - ध. यू जी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई
 - न. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ
 - प. डब्लू ई आई सी और डीआईएस टिकारेट ए.एस.
 - फ. आरना इंटरनेशनल
 - ब. लिब्रा अल्कलीस्कीमी प्राइवेट लिमिटेड
 - भ. सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - म. पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
 - य. एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड
 - र. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- xiii. आवेदक ने जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 (6 महीने) की प्रस्तावित की थी, तथापि, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 (9 महीने) के रूप में अपनाई गई थी। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 30 सितंबर 2023 और जाँच की अवधि शामिल है।
- xiv. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का सौदा-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अंतिम जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने सौदा-वार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

- xv. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2024 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 5 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जो हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय विस्तार के बाद 29 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया। विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन के निर्माण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर, जो उस समयावधि के भीतर प्राप्त हुए थे, विचार किया गया। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर चर्चा करने के लिए 19 नवंबर 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा की। हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी के दायरे को स्पष्ट किया।
- xvi. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।
- xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से भेज दें।
- xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 11 अप्रैल 2025 को एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 22 जुलाई 2025 को पुनः मौखिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे 28 जुलाई 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 5 अगस्त 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- xx. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा जाएगा) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूँजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxi. प्राधिकारी ने इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर, उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यांकित दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेंगे।
- xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक देने से मना कर दिया है या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xxiii. इस जांच से संबंधित आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, 21 सितंबर 2025 को संबंधित पक्षों को जारी किया गया था। इच्छुक पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 26 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष में, संबंधित पक्षों से प्राप्त अंतिम जांच परिणाम पर, जहाँ तक प्रासंगिक पाया गया, विचार किया गया है।
- xxiv. इस अधिसूचना में **** चिह्न किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और प्राधिकारी द्वारा एडी नियम, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.14 रुपये है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद
8. विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) की जांच शुरूआत के चरण में परिभाषा इस प्रकार थी:

"विचाराधीन उत्पाद "डिसोडियम कार्बोनेट" है, जिसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर उनके बल्कि घनत्व का है। यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद मूलतः एक जैसे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।"

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

9. हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी विभिन्न टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इस पर चर्चा करने के लिए 19 नवंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं।

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. प्राकृतिक सोडा ऐश भारत में नहीं बनाई जाती है और इसी कारण वर्तमान जाँच में प्राकृतिक सोडा ऐश को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ii. प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन सिंथेटिक सोडा ऐश से मौलिक रूप से भिन्न विधि से उत्पादित किया जाता है, जिसमें अयस्कों के खनन और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, सिंथेटिक सोडा ऐश के उत्पादन में सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में नमक और चूने का उपयोग किया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है।
 - iii. सोडा ऐश के लाइट और डेंस रूपों की लागत में अंतर होता है। इसके लिए पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता होती है।
 - iv. लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमत में अंतर होता है। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भी इसमें अंतर किया गया है।
 - v. पीयूसी के सभी निर्माता आवश्यक रूप से लाइट और डेंस सोडा ऐश दोनों का उत्पादन नहीं करते हैं।
 - vi. डेंस सोडा ऐश का उपयोग कांच जैसे क्षेत्रों में किया जाता है जबकि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।
 - vii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश में भी अंतर होता है। कीमत अंतर कच्ची सामग्री की लागत के कारण होता है। इसी कारण पीसीएन पद्धति को अपनाना आवश्यक है।
 - viii. प्राकृतिक सोडा ऐश पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जबकि सिंथेटिक सोडा ऐश ऊर्जा गहन है और इसमें लगभग 3 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे सिंथेटिक सोडा ऐश बहुत अधिक महंगा हो जाता है।
 - ix. पीसीएन दृष्टिकोण को नहीं अपनाने से घरेलू और आयातित उत्पाद की तुलना विकृत होने की संभावना है। प्राकृतिक सोडा ऐश को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह अलग है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं है। डेंस और लाइट तथा सिंथेटिक और प्राकृतिक सोडा ऐश के बीच सही तुलना होनी चाहिए।
 - x. प्राकृतिक सोडा ऐश की तुलना में सिंथेटिक सोडा ऐश की उत्पादन लागत अधिक होती है। इन्हें अलग-अलग न करने से क्षतिरहित कीमत और सामान्य मूल्य का गलत निर्धारण होगा, जिससे मार्जिन की गणना गलत हो जाएगी।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि सोडा ऐश के दोनों रूपों के स्रोत भिन्न हैं, तथापि, दोनों स्रोतों से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में कोई अंतर नहीं है।
- ii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता उद्योग द्वारा इनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है।
- iii. लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 5% से कम है। घरेलू उद्योग ने लाइट और डेंस सोडा ऐश की लागत में अंतर को दर्शाते हुए अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चूँकि उक्त अंतर 5% से कम है, इसलिए अलग से पीसीएन तैयार करना अनुचित होगा।
- iv. डेंस सोडा ऐश और लाइट सोडा ऐश की लागत केवल इसलिए अलग-अलग रिपोर्ट की जाती है क्योंकि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (सीईटीए) में अलग-अलग अध्याय शीर्षकों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। डेंस और लाइट सोडा ऐश को विभिन्न कोडों के अंतर्गत आयात किया जा सकता है, तथापि विभिन्न कोडों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात करने से उत्पाद भिन्न नहीं हो जाते हैं।
- v. प्राधिकारी ने अपनी पूर्ववर्ती जाँचों जैसे कि 17 फरवरी 2012 के अंतिम जाँच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी और 9 फरवरी 2013 के अंतिम जाँच परिणाम संख्या 14/3/2011-डीजीएडी में बार-बार यह माना है कि सोडा ऐश के दोनों रूपों की कीमत और लागत में अंतर न्यूनतम और नगण्य है। प्राधिकारी के लिए संबद्ध वस्तुओं में जाँच की अपनी पूर्ववर्ती प्रथा से अलग जाने का कोई कारण नहीं है।
- vi. केवल सोडा ऐश की उत्पत्ति पीसीएन पद्धति को अपनाने का औचित्य सिद्ध करने वाला कारक नहीं हो सकती, जब संबद्ध वस्तुओं का उपयोग उनके स्रोत के बावजूद एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा हो और संबद्ध वस्तुओं का कीमत निर्धारण भी संबद्ध वस्तुओं के स्रोत के बावजूद समान रहता है।
- vii. कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल होने का अंतर उत्पाद को अलग नहीं बनाता है। विशेष रूप से, प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश दोनों अपने भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। एडी नियमावली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के उपाय करने के लिए नहीं बनाई गई है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियमावली के तंत्र का उपयोग करना उचित नहीं है, जिनके लिए इसे नहीं बनाया गया था।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की जाने वाली सिंथेटिक सोडा ऐश आयातित प्राकृतिक सोडा ऐश के समान वस्तु है। उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। तथापि सोडा ऐश के दोनों रूपों के स्रोत अलग-अलग हैं, फिर भी, दोनों में से किसी भी स्रोत से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक गुण और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में कोई अंतर नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

12. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद रूस, तुर्की, अमेरिका और ईरान के मूल का अथवा वहां से नियातित "डिसोडियम कार्बोनेट" है। इसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र एनए2सीओ3 है।
13. सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर उनके स्थूल घनत्व का है। लाइट और डेंस सोडा ऐश विचाराधीन उत्पाद के केवल रूप हैं और एकसमान ही हैं। इसके अलावा, यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। वर्तमान जाँच में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।
14. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

15. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करते हैं:
16. प्राकृतिक सोडा ऐश को जाँच से बाहर करने का अनुरोध: प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जाँच की है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश की उत्पादन प्रक्रियाओं में एक मूलभूत अंतर है और भारतीय उत्पादक केवल सिंथेटिक सोडा ऐश का विनिर्माण करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि सोडा ऐश की मूल उत्पत्ति मात्र किसी उत्पाद को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, न ही उसे पीसीएन अपनाने के आधार के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएँ, स्रोत के बावजूद, उपयोग में एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यह दर्शने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि दोनों अलग-अलग कच्ची सामग्री से प्राप्त होते हैं, फिर भी दोनों में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएँ होती हैं, इनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ये एक ही कार्य करते हैं। यह दावा किया गया है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश एक ही उत्पाद के दो वैकल्पिक स्रोत मात्र हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पाद का उत्पादन विभिन्न मार्गों से किया जा सकता है, फिर भी उनकी आवश्यक विशेषताओं, संरचना या अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह भी देखते हैं कि पूर्ववर्ती जाँचों में, पीयूसी की उत्पादन प्रक्रियाओं या विनिर्माण मार्गों के आधार पर कोई अपवर्जन नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह जाँच परिणाम निकालते हैं कि पीयूसी का दायरा प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश दोनों को कवर करता है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँच में अपने अंतिम जाँच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी दिनांक 17 फरवरी 2012 में निम्नानुसार उल्लेख किया था:
- viii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, सीमा शुल्क वर्गीकरण और उत्पाद के कीमत निर्धारण के संदर्भ में प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल विनिर्माण के मार्गों के संदर्भ में है। तथापि, प्राधिकारी आगे नोट करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में अंतर सोडा ऐश के दो ग्रेड को असमान वस्तुओं के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकता है।
17. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दे: अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राकृतिक सोडा ऐश पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है और कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि सिंथेटिक सोडा ऐश 3 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विभिन्न कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति का आरोप उत्पाद को अलग नहीं बनाता है और प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश की परस्पर उपयोग इनकार नहीं करता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पाद सोडा ऐश का उपयोग उपभोक्ता उद्योग द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। सिंथेटिक सोडा ऐश की तुलना में प्राकृतिक सोडा ऐश के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने देश में किसी विशेष उत्पाद के उपयोग को प्रतिबंधित करने या हटोत्साहित करने या किसी विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं दिखाई है। व्यापार उपचारात्मक उपाय पर्यावरणीय चिंताओं के आधार पर उत्पादों में अंतर नहीं करते हैं। पाटनरोधी जाँच मुख्य रूप से अनुचित व्यापार की प्रथा को दूर करने और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
18. डेंस और लाइट सोडा ऐश के लिए अलग पीसीएन: अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि डेंस सोडा ऐश और लाइट सोडा ऐश के बीच लागत में अंतर है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लागत में कोई भी अंतर 5% से कम है। डेंस और लाइट सोडा ऐश में लागत अंतर नहीं होने के कारण अलग पीसीएन की आवश्यकता होने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत अंतर दिखाने के लिए सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्शाती है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत अंतर 5% से कम है। वास्तव में, घरेलू उद्योग की बिक्री सूची से यह देखा गया है कि एक ही समय में विभिन्न ग्राहकों को बेचे जाने वाले लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमतों में भी काफी अंतर होता है। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ लाइट सोडा ऐश को कुछ ग्राहकों को डेंस सोडा ऐश से अधिक कीमत पर बेचा गया है। इस प्रकार, लाइट और डेंस सोडा ऐश के लिए अलग-अलग पीसीएन अपनाना अनुचित है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सोडा ऐश की पूर्ववर्ती जाँचों में इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना है कि दोनों के बीच कीमत अंतर 5% से कम है और इसके लिए अलग से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकारी ने पूर्व में की गई जाँच में अपने अंतिम जाँच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी दिनांक 17 फरवरी 2012 में निम्नलिखित उल्लेख किया था:

“जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग-अलग बल्क घनत्व के कारण अलग-अलग उत्पाद हैं और ग्राहकों द्वारा इनका परस्पर उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दोनों ग्रेड की लागत और कीमत अलग-अलग हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत और कीमत का अंतर नगण्य है (कीमत लगभग 0.23 रुपये)। इसके अलावा, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट है कि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट क्षेत्र में सबसे आम उपयोग के अलावा सोडियम लवण, कांच, सोडियम सिलिकेट, बाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट आदि के निर्माण में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार, जबकि डेंस सोडा ऐश का उपयोग मुख्य रूप से कांच के निर्माण के लिए किया जाता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट, सिलिकेट, अल्ट्रामरीन, बाइक्रोमेट आदि के निर्माण में भी किया जा सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि सोडा के दोनों ग्रेड राख, जिसके अनेक सामान्य उपयोग हैं, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा, चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के आयात के संबंध में पहले के अंतिम जाँच परिणाम में, प्राधिकारी ने पहले ही लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय माना था।

प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि लाइट एवं डेंस सोडा ऐश में अंतर केवल बल्क घनत्व में है। लाइट एवं डेंस सोडा ऐश की उत्पाद विशेषताएँ, उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, कच्ची सामग्री, जनशक्ति, कार्य एवं उपयोग, सीमा शुल्क वर्गीकरण और कीमत निर्धारण समान हैं, तथापि डेंस सोडा ऐश के निर्माण के लिए अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना आवश्यक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि कुछ अंतिम अनुप्रयोगों में विशेष रूप से केवल लाइट या डेंस सोडा ऐश की आवश्यकता हो सकती है, बल्क घनत्व या कुछ उपभोक्ताओं द्वारा लाइट एवं डेंस सोडा ऐश का परस्पर उपयोग करने में असमर्थता के कारण दोनों को असमान वस्तुएँ नहीं माना जा सकता। ये एक ही उत्पाद के दो भिन्न रूप मात्र हैं।

दोनों ग्रेडों की अलग-अलग तुलना के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ग्रेडों की अलग-अलग तुलना केवल तभी की जानी आवश्यक है जब उत्पाद की लागत या कीमत में जाँच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से भिन्नता हो। तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि लाइट एवं डेंस सोडा ऐश में कीमत अंतर का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं है और इसलिए पाटन मार्जिन, क्षति-रहित कीमत और क्षति मार्जिन आदि को अलग-अलग निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, प्राधिकारी ने भारित औसत के आधार पर संगत गणनाएँ की हैं।”

19. इसके अतिरिक्त, तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डाइ-सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच में अपने अंतिम जाँच परिणाम में, दिनांक 9 फरवरी 2013 को अधिसूचना संख्या 14/3/2011-डीजीएडी के अंतर्गत, प्राधिकारी ने लाइट और डेंस सोडा ऐश के संबंध में निम्नलिखित निर्धारण किया था:

“8. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग-अलग बल्क घनत्व के कारण अलग-अलग उत्पाद हैं और ग्राहकों द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जाते हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दोनों ग्रेड की लागत और कीमत अलग-अलग हैं। प्राधिकारी ने पहले केन्या, यूएसए आदि से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में पाया था कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत और कीमत का अंतर नगण्य है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट क्षेत्र में सबसे आम उपयोग के अलावा सोडियम लवण, कांच, सोडियम सिलिकेट, बाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट आदि के निर्माण में किया जा सकता है। इसी तरह, जबकि डेंस सोडा ऐश का उपयोग मुख्य रूप से कांच के निर्माण के लिए किया जाता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट, सिलिकेट, अल्ट्रामरीन, बाइक्रोमेट आदि के निर्माण में भी हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोडा ऐश के दोनों ग्रेड, कई सामान्य उपयोगों के कारण, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि लाइट और डेंस सोडा ऐश में अंतर केवल बल्क घनत्व में है, किंतु उत्पाद की विशेषताएँ, उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण तकनीक, कच्ची सामग्री, मानवशक्ति, कार्य और उपयोग, सीमा शुल्क वर्गीकरण और लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमत एक समान हैं, तथापि डेंस सोडा ऐश के निर्माण के लिए अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना आवश्यक है।

प्राधिकारी ने नोट किया है कि तथापि कुछ अंतिम अनुप्रयोगों में विशेष रूप से लाइट या डेंस सोडा ऐश की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि घनत्व या कुछ उपभोक्ताओं द्वारा लाइट और डेंस सोडा ऐश का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने में असमर्थता, दोनों को असमान वस्तुएँ नहीं बना सकतीं। ये एक ही उत्पाद के दो अलग-अलग रूप मात्र हैं।

20. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार निर्धारित करते हैं:

"विचाराधीन उत्पाद "डिसोडियम कार्बोनेट" है, जिसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में धुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर उनके बल्कि घनत्व का है। यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद मूलतः एक जैसे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।"

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर वाध्यकारी नहीं है।"

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं। प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

ड. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ड. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:
- दो घरेलू उत्पादक, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड, घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र हैं क्योंकि वे संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित हैं।
 - टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड, दोनों के अमेरिका में संबंधित निर्यातक हैं। चूंकि उनके संबंधित उत्पादक हैं, इसलिए वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र नहीं हैं।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- वर्तमान जांच के लिए आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एएमएआई देश में संबंधित उत्पाद के घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल, टीसीएल और जीएचसीएल जैसे भागीदार उत्पादक शामिल हैं। संबंधित उत्पाद का एक अन्य उत्पादक तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) भी है।
 - आवेदक कंपनियाँ कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 98% हिस्सा बनाती हैं। आवेदक कंपनियाँ डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड और जीएचसीएल लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।
 - टाटा केमिकल्स का अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है, किंतु उसने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। अमेरिका में इस संबंधित कंपनी ने आधार वर्ष में ही मासूली मात्रा में निर्यात किया है।

- iv. निरमा लिमिटेड का अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है। अमेरिका में निरमा लिमिटेड के संबंधित उत्पादक ने जांच की अवधि में अंतिम उपभोक्ता को बहुत कम निर्यात किया है। निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्षकार, सियरलेस वैली मिनरल्स ("एसवीएम") द्वारा किए गए निर्यात निरमा के उत्पादन और बिक्री तथा भारत में कुल आयात के संबंध में नगण्य हैं। प्राधिकारी के पास सूचना पहले से ही रिकॉर्ड में है। इन निर्यातों का निरमा लिमिटेड से कोई लेना-देना नहीं है और यदि एडीडी लगाया जाता है, तो वह इन निर्यातों पर भी समान रूप से लागू होगा।
- v. इस प्रकार, आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पत्र घरेलू उद्योग का गठन करती हैं।
- vi. घरेलू उद्योग ने जांच शुरू होने से पहले, 26 सितंबर 2024 को अलग से पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि निरमा के संबंधित पक्षकार ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह पत्र एनसीवी आवेदन में परिशिष्ट के रूप में भी संलग्न किया गया था।
- vii. घरेलू उद्योग के दावे और प्राधिकारी द्वारा आरंभिक अधिसूचना में दिए गए निष्कर्षों में एकरूपता है। आयात संबद्ध पक्ष (एसवीएम) द्वारा संबद्ध देश में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष को किए गए हैं।
- viii. निरमा के उत्पादन, बिक्री और कुल आयात के संबंध में एसवीएम का कुल निर्यात नगण्य है। ये आयात एक स्वतंत्र क्रेता को किए गए थे, निरमा द्वारा नहीं।
- ix. टाटा केमिकल्स के संबद्ध पक्षकार ने आधार वर्ष में केवल नाममात्र का निर्यात किया और जांच अवधि में कोई आयात नहीं दर्शाया है।

उ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पारित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

25. वर्तमान आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले उत्पादक डीसीडब्ल्यू, आरएसपीएल, निरमा लिमिटेड, टीसीएल और जीएचसीएल हैं। तृतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएसी) नामक एक अन्य उत्पादक भी है। जाँच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित निर्यातक है। आवेदकों ने इस संबंध में अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में टाटा केमिकल्स लिमिटेड के संबंधित उत्पादक से कोई निर्यात नहीं हुआ है और आधार वर्ष में केवल नगण्य मात्रा में निर्यात किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निरमा लिमिटेड का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित निर्यातक है। इस संबंध में आवेदकों ने अनुरोध किया है कि निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष, सियरलेस वैली मिनरल्स ("एसवीएम") का जांच की अवधि में न्यूनतम निर्यात है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के निर्यात संबंधित पक्ष द्वारा सीधे अंतिम ग्राहक को किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में एसवीएम से आयात निरमा लिमिटेड के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ भारत में कुल आयात के संबंध में नगण्य और महत्वहीन है। नीचे दी गई तालिका टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड की संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए निर्यात का विवरण प्रदान करती है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	अक्टू.23-जून 24 (पीओआई)
टाटा की संबंधित पार्टी द्वारा भारत में निर्यात	एमटी	***	शून्य	शून्य	शून्य
टाटा के उत्पादन के संबंध में	% श्रेणी	0-1	-	-	-
कुल आयात के संबंध में	% श्रेणी	0-1	-	-	-

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	अक्टू.23-जून 24 (पीओआई)
निरमा की संबंधित पक्षकार द्वारा भारत में निर्यात	एमटी	***	***	***	***
निरमा के उत्पादन के संबंध में	% श्रेणी	2-3	0-1	0-1	0-1%
कुल आयात के संबंध में	% श्रेणी	3-4	0-1	2-3	0-1

27. निर्यात की मात्रा, भारत में कंपनियों द्वारा उत्पादन की मात्रा और कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि कंपनियों का ध्यान भारत में उत्पादन पर है, न कि आयात पर। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि आयात नगण्य हैं, इसलिए यह निरमा लिमिटेड और टाटा केमिकल्स की पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेष आवेदक कंपनियों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।
28. हितबद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि टाटा केमिकल्स, तूतीकोरिन, अमेरिका के निर्यातक से संबंधित है और बदले में तूतीकोरिन, भारत से संबंधित है, यह देखा गया है कि इस दावे को साक्ष्यों से पुष्ट नहीं किया गया है और न ही लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे घरेलू उद्योग पर्याप्त रूप से उत्तर दे सके।
29. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और उपर्युक्त जांचे गए मुद्दों के महेनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनियाँ पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार, यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

च. गोपनीयता

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- याचिकाकर्ता ने सौदा-वार आयात आँकड़े उसी प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराए हैं जिस प्रारूप में मूल रूप से दर्ज किए गए थे। आँकड़ों की यह कमी (और गोपनीयता के दावों पर अत्यधिक निर्भरता) सार्थक विश्लेषण में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालती है। याचिकाकर्ता के गोपनीयता के अनेक दावे (उत्पादन आँकड़े, लागत घटक, विक्री आँकड़े, आदि सहित) अत्यधिक हैं और स्थापित व्यापार सूचना दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। उचित और सुदृढ़ समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को अगोपनीय तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना का पालन नहीं किया है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - व्यापार सूचना 10/2018, 2/2000, 2/2004 का उल्लंघन हुआ है। 2 से अधिक कंपनियों के मामले में सूचना को गोपनीय बताया गया है।

- iv. प्राधिकारी ने एक ऐसे आवेदन को स्वीकार करके व्यापार नोटिस से अलग व्यवहार किया है जो गोपनीय अनुरोध रिकॉर्ड में लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित अनिवार्य पूर्व शर्तों के अनुरूप नहीं है। बाजार रिपोर्ट जैसी सूचनाओं को गोपनीय बताया गया है।
- v. 28 अगस्त 2000 की व्यापार नोटिस संख्या 2/2000 में पाटनरोधी जाँचों में गोपनीयता का दावा करने के लिए अपनाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का प्रावधान है और आवेदक द्वारा 9 महीने की जाँच अवधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत अद्यतन आंकड़ों के संबंध में ऐसी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 31. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध की किए गए हैं:

 - i. घरेलू उद्योग ने डीजीटीआर व्यापार सूचना के अंतर्गत निर्धारित गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन किया है। अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों में विस्तृत सारांश, गोपनीय आंकड़ों का सूचीकरण और गोपनीयता के दावों के लिए पर्याप्त तर्क शामिल हैं।
 - ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो पारदर्शिता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं और इस प्रकार उचित खंडन और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को कमज़ोर करते हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विरोधी पक्षकारों को व्यापार सूचना का समान रूप से अनुपालन करने और अपर्याप्त रूप से प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने का निर्देश दें।
 - iii. संबद्ध वस्तुओं का एक समर्पित कोड है, इसलिए आवेदन डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, न कि डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों या द्वितीयक स्रोत से प्राप्त सौदे-वार आंकड़ों के आधार पर।
 - iv. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निर्धारित दिशानिर्देश संवेदनशील जानकारी को गोपनीय आधार पर संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। घरेलू उद्योग ने जहाँ उपयुक्त हो, आवश्यक सारांश और संपादित आंकड़े उपलब्ध कराकर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।
 - v. घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षति मापदंडों, सूचनाओं, साक्ष्यों और विभिन्न क्षति मापदंडों के निर्धारण से संबंधित या संगत दस्तावेजों, अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और विक्री मात्रा जैसी सूचनाओं की गोपनीयता का दावा इस आधार पर किया है कि ये व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचनाएँ हैं, उनके प्रकटीकरण से किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा या घरेलू उद्योग के वास्तविक व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, ऐसी सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किए जा सकते।
 - vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध मापदंडों के लिए वास्तविक जानकारी के प्रकटन से तत्काल जाँच में घरेलू उद्योग के गोपनीय आंकड़े प्रकट हो जाएँगे।
 - vii. हितबद्ध पक्षकार ने 03 मार्च, 2025 के पत्राचार का उल्लेख किया है। उक्त पत्राचार घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी अनुरोध को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए।
 - viii. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि हितबद्ध पक्षकार विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अंधेरे में न रखें और उनकी जानकारी के बिना कोई कार्रवाई न करें और इसलिए हितबद्ध पक्षकार की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण थी।
 - ix. प्राधिकारी ने उत्तर मांगते हुए घरेलू उद्योग के साथ अनुरोध साझा किया और घरेलू उद्योग ने 7 मार्च 2025 की ईमेल के माध्यम से उत्तर दिया था और अनुरोध की स्वीकृति पर आपत्ति जताई थी क्योंकि यह जाँच शुरू करने के नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद की गई थी।
 - x. हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोधों में 60 दिनों से अधिक की देरी हुई थी, क्योंकि अनुरोध 3 मार्च 2025 को किया गया था, जबकि जाँच की शुरूआत 29 सितंबर 2024 को हुई थी। विलंबित अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, या, यदि आवश्यक हो तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाना चाहिए कि अनुरोध में इतनी देरी क्यों हुई।

- xi. घरेलू उद्योग के गोपनीयता दावों की ओर इशारा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सात दिन का समय दिया गया था। प्राधिकारी द्वारा अनुमति समय सीमा के भीतर पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए दावे स्पष्ट रूप से समय सीमा पार कर चुके हैं।
- xii. आवेदन में सूचना की गोपनीयता का दावा करने का कारण दिया गया था। प्रस्तुत की गई अद्यतन सूचना में जांच की अवधि में परिवर्तन के कारण उसी सूचना का अद्यतनीकरण शामिल था और इस प्रकार ऐसी सूचना के लिए दावा करने का तर्क वही रहेगा, जैसा कि समान सूचना प्रदान करने वाले आवेदन में तर्क दिया गया था। गोपनीयता के पहलू से सूचना या अनुरोध केवल अद्यतनीकरण था। आवेदन में दिए गए गोपनीयता तर्क को अद्यतन सूचना के लिए भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- xiii. प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने प्रत्युत्तरों के सार्वजनिक अंश में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसमें शेयरधारकों के नाम, कंपनी और संबद्ध कंपनियों का विवरण, शेयरधारिता प्रतिशत, कंपनी, संबद्ध कंपनियों का विवरण और साथ ही संबंधित कंपनियों की गतिविधियों जैसी सूचनाओं को गोपनीय बताया गया है।
- xiv. नमूना घरेलू और निर्यात विक्री दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया गया है। तथापि दस्तावेज़ स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का खुलासा नहीं किया गया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

32. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जाँच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर, उसने द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्ष को ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के योग्य नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी इसका विवरण देगा कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों का विरोध करते हुए, घरेलू उद्योग ने फिर भी क्षति सूचना का एक संशोधित अगोपनीय अंश प्रकट किया है, जिसमें सूचना का प्रकटीकरण पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस अनुरोध के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने अक्टूबर 2023-मार्च 2024 के साथ-साथ अक्टूबर 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए संशोधित क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि गोपनीयता संबंधी चिंताएँ जताने वाले हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा के काफी बाद, विलंबित अनुरोध किया। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने 13 मई 2025 को संशोधित सूचना प्रदान की और परिचालित की, जिसमें उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, विक्री मात्रा, कर्मचारी, प्रतिदिन उत्पादकता और मालसूची जैसे मानदंडों की वास्तविक जानकारी शामिल है।

35. प्राधिकारी, जहाँ भी दावा किया गया हो, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, ग्राहक का नाम, बिक्री/खरीद बीजक, और इस सूचना के समर्थन में या इस सूचना से संबंधित दस्तावेज़/सूचना जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों को अनुमति करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी, जहाँ भी दावा किया गया हो, निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न निष्पादन संकेतकों, बिक्री मात्रा और कीमत, कीमत समायोजन और इनके समर्थन में या इनके संबंध में प्रदान की गई विभिन्न सूचनाओं और दस्तावेजों जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों को अनुमति करते हैं। प्राधिकारी का मानना है कि यह सूचना स्वभाविक रूप से गोपनीय है और वास्तविक आधार पर इन सूचनाओं और दस्तावेजों का खुलासा संबंधित पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और प्रतिस्पर्धियों और विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है और इसे उचित माना गया है।

छ. विविध मुद्दे

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- याचिकाकर्ता ने छह महीने की जाँच अवधि का प्रस्ताव किया था, किंतु प्राधिकारी ने नौ महीने की अवधि स्वीकार कर ली है। दोनों अवधियाँ व्यापक विश्लेषण करने के लिए बहुत कम हैं और 12 महीने के मानक (जैसा कि नियमावली के अंतर्गत निर्धारित है) से किसी भी विचलन को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए।
- प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के कम अवधि की जाँच अवधि के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने में निर्धारित अवधि पर स्पष्ट रूप से टिप्पणियां भी आमंत्रित नहीं की हैं।
- वर्तमान जांच प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- पूर्वव्यापी आधार पर एडीडी की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य का अभाव है। पूर्वव्यापी शुल्क लगाने की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।
- याचिकाकर्ता व्यापार उपचारों के आदतन प्रयोक्ता हैं। इस विषय-वस्तु में पिछले मामलों का संदर्भ दिया गया है। इसे अब तक पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो चुका है।
- प्राधिकारी ने इस मामले में उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित समय नहीं दिया है, जबकि आवेदकों ने 31.12.2024 को संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया था और अनुरोध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4.01.2025 निर्धारित की गई थी।
- आवेदकों द्वारा डीसीपीसी और डीजीटीआर के समक्ष विरोधाभासी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- उद्योग को पहले ही एमआईपी लगाकर सुरक्षा मिल चुकी है और एडीडी लगाना अनुचित है। इसके अलावा, सोडा ऐश के लिए न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) की मौजूदगी को किसी भी संभावित खतरे को कम कर देना चाहिए।
- क्षति अवधि की जानकारी भी व्यापार सूचनाओं के विपरीत है - 2020-2021 (12 महीने- वित्तीय वर्ष), 2021-2022 (12 महीने वित्तीय वर्ष), अप्रैल 2022-सितंबर 2023 (15 महीने- वित्तीय वर्ष नहीं) और पीओआई (अक्टूबर 2023-जून 2024-9 महीने) के लिए जानकारी प्रदान की गई है। प्रतिवादी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है।

- x. यह कार्यवाही एडी करार के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन है। डीआई की पूरी जानकारी जांच शुरूआत के 3 महीने बाद दिसंबर में ही प्रदान की गई थी।
- xi. विस्तारित जांच अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन/वचनबद्धता का अभाव है। जांच की शुरूआत के समय जांच अवधि के आंकड़ों के अभाव से यह सुनिश्चित हुआ कि नियम 5 में उल्लिखित पूर्व-शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर रही है। प्रस्तुत किए गए अद्यतन आंकड़ों में कोई प्रमाणन/वचनबद्धता नहीं है।
- xii. इस कार्यवाही में नियम 6 के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियम 6(1)(ii) के साथ पठित नियम 6(1)(i), प्राधिकारी पर जांच की शुरूआत करने के अपने निर्णय को अधिसूचित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का कानूनी दायित्व डालता है। ऐसी सार्वजनिक सूचना में आवेदन में जिस आधार पर पाटन का आरोप लगाया गया है, उसके संबंध में पर्याप्त जानकारी और उन कारकों का सारांश शामिल होना आवश्यक है जिन पर क्षति का आरोप आधारित है। वर्तमान मामले में, चूंकि जांच की पूरी अवधि से संबंधित आंकड़ों वाला कोई भी आवेदन जांच की शुरूआत करते समय प्राधिकारी के समक्ष नहीं था, इसलिए जांच शुरूआत अधिसूचना निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। नियम 6(1)(vi) के अनुसार, प्राधिकारी को जांच में अपनाई जाने वाली समय-सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। पूर्ण आवेदन के अभाव में यह सुनिश्चित हो गया कि जांच आरंभ अधिसूचना में अधिसूचित समय-सीमाएँ अनावश्यक थीं।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 38. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. इस जांच की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए 9 महीने की जांच अवधि उचित है। प्राधिकारी द्वारा 9 महीने की जांच अवधि का चयन, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच अवधि पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप है। नियम 5 (3क) न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 18 महीने की अवधि का प्रावधान करता है। तथापि याचिका 6 महीने की अवधि के लिए प्रस्तुत की गई थी, प्राधिकारी ने इसे पहले ही एक तिमाही के लिए बढ़ा दिया है और इसे नौ महीने की जांच अवधि बना दिया है।
 - ii. प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच अवधि, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सही स्थिति प्रस्तुत करती है।
 - iii. जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही में दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। भारतीय सीमा शुल्क विभाग में दर्ज सीआईएफ आयात कीमत बहुत अधिक है (जो निर्यात और आयात के बीच समय अंतराल के कारण हो सकता है)। चूंकि डीजीटीआर, सीआईएफ आयात कीमत का उपयोग करके क्षति मार्जिन निर्धारित करता है, इसलिए जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही को शामिल करना अनुचित होता और इससे क्षति मार्जिन विकृत हो जाता।
 - iv. घरेलू उद्योग समझता है कि प्राधिकारी अब अंतिम जांच परिणाम के लिए मामले पर विचार और प्रक्रिया कर रहे हैं। इसलिए यह मुद्दा अब संगत नहीं है। पूर्वव्यापी प्रभाव से एडीडी लगाने के अनुरोधों के संबंध में, पहले किए गए सभी अनुरोध दोहराये जाते हैं।
 - v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए दावे त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हैं। घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में प्रमाणित और संबोधित किया है कि शुल्क प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के बाद लगाए गए हैं कि पाटन से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के इस दावे के बावजूद कि क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, शुल्कों को समाप्त होने दिया गया। बार-बार पाटन से बार-बार होने वाली क्षति, उपायों की आवश्यकता को प्रमाणित करती है न कि उनकी वैधता को कम करती है।
 - vi. हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त और अनेक अवसर मिले हैं।
 - vii. डीसीपीसी और डीजीटीआर के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का प्रमाण देती है। प्रवृत्ति विश्लेषण डीसीपीसी के साथ-साथ डीजीटीआर के समक्ष भी यही स्थिति दिखाता है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि में 2024-25 की पहली तिमाही शामिल है, जबकि डीसीपीसी की जानकारी से तुलना उस अवधि से

संबंधित है जिसमें 2024-24 की पहली तिमाही शामिल नहीं है। तथापि, दोनों क्षति सूचनाओं में प्रवृत्ति समान बनी हुई है जो दर्शाती है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति से ग्रस्त है।

- viii. आयात आंकड़ों (जांच की अवधि, जांच की अवधि के बाद और जांच की शुरुआत के बाद) से प्रमाणित पाटित आयातों में तेजी से वृद्धि स्पष्ट रूप से एक ऐसे खतरे की ओर इशारा करती है जो अनियंत्रित रहने पर और बढ़ जाएगा। एमआईपी का अस्तित्व अनुचित कीमत वाले आयातों द्वारा लगाए गए प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान को पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं करता है। इसके अलावा, एमआईपी का अधिरोपण केवल 30 दिसंबर 2024 से 30 जून 2025 तक 6 महीने की अवधि के लिए किया गया है। लागू की गई एमआईपी 20,108 रुपये प्रति मीट्रिक टन है जो अभी भी घरेलू उद्योग की एनआईपी से काफी कम है।
- ix. यह नहीं माना जा सकता कि एमआईपी के लागू होने से घरेलू उद्योग की परेशानियों का समाधान हो गया है। एमआईपी का अधिरोपण व्यापार सुधारात्मक उपायों का विकल्प नहीं है। एमआईपी के अधिरोपण के बावजूद, आयात देश में पाटित किए जा रहे हैं।
- x. जहाँ तक व्यापार सूचना 2/2004 का संबंध है, उक्त सूचना को व्यापार सूचना संख्या 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उक्त व्यापार सूचना की एक प्रति संलग्न है। चूंकि व्यापार सूचना स्वयं प्रतिस्थापित है, इसलिए किसी भी तरह से इसका संदर्भ गलत है। वर्तमान मामले में प्रस्तुत तरीके से क्षति अवधि की अनुमति देना प्राधिकारी की वर्तमान प्रथा है। पिछले वर्ष केवल तभी वित्तीय वर्ष होते हैं जब जांच की अवधि अप्रैल से शुरू होती है। यदि जांच की अवधि अप्रैल से शुरू नहीं होती है, तो पूर्ववर्ती अवधि अनिवार्य रूप से जांच की अवधि से पहले वाले महीने के साथ समाप्त होनी चाहिए। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस कारण से किसी पूर्वाग्रह का दावा नहीं किया जा सकता है। यदि आंकड़ों को 2022-23 और अप्रैल-सितंबर, 2023 के लिए अलग-अलग लिया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि यह समान प्रवृत्ति स्थापित करेंगे।
- xi. यह आरोप कि वर्तमान कार्यवाही पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन करती है, गलत है क्योंकि हितबद्ध पक्षकार द्वारा पहली बार 03 मार्च 2025 को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार के पास अद्यतन आंकड़ों के साथ आवेदन पर टिप्पणी करने के लिए 61 दिनों का समय था।
- xii. विस्तारित जांच अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन या वचनबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन में ये आवश्यकताएं केवल इसलिए हैं क्योंकि प्राधिकारी को आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करनी है और स्वयं को संतुष्ट करना है कि जहाँ लागू हो, वहाँ पाटन, क्षति, और जहाँ लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करते हैं।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों को दी गई समय-सीमा निम्नलिखित के संबंध में थी - प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई जानकारी प्रदान करना तथा आवेदन में निहित जानकारी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना। टिप्पणियों के लिए ऐसा अवसर अद्यतन अवधि के आंकड़ों के संबंध में नहीं था। उक्त अवसर नियम 6(7) के अंतर्गत हितबद्ध पक्ष को उपलब्ध हुआ। ऐसा ही किया गया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:
- क. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध वस्तुओं पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) लागू है, यह नोट किया जाता है कि यह उपाय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत व्यापार उपाय का विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिस स्तर पर एमआईपी निर्धारित किया गया है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति-रहित कीमत पर विचार करने पर, यह देखा गया है कि डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एमआईपी, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति-रहित कीमत से काफी कम है। इस प्रकार, यदि आयात एमआईपी पर होता है, तो भी इससे भारतीय उद्योग को क्षति होगी। इस प्रकार, एमआईपी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान नहीं करेगा।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि 9 महीने की जांच अवधि उपयुक्त नहीं है और इस पर विचार करने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 12 महीने से कम की जांच अवधि अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान मामले में, जबकि घरेलू उद्योग ने 6 महीने की जांच अवधि का

प्रस्ताव रखा था, प्राधिकारी ने उचित विचार-विमर्श के बाद इसे जांच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं पाया। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि 9 महीने की जांच अवधि अधिक उपयुक्त होगी और ऐसा निर्धारण पाटनरोधी जांचों को नियंत्रित करने वाली नियमावली के दायरे में आता है। नियमावली के नियम 5(3क) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“5(3क) जांच की अवधि, -

(i) जांच की शुरूआत की तारीख से छह महीने से अधिक पहले की नहीं होगी;

(ii) सामान्यतः बारह महीने की अवधि होगी और लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने वाले के साथ, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।”

यह नोट किया जाता है कि नियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि जांच की अवधि (पीओआई) न्यूनतम छह महीने की होगी और अठारह महीने तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे निर्धारण के कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

इस तर्क के संबंध में कि धृति संबंधी जानकारी 12 मई 2004 की व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के विपरीत है, प्राधिकारी निम्नलिखित टिप्पणी करते हैं:

- i. उस समय, जांच की शुरूआत में, घेरेलू उद्योग के उन तर्कों पर उचित ध्यान दिया गया था, जिनमें यह तर्क दिया गया था कि सितंबर 2023 से पहले की अवधि को जांच की अवधि का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात कीमतों में उक्त गिरावट के साथ-साथ बिक्री लागत में भी आनुपातिक गिरावट नहीं आई है। तदनुसार, जुलाई 2023 से सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे घेरेलू उद्योग पर पाटन के हानिकारक प्रभाव का सही-सही पता नहीं चलेगा।

क्र.सं.	देश	संबद्ध देशों से कीमत (रु./एमटी)
1	जनवरी 2023	32,539
2	फरवरी 2023	33,572
3	मार्च 2023	31,036
4	अप्रैल 2023	30,663
5	मई 2023	29,969
6	जून 2023	29,522
7	जुलाई 2023	27,051
8	अगस्त 2023	26,052
9	सित. 2023	21,887
10	2023-24एच1	27,327
11	अक्टू. 2023	20,175
12	नव. 2023	20,679
13	दिस. 2023	19,973
14	जनवरी 2024	19,267
15	फरवरी 2024	19,907
16	मार्च 2024	18,543
17	2023-24एच2	19,756
18	अप्रैल 2024	18,520
19	मई 2024	19,066
20	जून 2024	18,332
21	2024-25क्यू1	18,693

- ii. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को बारह महीनों के अलावा अन्य अवधि अपनाने के लिए कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि ऐसे कारणों को जांच प्रारंभ की सूचना में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि जांच प्रारंभ की सूचना में बारह महीनों से कम या अधिक अवधि अपनाने के कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि यह पर्याप्त है कि अंतिम निर्धारण में कारणों को स्पष्ट कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में कारण बताए हैं और हितबद्ध पक्षकारों को उनकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर मिला है।
- iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवधियों में पूर्ण वित्तीय वर्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि बिना किसी अंतराल के एक सतत अवधि है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि से पहले के वर्ष को केवल तभी पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जा सकता है, जब जांच की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में एक वित्तीय वर्ष और 6 महीने, अर्थात् 22 अप्रैल - 23 सितंबर, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा पिछले कई मामलों में लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- ग. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वर्तमान जाँच, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन है क्योंकि घरेलू उद्योग की पूरी जानकारी जाँच शुरू होने के केवल 3 महीने बाद ही प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 6.1.3 में निम्नलिखित उल्लेख है:

जाँच शुरू होते ही, प्राधिकारी अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्राप्त लिखित आवेदन का पूरा पाठ ज्ञात नियर्तिकों और नियर्तिक सदस्य के प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएँगे और अनुरोध किए जाने पर, इसे अन्य संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएँगे। अनुच्छेद 5 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

प्राधिकारी ने, जाँच की शुरूआत के समय, अनुच्छेद 6.1.3 के अनुसरण में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन का पूरा पाठ परिचालित किया। इस प्रकार, जाँच शुरू करने के उद्देश्य से विचार किए गए आवेदन को जाँच शुरू करने के चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 और भारतीय नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत आवश्यकता पूरी होती है। इसके अलावा, जाँच अवधि को एक तिमाही तक बढ़ाने के प्राधिकारी के निर्णय के बाद, घरेलू उद्योग को सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई समयावधि के भीतर विस्तारित अवधि के लिए अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। ये आकड़े बाद में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए थे और संबंधित अगोपनीय अंश 31 दिसंबर 2024 को हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। यह देखा गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने 31 दिसंबर 2024 को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित अगोपनीय अंश पर टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और की गई टिप्पणियों पर वर्तमान निर्धारण में विचार किया गया है, जो दर्शाता है कि पक्षकारों को जवाब देने और कोई भी टिप्पणी प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक समय प्रदान किया गया था।

- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग एक आदतन व्यापार उपचार प्रयोक्ता है, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की पाटन का इतिहास रहा है। सभी पूर्ववर्ती जाँचों में विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन की मौजूदगी का पता चला है। इस प्रकार यह देखा गया है कि विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद की पाटन का सहारा लेते रहे हैं। किसी भी भागीदार उत्पादक ने न तो कोई अनुरोध किया है और न ही इस बारे में कोई जानकारी दी है कि उत्पाद को इतनी बार पाटन कीमत पर नियंत रखा किया गया है। यह सर्वविदित है कि भारत एक कीमत-संवेदनशील बाजार है और वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों सहित अन्य देशों के उत्पादकों ने आदतन भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की पाटन का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जाँच से पहले लगाए गए कोई भी उपाय, की गई जाँच के आधार पर और यह स्थापित होने के बाद लगाए गए उचित उपाय हैं कि कानून के अंतर्गत आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं। वर्तमान जाँच, पूर्व की जाँचों और लगाए गए उपायों से भिन्न तथ्यों के आधार पर एक नई जाँच है। यदि वर्तमान जाँच में शुल्कों की सिफारिश की जानी है, तो वह पूरी और गहन जाँच के बाद ही की जाएगी। अमेरिका और तुर्की के प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों ने पाटन की बात स्वीकार की है। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से भी यह बात साबित होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियर्तिकों ने स्वयं पाटन की बात स्वीकार की है।

ज. पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग ने देश-विशिष्ट बाजार स्थितियों के लिए पर्याप्त समायोजन किए बिना भारतीय उत्पादन लागत के आधार पर ईरान, तुर्की और रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।
 - आईएचएस मार्किट: सोडा ऐश मंथली के तृतीय पक्ष के आकड़ों पर निर्भरता अमेरिका में वास्तविक बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
 - घरेलू उद्योग ने केवल यह दावा किया है कि उसे रूस में घरेलू बिक्री कीमतों का कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसलिए उसने परिकलित सामान्य मूल्य का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
 - घरेलू उद्योग के आवेदन में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन इस दृष्टिकोण से किया गया था कि इसे यथासंभव सही बनाया जा सके।
 - आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन का आकलन किया जाना चाहिए।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:
- घरेलू उद्योग ईरान में उत्पाद की कीमतों के साक्ष्य एकत्र करने में असमर्थ रहा क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को उचित रूप से जोड़ने के बाद, ईरान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
 - घरेलू उद्योग, अमेरिकी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक सौदा कीमतों के रूप में कीमत की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। घरेलू उद्योग ने अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु, जांच अवधि के लिए एचआईएस मार्किट: ग्लोबल सोडा ऐश मंथली के रूप में प्रकाशित कीमतों पर विचार किया है।
 - घरेलू उद्योग, तुर्की के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को उचित जोड़कर, तुर्की के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
 - घरेलू उद्योग, रूस के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की जानकारी एकत्र करने में असमर्थ रहा। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को उचित जोड़कर, रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. धारा 9(1)(g) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातिक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातिक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहाँ उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया। प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:

- क. सीमित देयता कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री", रूस
- ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी, रूस
- ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी बेरेज़िन्की सोडा फैक्टरी, रूस
- घ. डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., तुर्की
- इ. पैसिफिक वार्टर्स डीडसीसी, यूएई
- च. पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी, यूएई
- छ. टुट्टी डीडसीसी, यूएई
- ज. एडीवी इंटरनेशनल, यूएई
- झ. एजी सिनेर इथालट, तुर्की
- ञ. ईटीआई सोडा यूरेटिम पज्जारलामा, तुर्की
- ट. कज्जान सोडा एल्ट्रिक, तुर्की
- ठ. सोडा वर्ल्ड, यूके
- ड. यूजी इम्पेक्स जेनरेट ट्रेडिंग, यूएई
- ढ. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल, यूएई
- ण. डब्ल्यूआई आईसी वी डीआईएस टिकारेट, तुर्की
- त. सिसेकैम डीआईएस टिकारेट, तुर्की
- थ. तुर्किये सिसे वी कैम फैक्ट्रिकलारी, तुर्की
- द. हिरण्यवर्णम केमिकल्स, सिंगापुर
- ध. केम्पार एनर्जी, सिंगापुर
- न. सिसेकैम ब्योमिंग, यूएसए

44. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

तुर्की

क्र.सं.	उत्पादक/देश	निर्यातक/देश
1	तुर्किये सिसअम कैम फैक्ट्रिकलान ए एस, तुर्की	1. सिसेकैम दिस टिकारेत ए एस (एसडीटी), तुर्की 2. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ, यूएई
2	कज्जान सोड इनलेक्ट्रिक यूतमजपउ ए एस, तुर्की	1. वी आईसी वे दिस टिकारेट ए एस, तुर्की 2. सोडा वर्ल्ड, यूके

3	ईटीआई सोडा यूरेटिमपजारलामानकलीयत वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे टिकारेट एएस, तुर्की	1. ईटीआई सोडा यूरेटिम पजारलामा नाकलियात वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे टिकारेट ए एस तुर्की 3. वी आईसी वे दिस टिकारेट ए एस, तुर्की 2. सोडा वर्ल्ड, यूके 3. एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ, यूएई 4. यू जी इम्पैक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसीए यूएई 5. यूनिवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ, यूएई
---	--	--

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फैब्रिकलरी ए एस (सिसेकैम समूह)

45. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फैब्रिकलरी ए एस ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभ कमाने वाली घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
46. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ii. मेसर्स कज्ञान सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस. (डब्ल्यूई सोडा लिमिटेड)

47. मेसर्स कज्ञान सोडा ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभ कमाने वाली घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
48. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

iii. मेसर्स ईटीआई सोडा यूरेटिमपजारलामानाकलीयत वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सनाय वे टिकारेट ए.एस. (उत्पादक/नियांतक, तुर्की) (डब्ल्यूई सोडा लिमिटेड)

49. मेसर्स ईटीआई सोडा ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

50. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

51. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को असंबंधित निर्यातक मेसर्स सिसेकैम डिस्ट्रिब्यूटर के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।
52. मेसर्स कज़ान सोडा द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स कज़ान सोडा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सोडा वर्ल्ड लिमिटेड के माध्यम से *** मीट्रिक टन, एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन और यूजी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।
53. मेसर्स ईटीआई सोडा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में, यह देखा गया है कि मेसर्स ईटीआई सोडा संबंधित वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन निर्यात किया है और सोडा वर्ल्ड लिमिटेड के माध्यम से *** मीट्रिक टन, एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन, यूजी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन और यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।
54. उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, क्रृष्ण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को वस्तु बेची है। निर्यात कीमत को कारखाना-द्वारा कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया था। चूँकि कई निर्यात चैनल हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

रूस

क्र.सं.	उत्पादक/देश	निर्यातक/देश
1	मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी (निर्माता/निर्यातक, रूस)	i. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिन्की सोडा फैक्ट्री (निर्यातक, रूस) ii. मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री" (निर्यातक/व्यापारी, रूस) iii. मेसर्स डीएमसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस. (निर्यातक/व्यापारी, तुर्की) iv. मेसर्स पैसिफिक वार्ट्स डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात) v. मेसर्स पॉटस ट्रेडिंग डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात) vi. मेसर्स टुट्टी डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात)

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी (उत्पादक/निर्यातक, रूस)

55. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी, मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिन्की सोडा फैक्ट्री, मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री", मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., मेसर्स पैसिफिक वार्ट्स डीडसीसी, मेसर्स पॉटस ट्रेडिंग डीडसीसी, और मेसर्स टुट्टी डीडसीसी संबंधित पक्ष हैं। मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी और मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिन्की सोडा फैक्ट्री रूस में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। उपर्युक्त सभी पक्षकारों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में संगत जानकारी प्रदान की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभप्रद सौदा 80% से अधिक है, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए लेन-देनों पर विचार किया है और यदि लाभप्रद सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल

लाभप्रद घरेलू विक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से कम विक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए लाभप्रद विक्री की औसत विक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

56. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

57. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी, मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिन्की सोडा फैक्ट्री, मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बशिकरियन केमिस्ट्री", मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., मेसर्स पैसिफिक वार्ट्स डीडसीसी, मेसर्स पॉटस ट्रेडिंग डीडसीसी और मेसर्स टूटी डीडसीसी संबंधित पक्ष हैं। यह नोट किया जाता है कि मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी ने भारत को कुल *** मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस. के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया गया है, जिसमें से मेसर्स पॉटस ट्रेडिंग डीडसीसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन और मेसर्स टूटी डीडसीसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया गया है। इसने मेसर्स पैसिफिक वार्ट्स डीडसीसी के माध्यम से भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।
58. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी और मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिन्की सोडा फैक्ट्री ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन का दावा किया है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को बेचा है। निर्यात कीमत को कारखाना-बाहरी कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया। चूँकि निर्यात के कई माध्यम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

यूएसए

क्र.सं.	उत्पादक/ देश	निर्यातक/देश
1	मैं. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	i. मैं हिरण्यवर्मनाम कैमिकल्स ii. मै. कैम्पर एनर्जी iii. मै. लिब्रा अल्कलीस्कीमी(आयातक)

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी

59. मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी, अमेरिका में विषयगत वस्तुओं का उत्पादक है। मेसर्स हिरण्यवर्णम कैमिकल्स और मेसर्स केम्पार एनर्जी ने मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया है। मेसर्स लिब्रा अल्कालिस्केमी एक असंबंधित आयातक है जिसने उपर्युक्त पक्षों से विषयगत वस्तुओं का आयात किया है। उपर्युक्त सभी पक्षकारों ने निर्धारित प्रश्नावली प्रारूप में संगत जानकारी प्रदान की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू विक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू विक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक विक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल विक्री की औसत विक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

60. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

61. मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक होने के साथ-साथ निर्यातक भी है। जांच अवधि के दौरान, मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही हिरण्यवर्णम केमिकल्स के माध्यम से *** मीट्रिक टन और केमपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा *** मीट्रिक टन यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से 88,049 मीट्रिक टन वस्तु का निर्यात किया।
62. उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय माल भाड़ा, ऋण लागत, प्रहस्तन व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी माल भाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को माल बेचा है। निर्यात कीमत को कारखाना-द्वारा कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया था। चूंकि निर्यात के कई माध्यम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ईरान, तुर्की, रूस और अमेरिका के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

63. संबंधित देशों के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ईरान, तुर्की, रूस और अमेरिका के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

64. संबद्ध देशों के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

65. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। पाटन मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से निर्यात कीमत की तुलना हेतु सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है। भारित औसत पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
तुर्की						
1	तुर्किये सिसेवे कैम फैब्रिकालारि ए.एस., तुर्की	***	***	***	***	105-115

<u>2</u>	कज्ञान सोडा एलेक्ट्रिकयूरोटिम ए. एस., तुर्की	***	***	***	***	80-90
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	140-150
रूस						
<u>4</u>	मैं. संयुक्त स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी (उत्पादक/निर्यातक, रूस)	***	***	***	***	130-140
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	190-200
यूएसए						
<u>6</u>	मैं. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	***	***	***	***	80-90
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	130-140
ईरान						
<u>8</u>	कोई	***	***	***	***	85-95

क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

क्ष. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- रूस से आयात में वृद्धि को बाजार की माँग में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रूसी आयात में यह वृद्धि केवल बढ़ती माँग की प्रतिक्रिया है और घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत नहीं है।
 - आयात में वृद्धि भारत में कुल माँग में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है और इसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में भारत में उत्पादकों के उत्पादन या बिक्री में कमी नहीं आई है।
 - क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 13% की वृद्धि हुई, जो आयात की उपस्थिति के बावजूद बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है।
 - अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में 147% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है, तो वह घरेलू प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण हुई है।
 - घरेलू उत्पादकों की क्षमता 2020-21 से 2022-23 और जांच की अवधि तक बढ़ी है, जो क्षति अवधि में 2% की संचयी वृद्धि दर्शाती है।
 - घरेलू उत्पादकों के पीयूसी और एनपीयूसी का उत्पादन 2020-21 से 2022-23 और जांच की अवधि तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 20% की वृद्धि दर्शाता है। पीयूसी का उत्पादन भी 20% की वृद्धि दर्शाता है।
 - स्थापित क्षमता में मामूली वृद्धि के बावजूद, 2020-21 से जांच की अवधि तक क्षमता उपयोग में 17% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक परिचालन दक्षता में सुधार और उत्पादन को अनुकूलित करने में सक्षम रहे हैं।
 - घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है, और रुझान उत्पादन की एक स्वस्थ और बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
 - घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में 24% की वृद्धि हुई और घरेलू बिक्री में 13% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात बिक्री में 168% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो निर्यात बाजारों के प्रति रणनीति में बदलाव का संकेत है।
 - जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुई है।
 - निर्यात मात्रा में भारी वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू बिक्री में कोई भी गिरावट या मंदी स्वेच्छा से रही है और आयात के कारण नहीं है। घरेलू उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वास्तविक क्षति का दावा कमज़ोर हो रहा है।

- xii. औसत मालसूची को उत्पादन और विक्री के प्रतिशत के रूप में माना जाना चाहिए, जो गिरावट दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक जो उत्पादित किया गया था उसे बेचने में सक्षम थे, जो किसी क्षति का संकेत नहीं देता है।
- xiii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों की जाँच करें जिनके कारण उसके लाभ में भारी गिरावट आई है।
- xiv. रोजगार में गिरावट और मजदूरी में वृद्धि को सीधे तौर पर संबद्ध आयातों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- xv. क्षति अवधि में उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जिसमें प्रति दिन उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई है और प्रति कर्मचारी और प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता में 23% की वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने का संकेत देता है।
- xvi. घरेलू उद्योग की औसत नियोजित पूँजी में 49% की वृद्धि हुई और कार्यशील पूँजी में 168% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। तथापि, निवल अचल संपत्तियों में केवल 33% की मामूली वृद्धि देखी गई। इन बढ़ोतरी के बावजूद, आरओआई में सकारात्मक रहते हुए भी 46% की उल्लेखनीय गिरावट आई। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे ऐसे अन्य कारकों की जाँच करें जो इस तरह के बदलावों में योगदान दे सकते हैं।
- xvii. क्षति मूल्यांकन के लिए असामान्य वर्षों पर विचार किया गया है। 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 के कारण आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं के कारण आयात प्रतिबंधित थे। इसके अलावा, 2022-23 में, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति शृंखला बाधित हुई।
- xviii. आयात केवल भारत में मौजूद मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए किया गया था, जो घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए भारी निर्यात के कारण हुआ है।
- xix. आयात कीमतों में कमी पाटन के कारण नहीं, बल्कि एक वैश्विक घटना के कारण है, जैसा कि सभी संबद्ध देशों के आयात कीमत में उतार-चढ़ाव से देखा जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान कीमतों में कमी आई, किंतु किर भी आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही।
- xx. घरेलू उत्पादकों की विक्री कीमत में लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक दर से वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इस मामले में कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं है।
- xxi. अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण जांच की अवधि से पहले की अवधि तक घरेलू उद्योग की विक्री लागत में वृद्धि हुई।
- xxii. शिपिंग उद्योग में आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं के कारण घरेलू उत्पादक विक्री लागत में वृद्धि की तुलना में विक्री कीमत में अधिक वृद्धि करने में सक्षम रहे, जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक कीमतें बढ़ाने के लिए आपूर्ति शृंखला संकट का अनुचित लाभ उठाते हैं।
- xxiii. आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच की अवधि में केवल कुछ गिरावट के साथ सकारात्मक लाभ बनाए रखा है, जिसके बावजूद घरेलू उत्पादक लाभदायक बने रहे।
- xxiv. घरेलू उद्योग ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान असाधारण लाभ वृद्धि ह्रासिल की, जिससे लाभ में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई।
- xxv. कीमतह्रास में वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग लगातार उपकरणों और सुविधाओं में निवेश कर रहा है, जो उस उद्योग के साथ असंगत है जो भौतिक क्षति का सामना कर रहा है।
- xxvi. संबद्ध वस्तुओं के तीन प्रमुख उत्पादकों के समग्र वित्तीय आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों में मजबूत लाभप्रदता की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- xxvii. क्षति मार्जिन की गणना के लिए मालभाड़ा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनुबंध III के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पिछले निर्णयों में इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया है। आवेदकों का दावा आर्थिक तर्क पर आधारित नहीं है और प्राधिकारी की दीर्घकालिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। कमतर शुल्क नियम पर भारत के पेपर का कोई भी संदर्भ गलत है और यह पेपर अनुबंध III की शुरूआत के काफी बाद विश्व व्यापार संगठन में प्रस्तुत किया गया था।

xxviii. क्षति-रहित कीमत निर्धारित करते समय आरएसपीएल के आवद्ध उत्पादन पर विचार करने के आवेदकों के अनुरोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल एनआईपी को बढ़ाने का अनुरोध है।

श.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

67. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन उपयुक्त होगा और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी मूल्यांकन करें।
 - ii. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन का इतिहास रहा है।
 - iii. अल्पावधि में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, आयात मात्रा में 100% की वृद्धि हुई है, जबकि मांग में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 9% की वृद्धि हुई है।
 - iv. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 234% और आधार वर्ष की तुलना में 99% की वृद्धि हुई, जो आयात में भारी वृद्धि दर्शाता है।
 - v. भारतीय उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2022-23 में क्रमशः 19% और 9% से बढ़कर जांच अवधि में 34% और 18% हो गया।
 - vi. सभी संबद्ध देशों में कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।
 - vii. जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई; तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी।
 - viii. संबंधित आयातों के परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान कीमतों में भारी गिरावट आई है।
 - ix. आयातों का वर्तमान पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम है।
 - x. आयात की बढ़ी हुई मात्रा ने घरेलू बिक्री, मालसूची स्तरों और क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
 - xi. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में 4% की गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग के लिए पाठित आयातों के कारण बिक्री में कमी आई।
 - xii. मालसूची में वृद्धि हुई और निर्यात में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग को परिचालन और लाभ बनाए रखने के लिए अपनी बिक्री को निर्यात बाजार की ओर ले जाना पड़ा है।
 - xiii. मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू बिक्री में गिरावट आई, जबकि आयात में वृद्धि हुई।
 - xiv. घरेलू उद्योग ने काफी बिक्री मात्रा गंवा दी, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।
 - xv. बढ़ती मांग और बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी कम रहा है।
 - xvi. घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग दोनों ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को देखा है।
 - xvii. जांच की अवधि में आयात कीमतों में लागत में समान कमी के बिना भारी गिरावट आई है।
 - xviii. आयातों का भारित औसत पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू उद्योग आयात की कीमतों से मेल खाने के प्रयास में अपने लाभ को कम करके घाटा उठा रहा है।
 - xix. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में 67% की गिरावट के साथ भारी गिरावट आई।
 - xx. जब 2022-23 में आयात की कीमतें अधिक थीं, तो घरेलू उद्योग ने इष्टतम निष्पादन किया; तथापि, आयात कीमतों में बाद की गिरावट के साथ निष्पादन खराब हो गया।
 - xxi. नकद लाभ ने भी यही प्रवृत्ति अपनाई, जो 2022-23 तक सुधरता रहा और फिर जांच की अवधि में तेजी से घट गया।

- xxii. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के कारण मांग के अनुपात में विक्री बढ़ाने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची स्तरों में मामूली वृद्धि हुई।
- xxiii. निर्यात के अभाव में, घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई मालसूची या कम उत्पादन और उपयोग के माध्यम से अधिक गंभीर क्षति का सामना करना पड़ता।
- xxiv. रोजगार और मजदूरी कई कारकों से प्रभावित होते हैं और केवल पाटन-संबंधी क्षति के संकेत नहीं हैं।
- xxv. उत्पादकता का स्तर पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रहा है।
- xxvi. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान मात्रा मापदंडों में प्रतिकूल वृद्धि और कीमत मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है।
- xxvii. आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और यदि उपचारात्मक शुल्क नहीं लगाए जाते हैं, तो तीव्र क्षति का एक विश्वसनीय खतरा मौजूद है।
- xxviii. एनआईपी के निर्धारण के लिए "आबद्ध उपयोग" के लिए उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आबद्ध उत्पादन का उपयोग घरेलू खपत के लिए भी किया जाना है। यदि आरएसपीएल का एकीकरण नहीं हुआ होता, तो वर्तमान में आबद्ध उत्पादन के रूप में वर्गीकृत माल घरेलू बाजार में बेचा जाता। इसी प्रकार, आरएसपीएल की सोडा ऐश विनिर्माण क्षमता के अभाव में, घरेलू मांग वैकल्पिक उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती। इसलिए, किसी भी परिदृश्य में, वर्तमान में आबद्ध मानी जाने वाली मात्रा समग्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा होती।
- xxix. आरएसपीएल की आबद्ध खपत, आबद्ध खपत नहीं है और इसे आबद्ध विक्री माना जाना चाहिए। आरएसपीएल के वित्तीय रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि आरएसपीएल सोडा ऐश प्रभाग ने कंपनी के अन्य संयंत्रों को विभिन्न उत्पादों में उपयोग के लिए सोडा ऐश बेचा है और यह जारी किए गए वीजक और प्राप्त भुगतान से भी स्पष्ट होता है।

ज्ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

68. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों को स्वतः ही संबोधित करता है।
69. पाटनरोधी अनुबंध ॥ के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें पाठित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाठित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल विक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध ॥ के अनुसार विचार किया गया है।

ज्ञ.3.1. संचयी मूल्यांकन

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥, पैरा (iii) के अनुसार, यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात के संबंध में एक साथ पाटनरोधी जाँच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहाँ अलग-अलग

देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

71. इस संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार अवलोकन करते हैं:

क. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है;

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है;

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल परस्पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

घ. आयातित और घरेलू उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।

72. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझते हैं।

झ.3.2. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

73. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदक की घरेलू विक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डिजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के अंतिम पीयूसी पर आधारित आंकड़ों पर विचार किया है। पीयूसी की मांग इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23(वा.)	पीओआई (वा.)
मांग					
कुल आयात	एमटी	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
संबद्ध देश	एमटी	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
यूएसए	एमटी	1,95,753	81,801	1,12,924	2,20,990
तुर्की	एमटी	85,013	1,04,450	1,33,639	4,73,864
ईरान सहित संयुक्त अरब अमीरात से आयातित विषयगत वस्तुएं	एमटी	1,20,908	78,289	59,740	89,800
रूस	एमटी	87,836	51,867	71,194	1,09,976
अन्य देश	एमटी	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
घरेलू उद्योग की विक्री	एमटी	23,64,267	27,44,305	27,17,923	26,80,153
अन्य की विक्री	एमटी	23,651	41,683	58,430	58,430
आबद्ध विक्री	एमटी	3,19,020	2,75,154	2,24,337	1,78,021
आबद्ध अंतरण	एमटी	2,05,016	2,66,065	2,99,378	3,15,655
कुल मांग	एमटी	36,03,876	38,60,017	39,35,955	42,49,426

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

74. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

झ.3.3. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

75. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
संबद्ध देश से आयात	एमटी	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
अन्य देश	एमटी	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
कुल आयात	एमटी	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	17%	9%	11%	26%
भारतीय मांग (आवद्ध सहित)	%	14%	8%	10%	21%
भारतीय मांग (आवद्ध के बिना)	%	16%	10%	11%	24%
कुल आयात	%	71%	59%	59%	88%

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

76. यह देखा गया है कि आधार वर्ष 2021-22 से संबद्ध देशों से आयात में कमी आई, 22 अप्रैल-2023 के दौरान वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयात में 83% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में संबद्ध आयात पिछले वर्ष, अर्थात् 22 अप्रैल-23 सितंबर, की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गए हैं।

77. जांच अवधि में भारतीय उत्पादन और उपभोग दोनों के संदर्भ में संबद्ध आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में आयात में पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में क्रमशः 15% और 11% अंकों की वृद्धि हुई है।

झ.3.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

78. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती।
79. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की विक्री लागत और निवल विक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के पहुँच मूल्य के साथ की गई है।

i. कीमत कटौती

80. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के पहुँच कीमत की घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से तुलना करके कीमत कटौती की गणना की

गई है। यह देखा गया है कि आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका कीमत कटौती को दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	यूएसए	तुर्की	ईरान सहित संयुक्त अरब अमीरात से आयातित विषयगत वस्तुएं	रूस
पंहुच कीमत	रु./एमटी	21,987	20,334	21,245	21,599
	सूचीबद्ध	100	92	97	98
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	168	131	116

81. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तु के मामले में परिवहन लागत, उत्पादन लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, क्योंकि (क) घरेलू उद्योग गुजरात राज्य में स्थित है और बिक्री पूरे भारत में करनी होती है और (ख) उत्पाद की कीमत को देखते हुए, मालभाड़ा लागत उपभोक्ताओं की खरीद लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों के पहुँच कीमत से परिवहन लागत जोड़ने के बाद ही की जानी चाहिए। तथापि, विगत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने मालभाड़ा पर विचार किए बिना कीमत कटौती की सीमा की जांच की। यह पाया गया है कि आयात, मालभाड़ा के साथ और उसके बिना, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में निर्यात भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों से कम कीमत पर किया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कटौती हुई है। कीमत कटौती ने घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया है। कीमतों में कटौती लागत में कमी से अधिक रही है।

ii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

82. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में जानकारी प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	159	149
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	189	138
पंहुच कीमत	रु./एमटी	16,948	18,075	33,508	21,515
	सूचीबद्ध	100	107	198	127

83. यह देखा गया है कि 22 अप्रैल से 23 सितंबर की अवधि तक बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई, और बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतें 22 अप्रैल से 23 सितंबर तक कम या न्यूनीकृत नहीं हुईं। तथापि, पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई, किंतु बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी। यह देखा गया है कि आयातों की पहुँच कीमत में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रकार, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। संबद्ध आयात घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण कीमत न्यूनीकरण का कारण बन रहे हैं।

झ.3.5. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

84. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और उचित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाठन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।
85. आवेदक के जांच अवधि में कार्यनिष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उसके कार्यनिष्पादन से की गई है।
- i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री
86. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	4,089,200	4,089,200	4,189,200	4,189,200
	सूचीबद्ध	100	100	102	102
कुल उत्पादन	एमटी	2,916,407	3,452,880	3,506,194	3,505,500
	सूचीबद्ध	100	118	120	120
क्षमता उपयोग	%	71%	84%	84%	84%
	सूचीबद्ध	100	118	117	117
घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	2,364,267	2,744,305	2,717,923	2,680,153
	सूचीबद्ध	100	116	115	113
आबद्ध बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	70	56
निर्यात बिक्रियाँ	एमटी	166,753	235,368	212,094	447,616
	सूचीबद्ध	100	141	127	268
आबद्ध बिक्री सहित कुल	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	111	116

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

87. यह देखा गया है कि:

- क. 22 अप्रैल-23 सितंबर की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई।
- ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 22 अप्रैल-23 सितंबर की अवधि तक बढ़ा और उसके बाद जांच अवधि में स्थिर रहा।
- ग. 2020-21 और 2021-22 के बीच घरेलू व्यापारिक बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, मांग में वृद्धि के बावजूद, उसके बाद जांच अवधि तक घरेलू व्यापारिक बिक्री में गिरावट आई है।
- घ. चूंकि दो घरेलू उत्पादकों ने डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए अन्य इकाइयों को महत्वपूर्ण आबद्ध बिक्री की है, और चूंकि ये इन कंपनियों के दो प्रभागों के बीच बिक्री और खरीद के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी आबद्ध बिक्री को पहले अलग-अलग रूप से और उसके बाद व्यापारिक बिक्री के साथ सामूहिक रूप से निर्धारित किया। यह देखा गया है कि 2021-22 में आबद्ध बिक्री और व्यापारिक बिक्री में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि तक गिरावट आई। यह भी देखा गया है कि सकल घरेलू व्यापारिक बिक्री और आबद्ध बिक्री में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है, अर्थात्, इनमें 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि तक लगातार गिरावट आई। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में बिक्री की मात्रा में गिरावट का सामना करना पड़ा, चाहे आबद्ध बिक्री को शामिल

किया जाए या नहीं। इसके अलावा, आबद्ध बिक्री भी जांच की अवधि में बिक्री की मात्रा में गिरावट दर्शाती है।

- इ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उच्च स्तर पर है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उसे और अधिक उत्पादन और बिक्री करने से रोका गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन स्तर किसी भी स्थिति में उच्च स्तर पर है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

88. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा था:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
मांग में हिस्सा					
सभी आयात	%	22%	16%	19%	27%
संबद्ध देश	%	16%	10%	11%	24%
अन्य देश	%	7%	7%	8%	3%
घरेलू उद्योग	%	77%	83%	80%	71%
अन्य उत्पादक	%	1%	1%	2%	2%
कुल हिस्सा % में	%	100%	100%	100%	100%

नोट - 22 अप्रैल - 23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

89. संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में तेजी से घटी है। तथापि, उसके बाद जांच अवधि तक बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

90. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। तथापि, उसके बाद जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी वैध हिस्सेदारी बनाए रखने से रोक दिया है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने मात्रा और बाजार हिस्सेदारी गंवा दी और उसे उत्पादन को कम लाभदायक नियंत्रित बिक्री में बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

91. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण किया गया है और वह निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	159	149
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	189	138
लाभ/घाटा	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	136	354	78
लाभ/घाटा	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	158	407	88
नकद लाभ (पीबीटी+मूल्यह्रास)	रु./एमटी	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	129	305	91
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	150	351	103
पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	144	330	81
आरओआई	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	234	57

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

92. यह देखा गया है कि

- क. जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी। परिणामस्वरूप, जहाँ घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष से 22 अप्रैल-23 सितंबर तक बढ़ा, वहीं इस अवधि में आयात में तीव्र वृद्धि के साथ जांच अवधि में इसमें तीव्र गिरावट आई। जांच अवधि में लाभप्रदता अपने निम्नतम स्तर पर रही है।
- ख. क्षति अवधि में, जहाँ बिक्री मात्रा में 13% की वृद्धि हुई, वहीं घरेलू बिक्री पर कर-पूर्व सकल लाभ में 12% की गिरावट आई।
- ग. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में नकद लाभ में उल्लेखनीय गिरावट (70%) आई। इस अवधि में बिक्री के प्रति इकाई नकद लाभ में भी तीव्र गिरावट आई। क्षति अवधि में, घरेलू बिक्री में 13% की वृद्धि के बावजूद, बिक्री के प्रति इकाई नकद लाभ में 8% की गिरावट आई।
- घ. निवेश पर आय (आरओआई) में लाभ और नकद लाभ के समान ही रुक्कान रहा। पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में कर-पूर्व लाभ में तीव्र गिरावट (76%) आई। क्षति अवधि के दौरान, कुल बिक्री पर व्याज-पूर्व लाभ में 20% की गिरावट आई, जबकि बिक्री की मात्रा में 13% की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, जांच अवधि में निवेश पर आय में पूर्ववर्ती अवधियों और आधार वर्ष दोनों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आई।

iv. मालसूची

93. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	260,972	155,080	101,801	240,287
	सूचीबद्ध	100	59	39	92
अंतिम मालसूची	एमटी	155,080	101,801	260,286	196,438
	सूचीबद्ध	100	66	168	127
औसत मालसूची	एमटी	208,026	128,441	181,044	218,362
	सूचीबद्ध	100	62	87	105

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

94. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर मार्च, 2022 तक कम हुआ है। तथापि, उसके बाद मालसूची के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद मालसूची में वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

95. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3,921	4,014	3,834	3,824
	सूचीबद्ध	100	102	98	98
वेतन और मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	118	143	138
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	8,333	9,865	10,018	10,016
	सूचीबद्ध	100	118	120	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	744	860	915	917
	सूचीबद्ध	100	116	123	123

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच अवधि तक कम हुई है। क्षति अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

v. वृद्धि

97. यह देखा गया है कि आयातों के कारण मात्रा और कीमत दोनों मानकों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
उत्पादन	वर्षवार	-	18%	2%	0%
क्षमता उपयोग	वर्षवार	-	13%	-1%	0%
घरेलू विक्री	वर्षवार	-	16%	-1%	-1%
मालसूची	वर्षवार	-	-38%	41%	21%
प्रति इकाई लाभ	वर्षवार	-	36%	159%	-78%
लाभ (लाख रुपये में)	वर्षवार	-	58%	157%	-78%
नकद लाभ (लाख रुपये में)	वर्षवार	-	50%	134%	-71%
आरओसीई	वर्षवार	-	3%	20%	-30%
बाजार हिस्सा-घरेलू उत्पादक	वर्षवार		5%	-2%	-9%

vii. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

98. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, तथा पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे अन्य कारकों की जांच की है जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम है, जिससे कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

viii. पूंजी जुटाने की क्षमता

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहा है। संबद्ध वस्तुओं के पाटन से घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियोजित निवेश का दावा किया है, किंतु पाटित आयातों के कारण वे आगे नहीं

बढ़ पा रहे हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक पूंजी-प्रधान उत्पाद है और वर्तमान निवेश योजनाएँ *** करोड़ रुपये के सकल निवेश पर *** मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि के लिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में अर्जित लाभ इस निवेश की पर्याप्त सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे।

ix. पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

100. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

101. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की भी जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

102. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात कम मात्रा में या अधिक कीमत पर होता है। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) माँग में संकुचन

103. क्षति अवधि के दौरान माँग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, माँग में गिरावट प्राधिकारी द्वारा पाई गई क्षति का कारण नहीं है।

ग) उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन

104. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

105. जाँच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है।

इ) प्रौद्योगिकी में विकास

106. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

107. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग मुख्यतः घरेलू बाजार में ही है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

108. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

नुकसान और कारण-प्रभाव संबंध पर निष्कर्ष

109. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है। डंपिंग वाले आयात और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच कारण-प्रभाव संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित है:
- आयात संख्या और प्रतिशत दोनों में बढ़े हैं, जिससे घरेलू उद्योग की विक्री में गिरावट आई है।
 - संबंधित आयात का बाजार हिस्सा बढ़ा, जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया।
 - घरेलू उद्योग की विक्री में गिरावट से क्षमता का कम उपयोग हुआ।
 - संबंधित आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया, जिससे कीमतों में गिरावट आई। इसके बाद, घरेलू उद्योग को लाभ, कैश लाभ और निवेश पर रिटर्न में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा।
 - जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ और निवेश पर रिटर्न में भारी गिरावट आई।
110. उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित देशों से भारत में संबंधित वस्तुओं के बढ़ते डंपिंग वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है। संबंधित देशों से आने वाले या निर्यात किए गए संबंधित वस्तुओं के डंपिंग वाले आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच एक कारण-प्रभाव संबंध है।

ट. क्षति मार्जिन

111. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त पहुँच कीमत की तुलना हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूँजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूँजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
112. प्राधिकारी क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय माल भाड़े को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन के आकलन के लिए प्राधिकारी की सतत परिपाठी, माल भाड़े के बिना पहुँच कीमत की तुलना एनआईपी के साथ समतुल्य स्तर पर करने की रही है। इस मामले में भी यही पद्धति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार कारखाना-द्वार स्तर पर किया गया है और इसकी तुलना पत्तन स्तर पर आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।
113. ऊपर यथा निर्धारित पहुँच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत (यूएसडी/एमटी)	पंहुच मूल्य (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
तुर्की						
1	तुर्किये सिसेवे कैम फैब्रिकलर ए.एस. तुर्की	***	***	***	***	0-10
2	डब्लू ई सोडा (ईटीआई +कजान)	***	***	***	***	30-40
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70
रूस						
4	मै. संयुक्त स्टाक कंपनी बशकीर सोडा कंपनी (उत्पादक/नियांतक, रूस)	***	***	***	***	10-20
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
यूएसए						
6	मैं सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	***	***	***	***	10-20
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40
ईरान						
8	कोई	***	***	***	***	40-50

ठ. क्षति का खतरा

114. वर्तमान जाँच में, घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे का तर्क दिया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच की है, जिसमें निम्नानुसार बताया गया है:

“वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो जिसमें पाठन से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और वह आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

- क. भारत में पाठित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्यास वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;
- ख. नियांतक की क्षमता में पर्यास मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, पर्यास वृद्धि, जो भारतीय बाजार में पाठित नियांत में पर्यास वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो, जिसमें किसी भी अतिरिक्त नियांत को खपाने करने के लिए अन्य नियांत बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा;
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से हासकारी या व्युतकारी प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे आगे के आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- घ. जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची।

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

115. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. खतरे के संबंध में किए गए दावे भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात के संदर्भ में नहीं हैं और यह इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि भारतीय माँग का लगभग 70-80% भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरा किया जाता है और शेष लगभग 20-30% आयात किया जाता है, वह भी तब जब देश में प्राकृतिक पद्धति से शून्य उत्पादन होता है।
- ii. वैश्विक क्षमता और उत्पादन प्रवृत्तियाँ भारतीय बाजार के लिए खतरा सिद्ध नहीं करती हैं और घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पता चले कि संबद्ध देशों की अतिरिक्त क्षमता भारत पर लक्षित होगी।
- iii. यह तथ्य कि संबद्ध देशों के उत्पादक निर्यात करते हैं, यह सिद्ध नहीं करता कि वे भारत को क्षतिकारी मात्रा या क्षतिकारी कीमतों पर अतिरिक्त निर्यात करेंगे।
- iv. आवेदक ने नियमावली में यथा अभिज्ञात खतरे के चार कारकों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

- i. वर्तमान जांच अवधि के दौरान आयात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
- ii. ये आयात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर किए गए हैं, जिनमें पाटित मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और काफी अधिक हैं।
- iii. संबद्ध देशों के पास पर्यास मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमताएँ हैं, जो भारतीय माँग से कहीं अधिक हैं।
- iv. वैश्विक स्तर पर, सोडा ऐश का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और चीन में केंद्रित है, जिनकी संयुक्त रूप से वैश्विक क्षमता में 72% हिस्सेदारी है।
- v. वर्तमान वैश्विक स्थापित क्षमता 75 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 65 मिलियन मीट्रिक टन की वैश्विक माँग से अधिक है।
- vi. संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता 14 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें अतिरिक्त 5 मिलियन मीट्रिक टन की घोषणा की गई है और तुर्की के पास 5 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 400,000 मीट्रिक टन की नियोजित वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप 8 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित निवल वैश्विक क्षमता वृद्धि होगी।
- vii. वर्तमान में, 4 से 5 मिलियन मीट्रिक टन की अधिशेष वैश्विक क्षमता है, जो भारत की कुल मांग के बराबर है और इसके जारी रहने की आशा है।
- viii. तुर्की का एक प्रमुख उत्पादक, ईटीआई सोडा, सिनेर समूह का हिस्सा है, जो अमेरिका में भी कार्यरत है। चूंकि वर्तमान अमेरिकी निर्यात पूरी तरह से इसी समूह से है, इसलिए अमेरिकी निर्यात को प्रभावी रूप से तुर्की निर्यात माना जा सकता है।
- ix. यूरोप, लैटिन अमेरिका और अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में हाल ही में नकारात्मक खपत वृद्धि देखी गई है:
- x. वैश्विक स्तर पर घटती मांग और क्षमता विस्तार के कारण वैश्विक स्तर पर अतिआपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- xi. बाजार रिपोर्ट मांग स्थिरता के लिए खतरों को उजागर करती है, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनावों से और बढ़ गए हैं।
- xii. आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक मांग में गिरावट आई है, प्रचलन दरें 2022 में अधिकतम होंगी और 2023 में घटेंगी, और 2024 में और गिरावट की उम्मीद है।

क्र.सं.	बाजार	वृद्धि
1	यूरोप	-4%

2	लैटिन अमरीका	-7%
3	यूएस	-10%
4	भारत	1%
5	संचयी	-2%

- xiii. भारत बढ़ती माँग वाले कुछ बाजारों में से एक बना हुआ है, जो इसे अधिशेष वैश्विक आपूर्ति के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है।
- xiv. वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति और कमज़ोर माँग के बावजूद, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमता वृद्धि जारी है।
- xv. भारत को छोड़कर, वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति और घटती माँग के बीच असंतुलन, कीमतें उत्पादन लागत से कम होने पर, संयंत्रों के बंद होने का जोखिम बढ़ाता है।
- xvi. तुर्की के उत्पादकों ने कमज़ोर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग के बावजूद क्षमता का विस्तार किया है।
- xvii. सिनेर ने 400,000 मीट्रिक टन क्षमता जोड़ी; तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में प्रचालन करने वाली डब्लूई सोडा की भी विस्तार योजनाएँ चल रही हैं।
- xviii. कमज़ोर यूरोपीय माँग के कारण तुर्की से यूरोप को निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- xix. कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय माँग के कारण व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, और निर्यातिक क्षमताओं के विस्तार से यह और भी बदतर हो गया है।
- xx. निर्यात बाजारों में आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण नई क्षमता की योजना बनाई गई थी, तथापि कोविड-19 के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई।
- xxi. अमेरिका की कुल क्षमता 14 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता की घोषणा की गई है।
- xxii. निर्यात के अवसरों को सीमित करने वाली कमज़ोर अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण वास्तविक उत्पादन अभी तक नई क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाया है।
- xxiii. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अगस्त 2023 का उत्पादन 869,000 मीट्रिक टन था, जो जुलाई और अगस्त 2022 की तुलना में 8% कम है।
- xxiv. जनवरी 2023 से अगस्त 2023 की अवधि में उत्पादन 7.23 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3% कम है।
- xxv. अमेरिकी उत्पादक भारत जैसे बाजारों में अधिशेष स्टॉक बेचने का प्रयास करके वैश्विक अतिआपूर्ति और कमज़ोर माँग की प्रतिक्रिया कर रहे हैं।
- xxvi. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, जाँच अवधि के दौरान अमेरिका से भारत में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और कम से कम 30% अमेरिकी क्षमता अप्रयुक्त रह गई।
- xxvii. संबद्ध देशों के उत्पादक अपनी अत्यधिक क्षमताओं के कारण अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं।
- xxviii. पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में, इन देशों के निर्यातकों द्वारा अल्प समयावधि में भारत को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने की संभावना है।
- xxix. घटती माँग और निरंतर क्षमता विस्तार से प्रेरित वैश्विक अतिआपूर्ति, भारतीय उद्योग के लिए वास्तविक क्षति का स्पष्ट खतरा उत्पन्न करती है।
- xxx. भारत की बढ़ती माँग इसे अधिशेष निर्यात का प्रमुख लक्ष्य बनाती है, जिससे मौजूदा चुनौतियों के बावजूद क्षति का जोखिम बढ़ जाता है।
- xxxi. जाँच अवधि के दौरान आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, और पंहुच कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से काफी कम हो गई हैं।

- xxxii. कम कीमत वाले आयात घरेलू बाजार कीमतों को कम कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम पर हुए हैं, जिससे स्थानीय कीमतों पर भारी गिरावट का दबाव पड़ रहा है।
- xxxiii. कमज़ोर घरेलू कीमतों के कारण आयात की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान और भी बदतर हो सकता है।
- xxxiv. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त विनिर्माण क्षमता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।
- xxxv. मौजूदा क्षमता से पता चलता है कि विदेशी उत्पादक कम समय में आपूर्ति की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे घरेलू बाजार की स्थिरता के लिए संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि में मालसूची के स्तर में तेज वृद्धि को देखा है, जो संभावित बाजार संतुष्टि का संकेत देता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

117. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार प्राधिकारी को यह जाँच परिणाम दर्ज करना आवश्यक है कि भारत में आयातित पदार्थ भारत में किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचा रहे हैं या क्षति पहुँचाने की खतरा बने हुए हैं या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा डाल रहे हैं। चूँकि प्राधिकारी यह निष्कर्ष करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, इसलिए उनका क्षति की जाँच केवल घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तक ही सीमित रखी जाए।

ड. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।
 - सोडा ऐश पर कोई भी एडीडी औद्योगिक कीमत शृंखला को बाधित करेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और व्यापक अर्थिक उद्देश्यों को कमज़ोर करेगा।
 - घरेलू उद्योग को पहले से ही न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के माध्यम से सुरक्षा का लाभ मिल रहा है; अतिरिक्त शुल्क अत्यधिक सुरक्षा उपाय होंगे।
 - एडीडी के और अधिक लगाए जाने से कांच निर्माण जैसे प्रमुख उद्योग अलाभकारी हो सकते हैं, जिसके घरेलू उत्पादन और रोजगार पर संभावित दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।
 - भारतीय सोडा ऐश उत्पादक ऐतिहासिक रूप से व्यापार सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहे हैं, जबकि अब घरेलू बाजार में उनकी हिस्सेदारी 70% से अधिक है; वर्तमान बाजार प्रभुत्व के अंतर्गत भी ऐसी निर्भरता जारी है।
 - सोडा ऐश के लिए मांग-आपूर्ति संतुलन अभी भी संतुलित बना हुआ है, जिससे औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो गया है; क्षति अवधि के दौरान, आयात 5-10 लाख मीट्रिक टन के बीच रहा, जबकि कुल मांग 40-43 लाख मीट्रिक टन थी।
 - प्राकृतिक तरीके से उत्पादित सोडा ऐश की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आयात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि काफी अधिक टिकाऊ है और घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त सिंथेटिक मार्ग से प्रति टन 1 टन सीओ2 की तुलना में 0.30 से 0.70 टन सीओ2 उत्सर्जित करता है।

- viii. प्राकृतिक सोडा ऐश के आयात को प्रतिबंधित करने से भारत में टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि प्रस्तावित एडीडी से प्रयोक्ता लागत में 2-5% की वृद्धि होगी, जिसका घरेलू उत्पादकों के लिए क्षतिकारी कीमत निर्धारण के साक्ष्य के बिना, मार्जिन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. भारतीय उद्योग के हितों और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध वस्तुएँ पहले पाटनरोधी उपायों के अधीन थीं, और ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि पहले लगाए गए शुल्कों का अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
- ii. भारतीय बाजार में पाटिट कीमतों पर आने वाले आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होती हैं, जिससे उद्योग को भारी क्षति हो रही है।
- iii. उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करने, घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता का संरक्षण करने और भारत को विचाराधीन उत्पाद के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
- iv. पाटनरोधी उपाय उचित मूल्यों पर उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करते हैं।
- v. केवल आयात पर निर्भरता उपभोक्ताओं को उच्च मालसूची स्तर बनाए रखने के लिए बाध्य करेगी, जबकि घरेलू उत्पादकों से खरीद अधिक कुशल मालसूची प्रबंधन को संभव बना देती है।
- vi. एक उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण बनाए रखने के लिए एक मजबूत घरेलू उद्योग आवश्यक है, जो अन्यथा पाटिट आयातों से प्रभावित होगा।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना जनता के हित में है।
- viii. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोज़गार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में योगदान देता है।
- ix. यदि घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान का समाधान नहीं किया जाता है, तो निरंतर उत्पादन अस्थाई हो सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक उद्देश्य कमज़ोर हो सकते हैं।
- x. भारतीय सोडा ऐश उद्योग ने निरंतर वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसकी क्षमता 1998-99 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 4.5 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो राष्ट्रीय माँग के अनुरूप है।
- xi. उद्योग ने अतिरिक्त 2 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता विस्तार की योजना बनाई है, जो आत्मनिर्भरता और घरेलू आपूर्ति सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- xii. क्षमता वृद्धि के साथ-साथ रोज़गार में भी वृद्धि हुई है, और आगे के विस्तार को *** मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने के लिए *** करोड़ रुपये के नियोजित निवेश द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
- xiii. तथापि, वर्तमान बाज़ार स्थितियों ने इन प्रस्तावित निवेशों की व्यवहार्यता को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल दिया है।
- xiv. घरेलू सोडा ऐश उद्योग रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पूरे भारत में लगभग 22,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।
- xv. गुजरात, एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में, इस रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।
- xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाना न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय हित में भी है।
- xvii. ऐसे उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग का संरक्षण नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है।
- xviii. ये कार्य भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देते हैं।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबंधित देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से देश में नए उत्पादकों के उभरने को प्रोत्साहन मिल सकता है।
121. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के बारे में संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं।
122. सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में हो रहे पाटन को कम करना, उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करना और घरेलू विनिर्माण की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पिछले शुल्कों के बावजूद, अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है, और घरेलू उद्योग ने विकास प्रदर्शित किया है, 1998-99 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से 2023-24 में 4.5 मिलियन मीट्रिक टन तक क्षमता का विस्तार किया है, और आगे निवेश की योजना है। ये उपाय भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से जब पाटिट वस्तु की कीमत घरेलू विक्री लागत से कम होती है, जिससे वास्तविक क्षति होती है। एक मजबूत घरेलू उद्योग न केवल उपभोक्ताओं के लिए कुशल मालसूची प्रबंधन में सहायक होता है, बल्कि 22,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है।
123. भारत में काँच उद्योग पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि सोडा ऐश पर शुल्क लगाने से इसकी लागत पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के काँच उत्पादों पर एडीडी लगाकर पहले ही पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों से पता चलता है, ग्यारह अलग-अलग मामले सामने आए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के काँच पर शुल्क लगाए गए हैं, जो काँच उद्योग के घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए निरंतर समर्थन को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, सोडा ऐश पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क से लागत में व्यवधान उत्पन्न होने या डाउनस्ट्रीम कीमत शृंखला पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
124. यह नोट किया जाता है कि कुछ आवेदक कंपनियाँ देश में डिटर्जेंट के उत्पादन में भी कार्यरत हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत कीमत के उत्तर-चढ़ाव के विश्लेषण से पता चलता है कि सोडा ऐश की आयात कीमतों में गिरावट के बावजूद, डिटर्जेंट की कीमतों में आनुपातिक रूप से कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि डिटर्जेंट की कीमतें सोडा ऐश की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव से सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, जो डाउनस्ट्रीम बाजार में कीमत निर्धारण में एक सीमा तक अलगाव या स्वतंत्रता का संकेत देता है। इसके अलावा, डिटर्जेंट की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव पर विचार करते समय, सोडा ऐश और अन्य प्राथमिक कच्ची सामग्री - जो कि लीनियर एल्किलबेंजीन (एलएबी) है - की कीमतों का अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा लगाया गया है। अप्रैल 2020 से एक तुलनात्मक आकलन से पता चलता है कि जब एलएबी और सोडा ऐश की कीमतों में वृद्धि हुई, तो डिटर्जेंट की कीमतें भी बढ़ीं। तथापि, जब इन कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई, तो डिटर्जेंट की कीमतें स्थिर रहीं और उनमें कोई खास कमी नहीं देखी गई। इस प्रकार, कच्ची सामग्री की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव का डिटर्जेंट की कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

125. व्यापक होते हुए व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी सहित मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर निर्भरता को मजबूत करना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति का कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। शुल्क लगाने से समान अवसर सुजित होने की उम्मीद है। शुल्क लगाना विशेष रूप से निर्यात पर उच्च निर्भरता को देखते हुए, अंतिम प्रयोक्ताओं के हित में माना जाता है।
126. पाटनरोधी शुल्क, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की नीति को सुदृढ़ करके, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे। अतिरिक्त शुल्क, ₹1,200 करोड़ रुपये के नियोजित निवेश द्वारा समर्थित, घरेलू क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करेंगे और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देंगे। एक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार को बढ़ावा देकर, शुल्कों को लागू करना आर्थिक विकास, आपूर्ति सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के अनुरूप है, और इससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों या उपभोक्ता मार्जिन को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं होगा।
127. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएँगे, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी, और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे, और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

३. प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ

३.१ अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

128. प्रकटीकरण वक्तव्य पर अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:
- प्राकृतिक सोडा ऐश को शामिल न करने तथा प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच अदला-बदली की मौजूदगी के बारे में प्राधिकरण का अवलोकन गलत है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रियाओं, लागत संरचनाओं और पर्यावरणीय प्रभाव में स्पष्ट अंतर है।
 - हल्का और सघन सोडा भी अलग-अलग उत्पाद हैं और अलग-अलग HSN कोड के अंतर्गत आते हैं। हल्के सोडा ऐश का इस्तेमाल विशेष रूप से डिटर्जेंट निर्माता करते हैं क्योंकि प्राकृतिक सोडा ऐश में अशुद्धियाँ बहुत ज्यादा होती हैं।
 - टाटा केमिकल्स और निरमा के बीच संबंधित पक्षकार संबंध के आधार पर पात्रता के प्रश्न को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच की अवधि के दौरान मात्राएँ नगण्य थीं। दोनों संस्थाओं के बीच संबंध इस तथ्य से पुष्ट होता है कि उनके सहयोगियों द्वारा निर्यात प्रारंभिक अवधि में हुआ था।
 - पहले से मौजूद एमआईपी के अतिरिक्त एंटी-डिपिंग शुल्क लगाना उपयोगकर्ताओं और आयातकों के लिए दोहरी तलवार होगी, क्योंकि एमआईपी को कम कीमत वाले आयातों की जांच के लिए एक वैध और पर्याप्त उपाय माना जाता है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ("क्यूसीओ") और अनिवार्य बीआईएस मानक जारी करने के लिए एक अन्य मंच में दायर आवेदन भी लंबित है। इसलिए, घरेलू उद्योग को डीजीटीआर से संपर्क करने से पहले मंच के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था।
 - विषयगत जाँच में 9 महीने की जाँच अवधि (POI) की अनुमति देने का कोई औचित्य रिकॉर्ड में नहीं है। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के साथ जाँच अवधि की तुलना करने पर प्रतिकूल क्षति विश्लेषण प्राप्त होगा क्योंकि ये वर्ष आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, कोविड-19, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष से चिह्नित थे, जिससे तुलना अविश्वसनीय हो जाती है।
 - दायर याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई थी, जिससे व्यापार नियमावली और व्यापार सूचना 10/2018 के नियम 7 का उल्लंघन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और लागत संबंधी आँकड़े या तो रोक दिए गए थे या केवल

- अनुक्रमित रूप में उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन संशोधित ऑँकड़े काफी देरी से उपलब्ध कराए गए, जिससे इच्छुक पक्ष इस पर सार्थक टिप्पणियाँ देने में असमर्थ रहे।
- viii. याचिकाओं के बंद हो जाने तथा घरेलू उद्योग द्वारा एंटी-डंपिंग कार्यवाही का आदतन सहारा लेने को देखते हुए, अब एंटी-डंपिंग संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, भले ही कोई क्षति न हुई हो।
 - ix. घरेलू उद्योग को संबंधित आयातों के कारण कोई भौतिक क्षति नहीं हो रही है। देश में मांग-आपूर्ति का अंतर लगातार बना हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात करने के निर्णय से यह अंतर और भी बढ़ गया है।
 - x. घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य 2022-23 तक बिक्री लागत से काफी ऊपर बढ़ गया है और जाँच अवधि में अनुक्रमित लागत स्तरों से ऊँचा बना हुआ है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक लाभप्रदता भी अर्जित की है, और जाँच अवधि में लाभ में गिरावट केवल आपूर्ति व्यवधानों के दौरान अप्रत्याशित लाभ के बाद सामान्यीकरण के कारण है। यहाँ तक कि इन्वेंट्री स्तर में वृद्धि भी नगण्य है और सितंबर 2023 में समाप्त इन्वेंट्री और अक्टूबर 2023 में आरंभिक इन्वेंट्री के बीच एक विसंगति है। वैश्विक और भारतीय कीमतों के बीच सहसंबंध दर्शाता है कि घरेलू मूल्य परिवर्तन बाजार द्वारा संचालित होते हैं।
 - xi. घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति के बीच भारी अंतर होने के कारण उपयोगकर्ता उद्योग पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो एंटी-डंपिंग शुल्क लगने से और भी बढ़ जाएगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए आयात पर निर्भर रहना बेहद महंगा पड़ेगा। एंटी-डंपिंग शुल्क लगने की स्थिति में डिटर्जेंट निर्माताओं पर इसका मात्रात्मक प्रभाव भी काफी होगा और लगभग 3.49% तक पहुँच जाएगा। निर्यातोन्मुखी आसियान देशों द्वारा दी जा रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, जो भारतीय बाजार की तुलना में बहुत कम कीमत पर डिटर्जेंट बेचते हैं, यह डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक बड़ा झटका सावित होगा।
 - xii. सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों के तहत, आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है ताकि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद पर उनका वित्तीय बोझ कम किया जा सके। ये सुधार, अगर पीयूसी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया जाता है, तो बेकार हो जाएँगे। डिटर्जेंट का इस्तेमाल लोग रोजाना करते हैं, और अगर उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर शुल्क लगा दिया जाता है, तो अंतिम उत्पाद, यानी डिटर्जेंट, की लागत वैसे भी बढ़ जाएगी और उस पर जीएसटी कटौती का असर खत्म हो जाएगा।
 - xiii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने पर, यह संभावना है कि पीयूसी के घरेलू उत्पादक अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों में संशोधन करेंगे। आयातों से प्रतिस्पर्धी दबाव के अभाव में, घरेलू उद्योग पीयूसी की बिक्री कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप बाजार कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि होगी, जिसका असर एजीआई सहित सोडा ऐश के सभी खरीदारों पर पड़ेगा।
 - xiv. एजीआई ने हाल ही में निर्यात पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र की पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया है। सोडा ऐश पर किसी भी प्रकार का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से एजीआई की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और निर्यात बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। यह एजीआई के व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि होगी, चाहे एजीआई प्राकृतिक सोडा ऐश का आयात करे या घरेलू उत्पादकों से सिंथेटिक सोडा ऐश खरीदे।
 - xv. सिंथेटिक सोडा ऐश का कार्बन फुटप्रिंट कम से कम 1.3 CO₂/Mt होता है, जबकि प्राकृतिक सोडा ऐश का कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम यानी लगभग 0.4 CO₂/Mt होता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ("CPCB") डिटर्जेंट उद्योग के लिए उत्सर्जन और अपशिष्ट जल मानक निर्धारित करता है, जो वास्तव में कम ग्रीनहाउस गैस ("GHG") उत्सर्जन वाले उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
 - xvi. सिंथेटिक लाइट/घने सोडा ऐश और प्राकृतिक घने सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 20% से अधिक है, जबकि सिंथेटिक लाइट और प्राकृतिक घने सोडा ऐश के बीच कीमत का अंतर 10% से अधिक है।
 - xvii. विगत में, प्राधिकरण ने इस बात की जाँच की थी कि क्या संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंधों के कारण अलग ढंग से कार्य किया है या डंपिंग प्रथाओं में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं जिनके परिणामस्वरूप स्वयं को क्षति पहुँची होगी। हालाँकि, वर्तमान जाँच में, प्राधिकरण ने उपरोक्त कारकों पर विचार नहीं किया है, सिवाय इस आकलन के किटाटा और निर्मा द्वारा पीयूसी का आयात काफी कम है।

- xviii. प्राधिकरण ने भारतीय उत्पादन और कुल आयात के सापेक्ष संबंधित पक्षों से आयात का प्रतिशत प्रकट नहीं किया है। यह दृष्टिकोण प्राधिकरण की स्थापित पद्धति से विचलन दर्शाता है।
- xix. विक्री मूल्य, पीबीआईटी, मूल्यहास आदि से संबंधित जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह जानकारी उपलब्ध न कराने से इच्छुक पक्षों की उस पर सार्थक टिप्पणी करने की क्षमता बाधित होती है। घरेलू उद्योग को विषयगत जाँच में शामिल अन्य इच्छुक पक्षों की तुलना में पारदर्शिता के किसी भिन्न या निम्नतर मानक पर नहीं रखा जा सकता, जिन्हें निर्धारित प्रारूपों का पालन करना आवश्यक है।
- xx. ₹20,108/एमटी के एमआईपी का असर पहले ही बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में पड़ चुका है। एमआईपी के अतिरिक्त किसी भी तरह का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप अत्यधिक और अनुचित संरक्षण प्राप्त होगा। इस तरह के अति-मुआवजे का वित्तीय बोझ अंततः उपयोगकर्ताओं पर ही पड़ेगा।
- xxi. एमआईपी का मूल उद्देश्य कम कीमत वाले आयातों पर प्रतिबंध लगाकर कथित क्षति को कम करना और इस प्रकार घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना था। हालाँकि, एमआईपी द्वारा अपनी लाभप्रदता में कोई ठोस सुधार लाने में विफलता इस मूल धारणा को कमजोर करती है कि आयात ही कथित क्षति का कारण है।
- xxii. प्रकटीकरण विवरण में जांच अवधि के लिए 9 महीने की अवधि पर विचार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अवधि से अधिक लंबी जांच अवधि अपनाने के प्राधिकरण के निर्णय के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है कि क्या वह अवधि प्रतिनिधि और उपयुक्त है।
- xxiii. पिछली जांच में प्राधिकरण ने न केवल नौ महीने की अवधि को जांच की अवधि मानने के कारण बताए थे, बल्कि इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां भी आमंत्रित की थीं।
- xxiv. 6 माह और 9 माह की अवधि बहुत छोटी है तथा प्राधिकरण के लिए पाठन, क्षति और कारणता तथा भारतीय घरेलू बाजार की स्थिति का उचित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- xxv. याचिका में उल्लिखित 6 माह तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचाराधीन 9 माह में, घरेलू उद्योग के एक घटक अर्थात् टाटा केमिकल्स लिमिटेड को उपयोगिता संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा प्रभावित हुई।
- xxvi. उपयोगकर्ता नोट करता है कि पाठन मार्जिन तालिका में "अन्य सभी" के लिए मार्जिन शामिल नहीं है। यह एक आवश्यक तथ्य है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पहले "अन्य सभी" दरों के लिए मार्जिन प्रदान करते हुए एक संशोधित प्रकटीकरण विवरण जारी करें।
- xxvii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती निर्धारित करें ताकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। जिस मूल्य पर एचयूएल ने पीयूसी प्राप्त किया है, वह उन मूल्यों से बहुत अधिक है जिन पर एचयूएल ने आयात स्रोतों से पीयूसी प्राप्त किया था।
- xxviii. जीएचसीएल, जो भारत में पीयूसी के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, द्वारा प्रकाशित वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के आधार पर, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ दर्ज किया गया है।
- xxix. घरेलू उद्योग को क्षति (यदि कोई हो) संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है:
- xxx. कम उत्पादन। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने आय सम्मेलन कॉल में स्वीकार किया कि पूंजीगत उपकरणों के टूटने के कारण क्षति अवधि के दौरान उनका उत्पादन कम था, और यह अपनी स्थापित क्षमता के तीन-चौथाई पर संचालित हुआ। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने उल्लेख किया कि उत्पादन रुकने और अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के कारण यह जांच की अवधि के दौरान टाटा केमिकल्स लिमिटेड के उत्पादन की मात्रा को प्रभावित किया। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने आय कॉल में इसे स्वीकार किया।

- xxxii. आयात कीमतों में यह अस्थायी गिरावट आयात कीमतों में वास्तविक कमी के बजाय, डाउनस्ट्रीम उत्पाद उद्योग में व्याप उथल-पुथल के कारण थी। आयात कीमतों में इस गिरावट के मूल कारणों को जीएचसीएल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
- xxxiii. प्रकटीकरण को एनआईपी के प्रयोजनों के लिए नियोजित पूँजी का निर्धारण करते समय उच्च निवल अचल परिसंपत्तियों के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
- xxxiv. डिटर्जेंट उद्योग पिछले चार वर्षों में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ("आसियान") के सदस्य देशों, विशेष रूप से इंडोनेशिया, से डिटर्जेंट के आयात में भारी वृद्धि के दबाव से पहले से ही जूझ रहा है। शुल्क लगाने के कारण सोडा ऐश की लागत में कोई भी वृद्धि डिटर्जेंट उत्पादकों के संचालन पर गहरा प्रभाव डालेगी।
- xxxv. प्रकटीकरण विवरण में दर्ज मार्जिन के आधार पर शुल्कों के प्रभाव का परिमाण: एंटी-डंपिंग शुल्कों का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि यह मात्र 0.46% है।
- xxxvi. व्यापार सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण तैयार करना नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई हो, का निवारण करना है।
- xxxvii. 12 महीने से कम की POI स्वार्थपूर्ण है और इसे विशेष रूप से एक गैर-मौजूद क्षति को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है।
- xxxviii. प्रकटीकरण विवरण में दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि POI को विशेष रूप से केवल उन महीनों/अवधि को शामिल करके तैयार किया गया है, जब कीमतें कम थीं।
- xxxix. प्रतिवादी का दावा है कि 12 महीने से कम अवधि के पी.ओ.आई. का चयन करना ए.डी.डी. नियमों के नियम 5(3 ए)(ii) का उल्लंघन है।
- xl. प्रकटीकरण विवरण में, सितंबर 2023 के बाद आयात कीमतों में गिरावट और मात्रा में वृद्धि का हवाला देते हुए, संक्षिप्त जांच अवधि को उचित ठहराया गया है। यह औचित्य त्रुटिपूर्ण और चालाकीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें क्षति को मनगढ़त बनाने के लिए चुनिंदा रूप से कम कीमतों वाले महीनों को शामिल किया गया है।
- xli. ये औचित्य प्रतिवादी को प्रकटीकरण विवरण चरण में ही बताए गए, जिससे उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार का पूर्वव्यापी तर्क प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है और नियम 5(3 ए)(ii) की स्पष्ट भाषा और आशय का खंडन करता है।
- xlii. यह दावा कि POI विचलन के कारणों को आरंभिक नोटिस में शामिल करना आवश्यक नहीं है, गलत है और हितधारकों की भागीदारी को कमज़ोर करता है। प्रतिवादी का तर्क है कि जाँच क्षेत्राधिकार संबंधी कमियों से ग्रस्त है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
- xliii. प्रतिवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवेदन और आरंभिक अधिसूचना व्यापार नोटिस संख्या 2/2004 का उल्लंघन करती है, जिसमें पी.ओ.आई. और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों को शामिल करना अनिवार्य है।
- xliv. सेल बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यापार सूचनाएँ बाध्यकारी हैं और यदि वे त्रुटिपूर्ण हैं तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए—उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। व्यापार सूचना से प्राधिकरण का चयनात्मक विचलन पक्षपातपूर्ण और अनुचित प्रतीत होता है।
- xlv. कांच उद्योग में गड़बड़ी के कारण संबंधित वस्तुओं की मांग में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप आयात कीमतों में गिरावट आई।
- xlvi. घरेलू उद्योग ने प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन लिए बिना व्यापार नोटिस संख्या 2/2004 से एकतरफा विचलन किया।
- xlvii. प्राधिकरण के कार्योत्तर तर्क में पूर्व विचार का अभाव है तथा यह पूर्वव्यापी युक्तिकरण के समान है।
- xlviii. व्यापार नोटिस में संशोधन किए बिना इस विचलन का समर्थन करने से प्रक्रियागत विकृति उत्पन्न होती है तथा पूर्वाग्रह का खतरा पैदा होता है।

- xlix. नियम 2(ख) विषयगत वस्तुओं के निर्यातिकों से संबंधित घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने से अयोग्य घोषित करता है। प्रकटीकरण विवरण में निर्यात मात्रा पर अनुचित रूप से विचार किया गया है, जो नियम 2(ख) के अंतर्गत अप्रासंगिक है। टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड को उनके संबंधित पक्ष निर्यातों के बावजूद शामिल करना नियम का उल्लंघन करता है और क्षति विश्लेषण को अमान्य बनाता है।
- i. ऐसा प्रतीत होता है कि निरमा लिमिटेड द्वारा संबंधित पक्ष निर्यात की अवधि को बाहर करने के लिए जांच अवधि और क्षति अवधि को चुनिंदा रूप से परिवर्तित किया गया है।
 - ii. साक्ष्य से पता चलता है कि निर्यात जुलाई-सितंबर 2023 में हुआ था, जिसे POI से बाहर रखा गया था और पिछले वर्ष में जोड़ा गया था।
 - iii. आवेदक ने अनिवार्य प्रमाणन या प्राधिकरण के बिना विस्तारित POI (अक्टूबर 2023-अप्रैल 2024) के लिए अद्यतन चोट डेटा प्रस्तुत किया।
 - iv. नियम अपूर्ण सूचना को, विशेष रूप से गोपनीयता दावों के अंतर्गत, टुकड़ों में सुधारने की अनुमति नहीं देते।
 - v. घरेलू उद्योग का मूल्यहास काफी बढ़ गया है। एनआईपी के लिए 22% आरओसीई में कानूनी औचित्य और तर्कसंगतता का अभाव है।
 - vi. आर्थिक कारक और सूचकांक क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाते हैं।
 - vii. ईटीआई सोडा और संबंधित कंपनी कज़ान के लिए भूमि मूल्य की गणना डीएस बनाम दावे में भिन्न है।
 - viii. डिटर्जेंट पाउडर की कीमत सोडा एश और एलएबी की बड़ी हुई कीमतों के बराबर नहीं बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए निर्माताओं को सोडा एश और एलएबीएसए की अत्यधिक ऊँची कीमतों के प्रभावों को कम करने के लिए सोडा एश और एलएबीएसए की मात्रा कम करके अपने फॉर्मूलेशन में समायोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, जब सोडा एश और एलएबी की कीमतें अपने चरम मूल्यों से कम हो गईं, हालाँकि कीमतें बढ़ने से पहले जितनी नहीं, तो डिटर्जेंट निर्माताओं ने अपने पुराने फॉर्मूलेशन को बहाल करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी सोडा एश और एलएबीएसए की मात्रा बढ़ा दी। इसलिए, प्राधिकरण डिटर्जेंट की कीमतों में कमी के रूप में कञ्च माल की कम कीमतों का संगत प्रभाव नहीं देख सका।

ढ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

129. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में बदलाव के कारण अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की है। इसलिए, गोपनीयता का दावा करने का तर्क वही रहेगा। 10/2018 के व्यापार नोटिस का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
- ii. यह याचिका 6 महीने के लिए दायर की गई थी, लेकिन प्राधिकरण ने उद्योग को हो रही क्षति के समाधान हेतु इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, यह जांच अवधि, पाठनरोधी नियमों के नियम 5(3ए) के अनुरूप है।
- iii. जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही में निर्यातिक देशों के सीमा शुल्क के अनुसार निर्यात मूल्य और भारतीय सीमा शुल्क के अनुसार आयात मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर था (जो निर्यात और आयात के बीच समय अंतराल के कारण हो सकता है)। इस प्रकार, जुलाई-सितंबर 2023 को शामिल करने से क्षति मार्जिन विकृत हो जाएगा।
- iv. ग्वाटेमाला-सीमेंट || मामले में विश्व व्यापार संगठन ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद भी जांच अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जांच शुरू करते समय भी जांच अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- v. कानून यह अनिवार्य नहीं करता कि जांच की शुरुआत की सूचना में छोटी अवधि के कारणों को दर्ज किया जाए। अनुच्छेद 12 के तहत, ये प्रारंभिक या अंतिम निष्कर्षों में दर्शाएं जा सकते हैं। यह आवश्यकता केवल उन कारणों को दर्ज करने की है जिनके आधार पर छोटी अवधि का चयन किया गया है। इस प्रकार, यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक सूचना में या प्राधिकरण के विचाराधीन हो सकती है।

- vi. प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2010-DGAD दिनांक 17.02.2012; और अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/3/2011-DGAD दिनांक 9.02.2013 में यह माना कि हल्का और सघन सोडा ऐश एक ही उत्पाद के दो रूप हैं। इसलिए, प्राकृतिक सोडा ऐश को भी PUC के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
- vii. सघन और हल्के सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 5% से कम है, क्योंकि दोनों प्रकार के कई समान उपयोग हैं। उपभोक्ता दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा, सघन सोडा ऐश के आयात से हल्के सोडा ऐश के उत्पादन और विक्री को भी नुकसान पहुँचा है।
- viii. जैसा कि इच्छुक पक्षों ने दावा किया है, उत्पादन प्रक्रियाओं के संबंध में भी अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय आयोग ने 10 अप्रैल 1995 के विनियमन (ईसी) संख्या 823/95 में यही बात कही है, जिसमें अमेरिका से आयातित डिसोडियम कार्बोनेट पर अनन्तिम शुल्क लगाया गया है।
- ix. इच्छुक पक्षों को गोपनीयता संबंधी दावे प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। इस समय-सीमा के भीतर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद कोई भी दावा समय-सीमा के अंतर्गत होगा।
- x. जांच की अवधि में परिवर्तन के मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने 2018 के व्यापार नोटिस 10 के पूर्ण अनुपालन में संशोधित सूचना दाखिल की। इसके अलावा, आवेदन में दिए गए गोपनीयता तर्क को अद्यतन सूचना के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह तर्क सूचना के लिए समान रहेगा।
- xi. घरेलू उद्योग ने 13 मई 2025 को संशोधित क्षति विवरण प्रसारित किया। जिस पर भी पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद कोई टिप्पणी नहीं की गई।
- xii. क्षति मार्जिन और मूल्य कटौती का निर्धारण करते समय उचित तुलना के एक तत्व के रूप में मालभाड़े को शामिल करना महत्वपूर्ण है। मालभाड़े पर विचार न करने से आयातित उत्पाद की कीमत और घरेलू उत्पाद की कीमत के बीच अनुचित तुलना हो जाएगी।
- xiii. मान्यता देना विश्व व्यापार संगठन समझौते का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कम शुल्क नियम केवल एक सर्वोत्तम प्रयास खंड है और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए सदस्यों को पूर्ण विवेकाधिकार देता है।
- xiv. 2003 में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर वार्ता समूह के समक्ष कम शुल्क नियम के अनिवार्य अनुप्रयोग पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दो वैकल्पिक विकल्प प्रस्तावित किए थे - एक मूल्य आधारित और दूसरा लक्ष्य मूल्य आधारित। किसी भी स्थिति में, क्षति मार्जिन का निर्धारण दो "मूल्यों" - घरेलू स्तर पर खरीदे गए उत्पाद की कीमत और आयातित उत्पाद की कीमत - के बीच के अंतर के रूप में किया जाना आवश्यक है।
- xv. आयात मूल्य का अर्थ किसी भी स्तर पर आयात मूल्य हो सकता है, जैसे कि सीआईएफ, बंदरगाह मूल्य पर, आयात के पुनर्विक्रय मूल्य पर या ग्राहक को वितरित मूल्य पर। इस प्रकार, आयात मूल्य और लक्ष्य मूल्य एक तुलनीय स्तर पर होने चाहिए।
- xvi. वर्तमान में, निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग की फैक्ट्री-एक्स स्तर पर एनआईपी और बंदरगाह पर आयात मूल्य की तुलना कर रहे हैं। यदि आयात मूल्य बंदरगाह पर है, तो यह फैक्ट्री-एक्स स्तर नहीं है; जबकि, घरेलू उद्योग की एनआईपी/कीमत फैक्ट्री-एक्स स्तर पर है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि सीमा शुल्क के भुगतान के बाद फैक्ट्री-एक्स स्तर पर एनआईपी और बंदरगाह पर आयात मूल्य तुलनीय स्तर/समान स्तर पर नहीं हैं। अन्यथा, तुलना प्रस्तावित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, जिसमें एक विकल्प आयात का सीआईएफ मूल्य हो सकता था।
- xvii. इसलिए, भारत ने प्रस्ताव दिया था कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत के साथ उपभोग के यथासंभव निकट से करें।
- xviii. चूंकि भारत में डंपिंग रोधी शुल्क डंपिंग मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए मालभाड़ा सहित शुल्क से अत्यधिक संरक्षण नहीं मिलता, बल्कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से उचित तरीके से निपटने के लिए वर्तमान कार्यप्रणाली में विसंगति को ठीक किया जाता है।
- xix. विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रस्ताव के अनुसार, "मूल्य" शब्द का अर्थ किसी भी स्तर पर आयात मूल्य के रूप में लगाया जा सकता है, जैसे लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ), या पूर्व-सीमा शुल्क क्षेत्र, या आयातकों

- को पुनर्विक्रिय मूल्य, या ग्राहकों को वितरित मूल्य, बशर्ते कि क्षति मार्जिन पर पहुंचने के उद्देश्य से, डंप किए गए आयातों की कीमत के साथ तुलना केवल तुलनीय स्तर पर की जाए।
- xx. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पाद की मांग में मामूली वृद्धि हुई, तथापि, संबद्ध देशों से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अचानक और उल्लेखनीय रूप से 130% की वृद्धि हुई।
 - xxi. संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 130% की वृद्धि हुई तथा आधार वर्ष की तुलना में 86% की वृद्धि हुई।
 - xxii. देश में उत्पाद की सकल मांग लगभग 4.2 मिलियन मीट्रिक टन है जो देश में स्थापित क्षमता के बराबर है।
 - xxiii. सापेक्षिक दृष्टि से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयात आधार वर्ष में क्रमशः 17% और 14% था, जो जांच अवधि में बढ़कर 20% और 20% हो गया।
 - xxiv. सभी संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है।
 - xxv. जांच अवधि में विक्री लागत और विक्रय मूल्य में गिरावट आई। तथापि, जांच अवधि में विक्रय मूल्य में गिरावट, विक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक है। यद्यपि, संबद्ध आयात पिछले वर्ष तक दमनकारी/अवसादनकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहे थे, फिर भी वर्तमान पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और उत्पादन लागत दोनों से कम है।
 - xxvi. स्थिर क्षमता उपयोग के बावजूद, घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयातों में वृद्धि के कारण विक्री और बाजार हिस्सेदारी खो दी, जिससे बढ़ते माल का प्रबंधन करने के लिए कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
 - xxvii. उत्पादन को बनाए रखने और स्टॉक का प्रबंधन करने के लिए घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
 - xxviii. यद्यपि मांग बढ़ी, फिर भी आयात दोगुने से अधिक हो गया, जिससे विक्री और राजस्व दोनों में भारी नुकसान हुआ।
 - xxix. विक्री की मात्रा में कमी घरेलू उद्योग के साथ-साथ भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी परिलक्षित होती है, जिसमें जांच की अवधि में गिरावट आई, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।
 - xxx. जांच अवधि के दौरान, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की विक्री लागत से भी नीचे गिर गई, जिससे बाजार कीमतों में भारी गिरावट आई। उत्पादन लागत में तो मामूली गिरावट आई, लेकिन विक्री कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे लाभप्रदता में भारी गिरावट आई।
 - xxxi. 2022-23 में जब आयात कीमतें ज्यादा थीं, तब घरेलू उद्योग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालाँकि, उसके बाद से घरेलू उद्योग कम कीमत वाले आयातों के कारण तीव्र वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। जांच अवधि में, लाभ और नकद लाभ दोनों में भारी गिरावट आई है।
 - xxxii. हालाँकि माँग बढ़ी, घरेलू उद्योग के भंडार में मामूली वृद्धि हुई। यह निर्यात के बावजूद है, जिसके बिना घरेलू उद्योग को ज्यादा भंडार, कम उत्पादन और कम क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ता।
 - xxxiii. घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल रही है और जांच अवधि में मूल्य मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
 - xxxiv. कीमतों में कटौती, घरेलू कीमतों में गिरावट, विक्री और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट, कम कीमतों पर निर्यात, नकारात्मक वृद्धि और जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओआई में भारी कमी के कारण बढ़ते आयात पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाई है।
 - xxxv. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की गणना करते समय आरएसपीएल और निरमा लिमिटेड के कैप्टिव उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए।
 - xxxvi. अनुबंध III के अनुसार, एनआईपी के निर्धारण के उद्देश्य से, नियम विभिन्न अवसरों पर केवल "उत्पादन" का उल्लेख करते हैं, विक्री या कैप्टिव उपयोग के लिए उत्पादन के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। अनुबंध-II [पैरा (vi)] में आगे

स्पष्ट रूप से "घरेलू उत्पादन" पर विचार करने का प्रावधान है। इसलिए, एनआईपी के निर्धारण के लिए "कैप्टिव उपयोग" के लिए उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कैप्टिव उत्पादन का उपयोग घरेलू उपभोग के लिए भी किया जाना है।

- xxxvii. सोडा ऐश की कैप्टिव खपत को घरेलू खपत में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह या तो घरेलू बिक्री का विकल्प है या अन्य उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रकार, किसी भी स्थिति में, कैप्टिव उत्पादन की मात्रा को "घरेलू उत्पादन" में शामिल किया जाएगा।
- xxxviii. आरएसपीएल की कैप्टिव खपत वास्तव में कैप्टिव बिक्री है, क्योंकि कंपनी इकाइयों के बीच चालान बनाए जाते हैं और भुगतान किया जाता है।
- xxxix. ये आंतरिक बिक्री प्रचलित बाजार मूल्यों पर, लागू करें और जीएसटी के साथ, स्वतंत्र ग्राहकों को की गई बिक्री के समान की जाती है।
- xl. आरएसपीएल के वित्तीय रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वास्तविक बिक्री हैं, न कि सामान्य कैप्टिव खपत, जिसमें कोई बिक्री या भुगतान शामिल नहीं होता।
- xli. इस प्रकार, ये बिक्री न केवल बाजार मूल्य पर हो रही है, बल्कि बाहरी पक्ष को बिक्री के लिए लागू सभी वैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का भी पालन करती है। यदि यह कैप्टिव उपभोग होता, तो कोई बिक्री-खरीद नहीं होती और कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता।
- xlii. टाटा केमिकल्स अपशिष्ट को समुद्र में नहीं बहाता, बल्कि कंपनी इसका उपयोग किंलंकर सीमेंट बनाने में करती है। इस उत्पादन में हुए नुकसान को गैर-हानिकारक मूल्य से घटा दिया गया है। हालाँकि, सोडा ऐश निर्माण में अपशिष्ट जल का उपचार अपरिहार्य है, और इसे सीमेंट में परिवर्तित करना एक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार अनुपालन उपाय है, न कि एक अलग व्यवसाय।
- xliii. इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी लागत या हानि मुख्य उत्पाद, यानी सोडा ऐश, के उत्पादन से आंतरिक रूप से जुड़ी होती है और इसे परिहार्य अक्षमताएँ या असंबंधित गतिविधियाँ नहीं माना जा सकता। ऐसी लागतों को बाहर करने से गैर-हानिकारक मूल्य कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा और कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं पर दंड लगेगा।
- xliv. टाटा केमिकल्स लिमिटेड, अपशिष्ट जल को समुद्र में नहीं बहाती, बल्कि कंपनी उस अपशिष्ट जल का उपयोग किंलंकर सीमेंट बनाने में करती है। इस उत्पादन में कंपनी को घाटा हो रहा है। इस घाटे को गैर-हानिकारक मूल्य से घटा दिया गया है।
- xlv. वर्तमान जाँच में, जाँच अवधि के दौरान, कंपनी को इस पर घाटा हुआ है, क्योंकि व्यय अपशिष्ट के विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः, उक्त लागत को रूपांतरण लागत का भाग माना जाना चाहिए।
- xlvi. अपशिष्ट जल उपचार से किंलंकर सीमेंट के उत्पादन में होने वाले नुकसान को एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III के तहत उत्पादन लागत में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अपशिष्ट जल उपचार विनिर्माण प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है। टाटा केमिकल्स द्वारा अपशिष्ट जल को सीमेंट में परिवर्तित करने का विकल्प एक अलग व्यावसायिक उद्यम नहीं है, बल्कि अनुपालन का एक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीका है। इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी लागत या हानि मुख्य उत्पाद, यानी सोडा ऐश के उत्पादन से आंतरिक रूप से जुड़ी होती है और इसे परिहार्य अक्षमताएँ या असंबंधित गतिविधियाँ नहीं माना जा सकता।
- xlvii. टाटा केमिकल्स लिमिटेड के लिए डब्ल्यूआईपी को सभी चार वर्षों के लिए आनुपातिक आधार पर माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 के लिए प्रति इकाई आधार पर डब्ल्यूआईपी में उच्च नकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष में कच्चे माल की लागत सबसे कम रही, जिससे पीओआई में इस खाते पर उच्च मानकीकरण हुआ।
- xlviii. सघन सोडा ऐश में कैप्टिव उपभोग के लिए सोडा ऐश की स्व-उपभोग की मात्रा को वर्तमान में विचाराधीन WIP आंकड़ों से घटाया जाना चाहिए। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रमाणीकरण भी प्रदान किया है।

३. प्राधिकरण द्वारा जांच

130. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात की गई टिप्पणियों की जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि ये टिप्पणियाँ, जो पुनरावृत्त हैं और जिनकी इस अंतिम निष्कर्ष के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पहले ही समुचित रूप से जाँच की जा चुकी है और जिनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात की गई जाँच में दोहराई नहीं जा रही हैं। हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए उन मुद्दों के अलावा, जिनकी विस्तार से जाँच की गई है और जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, नीचे उनकी जाँच की गई है।
131. यह तर्क कि बारह महीने से कम की प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) त्रुटिपूर्ण है, इसके चयन के अंतर्निहित तर्क को नजरअंदाज करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई, पाटन की मौजूदगी और उससे हुई क्षति, दोनों को स्थापित करने और फलस्वरूप ऐसी क्षति से निपटने के लिए शुल्क की उचित मात्रा, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस निष्कर्ष में दर्शाया गया है, अक्टूबर 2023 के बाद से आयात कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई, साथ ही आयात मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अवधि से पहले के महीनों को शामिल करने से निर्यातकों के वास्तविक पाठित और क्षतिकारी व्यवहार का पता नहीं चलता और इसलिए विश्लेषण विकृत हो जाता।
132. जबकि आवेदकों ने शुरू में छह महीने की जांच अवधि का प्रस्ताव रखा था, प्राधिकारी ने निर्यातिक व्यवहार की व्यापक जाँच करने और अधिक व्यापक एवं संतुलित विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए इसे तीन महीने और बढ़ा दिया। यह दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं का समाधान करता है, साथ ही उस अवधि को भी दर्शाता है जिसमें वास्तव में पाटन और क्षति हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि एडीडी नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि जाँच शुरू करते समय जांच अवधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियम निर्दिष्ट प्राधिकारी को जाँच के दौरान आवश्यकतानुसार अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ-साथ घरेलू उद्योग से अनुपूरक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत करता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद भी जांच अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी का एकमात्र दायित्व और हितबद्ध पक्षों का अधिकार हितबद्ध पक्षों को बचाव का पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को ऐसा अवसर प्रदान किया है।
133. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि हितधारक पक्षों को प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, यह नोट किया जाता है कि आवेदन के अगोपनीय संस्करण को जांच की शुरुआत के चरण में प्रसारित किया गया था, जिसमें आवेदक की ओर से एक विशिष्ट परिशिष्ट शामिल था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि का हिस्सा क्यों नहीं माना जा सकता। इसके बाद, दो मौखिक सुनवाइयाँ हुईं, जिसके बाद हितधारक पक्षों द्वारा लिखित और प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दी गईं। इन कार्यवाहियों के दौरान, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में जुलाई-सितंबर 2023 को शामिल करने की अनुपयुक्तता पर अपनी स्थिति दोहराई। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि हितधारक पक्षों को प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का पर्याप्त अवसर मिला।
134. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की छोटी अवधि अपनाने का औचित्य जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करते समय घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों की विधिवत जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल नहीं किया जाए। इसे केस फाइल में दर्ज किया गया है। जांच की शुरुआत की अधिसूचना में ऐसे कारणों को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल लिखित में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है और ऐसा ही किया गया है। इसके अतिरिक्त, जांच शुरू करने की सार्वजनिक सूचना में ऐसे कारण दर्ज करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 12 के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के चरण में, यदि कोई हो, या नियम 17 के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी करने के चरण में सार्वजनिक सूचना में ऐसे कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।
135. किसी भी स्थिति में, सार्वजनिक आरंभिक अधिसूचना में इन कारणों को शामिल न करने से किसी भी तरह से संबंधित पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जाँच अवधि के चयन का औचित्य जाँच के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और प्रकटीकरण विवरण के साथ-साथ इन अंतिम निष्कर्षों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए, प्राधिकारी एडीडी नियम 5(3 ए)(ii) के अंतर्गत आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप है।

136. इस तर्क के संबंध में कि व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12.05.2004 के तहत निर्धारित क्षति अवधि का उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी को ऐसा कोई उल्लंघन नहीं मिला। अक्टूबर 2023 से जांच अवधि शुरू करने की उपयुक्तता निर्धारित करने के बाद, प्राधिकारी ने उक्त व्यापार सूचना के प्रावधानों के अनुरूप, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2022-23) में शामिल कर लिया। इससे क्षति अवधि की निरंतरता सुनिश्चित हुई और क्षति अवधि के भीतर किसी भी अंतराल से बचा जा सका, जिससे व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के साथ पूर्ण अनुरूपता बनी रही।
137. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि नियम 2(ख) यह अधिदेश देता है कि किसी निर्यातिक से संबंधित घरेलू उत्पादक स्वतः ही अपात्र हो जाता है, प्राधिकारी को ऐसा दावा कानूनी आधारहीन लगता है। नियम 2(ख) प्राधिकारी को उन उत्पादकों को अपात्र घरेलू उत्पादक मानने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जिन्होंने स्वयं विषयगत वस्तुओं का आयात किया है, या जो विषयगत वस्तुओं के आयातक या निर्यातिक से संबंधित हैं। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड के संबंधित निर्यातिकों की निर्यात मात्रा की जांच की। यह स्पष्ट किया जाता है कि टाटा केमिकल्स के संबंधित पक्षों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विषयगत वस्तुओं का निर्यात नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष अर्थात् एसवीएम ने जांच की अवधि में स्वतंत्र ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन का निर्यात किया था। इसके अलावा, इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि को जानबूझकर छोटा किया गया था ताकि निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष द्वारा किए गए निर्यात की अवधि को बाहर रखा जा सके, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, वास्तव में, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि के दौरान ऐसे संबंधित निर्यातिक द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया था। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि निरमा का ध्यान घरेलू बाजार में आयातित वस्तुओं को पेश करने पर नहीं है, न ही उसका संबंधित निर्यातिक अपने निर्यात के माध्यम से भारतीय बाजार को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
138. हितबद्ध पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच की विस्तारित अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन/वचनबद्धता/घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन के साथ सभी घोषणाएं प्रस्तुत की थीं जो जांच प्रारंभ करने का आधार बनीं। यह नोट किया जाता है कि ये घोषणाएं सभी हितबद्ध पक्षकारों से ली गई हैं, और यह घोषणा जांच की पूरी अवधि के लिए वैध है, चाहे जांच की अवधि बाद में बढ़ाई जाए या नहीं। इन सत्यापनों/निरीक्षणों का उद्देश्य पक्षों द्वारा किए गए दावों की सटीकता की जांच करना और पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और सूचनाओं को प्रमाणित करना है। विस्तारित जांच की अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन प्रदान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आवेदन में आवश्यकताएं केवल आवेदन में प्रदान किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए हैं कि जहां लागू हो, डिंपिंग, क्षति के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, और जहां लागू हो, ऐसे डंप किए गए आयातों और कथित क्षति के बीच एक कारण संबंध है, जो जांच शुरू करने का औचित्य साबित करता है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने साक्ष्यों से " प्रथम द्रष्टव्य " संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में शामिल संबंधित पक्षों के अभिलेखों का सत्यापन किया है। इस प्रकार, अब केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया जा सकता है।
139. के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संशोधित अगोपनीय सूचना विलंब से प्रस्तुत की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूसरी मौखिक सुनवाई संशोधित आंकड़ों के प्रसारित होने के बाद ही आयोजित की गई थी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पक्षों को सुनवाई के दौरान और उनके लिखित एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के माध्यम से संशोधित सूचना पर अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। इन परिस्थितियों में, संशोधित प्रस्तुतियों के समय के कारण इच्छुक पक्षों द्वारा किसी पूर्वाग्रह का दावा उचित रूप से नहीं किया जा सकता है।
140. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में अंतर है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। इसके बावजूद, कुल मांग में आयात का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। यह नोट किया जाता है कि ऐसा घरेलू आपूर्ति में किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि भारी मात्रा में पाटित आयातों के कारण है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसे अपनी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेची जा रही कीमत से कम कीमत पर भी निर्यात की ओर मोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटित आयातों में वृद्धि के साथ ही जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची में भी वृद्धि हुई है।

141. इस निवेदन के संबंध में कि आयात मूल्यों में अस्थायी गिरावट आयात मूल्यों में वास्तविक कमी के बजाय डाउनस्ट्रीम उत्पाद उद्योग में गड़बड़ी के कारण थी, यह नोट किया जाता है कि भारत में विषयगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विदेशी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े निर्यात मूल्य की तुलना में घरेलू मूल्य में काफी अधिक दर्शते हैं। इसलिए, कांच उद्योग में संभावित गड़बड़ी से भारत में विषयगत वस्तुओं की मांग प्रभावित नहीं हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि कांच उद्योग को एंटी-डंपिंग या प्रतिकारी शुल्कों के माध्यम से व्यापार उपचारात्मक उपाय के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि विषयगत वस्तुओं के अन्य प्रमुख उपभोक्ता, डिटर्जेंट उद्योग ने विषयगत वस्तुओं के आयात मूल्य में गिरावट के अनुसार मूल्य निर्धारण में कोई गिरावट नहीं दिखाई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि सोडा ऐश की कीमत में वृद्धि के साथ डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ीं, जबकि विषयगत वस्तुओं की कीमतों में कमी के साथ, डिटर्जेंट की कीमतों में कोई तदनुरूप कमी नहीं हुई।
142. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि विषयगत वस्तुओं का आयात 20,108 रुपये प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के अधीन है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी, यह ध्यान देने योग्य है कि उत्पाद के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) केवल 31 दिसंबर, 2025 तक ही है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एमआईपी वर्तमान में निर्धारित एमआईपी से बहुत अधिक है। यदि आयात न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) पर भी होता है, तो भी यह घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होगा। उत्पाद के डंप किए गए और हानिकारक आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए एमआईपी निर्धारित किया गया था। चूंकि न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) केवल 31 दिसंबर, 2025 तक ही प्रभावी है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए एमआईपी के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार करते समय, वर्तमान में अनुशंसित एडीडी (पाठनरोधी शुल्क) पर विचार करेंगे।
143. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन जांच अवधि सहित संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ा है, यह नोट किया जाता है कि हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई है, मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम हुआ है। इसके अलावा, जांच अवधि में उत्पादन में वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात बिक्री में गया। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा जांच अवधि में 19% से बढ़कर 27% हो गया, जो 8% की वृद्धि दर्शाता है, घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई हिस्सेदारी की लगभग समान हानि। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में भी यही पैटर्न उभरता है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों ने घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को अपने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है, इस प्रकार देश में पाठन के परिणामस्वरूप प्रतिकूल मूल्य प्रभाव स्थापित हुआ है।
144. इस तर्क के संबंध में कि एमआईपी ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया, यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित एमआईपी उसकी क्षति-रहित कीमत से कम है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के आँकड़े दर्शते हैं कि एमआईपी लागू होने के बावजूद, संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।
145. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य, पीबीआईटी, मूल्यहास से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है, प्राधिकरण ने नोट किया कि विक्रय मूल्य, ब्याज और कर-पूर्व लाभ, और मूल्यहास जैसी जानकारी घरेलू उद्योग के मूल्य निर्धारण और लागत संरचना से संबंधित है, जो व्यवसाय-संवेदनशील जानकारी है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा इसे गोपनीय बताया गया था और प्राधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। इसलिए, इस वास्तविक जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता।
146. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश समान वस्तु नहीं हैं, प्राधिकारी ने पहले नोट किया था कि उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। हालांकि सोडा ऐश के दो रूपों को प्राप्त करने के स्रोत अलग-अलग हैं, हालांकि, दोनों स्रोतों से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक गुण और विनियोगता में कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता उद्योग द्वारा उनका परस्पर उपयोग किया जाता है। प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2012 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2020-डीजीएडी के तहत विषयगत वस्तुओं पर अपनी पिछली जांच में उल्लेख किया था कि अंतर उत्पादन प्रक्रिया प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश को असंबद्ध वस्तुओं के रूप में नहीं पेश कर सकती है।

147. यह तर्क दिया गया है कि प्राकृतिक सोडा ऐश, सिंथेटिक सोडा ऐश की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन के कारण, पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ है। सिंथेटिक सोडा ऐश के बारे में दावा किया जाता है कि यह तीन गुना अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। इसके जवाब में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि कार्बन उत्सर्जन या पर्यावरणीय विशेषताओं में अंतर उत्पाद की मूल प्रकृति को नहीं बदलता है, न ही यह प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच अदला-बदली को प्रभावित करता है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि सोडा ऐश, चाहे वह किसी भी मूल का हो, डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो घरेलू नियामक प्रावधानों के अस्तित्व को इंगित करते हों जो एक प्रकार के दूसरे प्रकार के उपयोग को प्रतिबंधित या हतोत्साहित करते हों, या जो किसी विशेष प्रकार के सोडा ऐश को बढ़ावा देते हों।
148. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग के मूल्यहास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह ध्यान देने योग्य है कि जीएसीएल ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है और इसके अतिरिक्त, आरएसपीएल, जो घरेलू उद्योग के अन्य घटकों की तुलना में बाजार में एक नई प्रवेशिका है, ने अपनी घरेलू विक्री में वृद्धि की है। चूँकि मूल्यहास आनुपातिक आधार पर आवंटित किया गया है, इसलिए क्षति अवधि के दौरान मूल्यहास में वृद्धि देखी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि जांच अवधि में प्रति इकाई नकद लाभ में वास्तव में गिरावट आई है।
149. हितबद्ध पक्षों ने क्षति-रहित मूल्य की गणना के संबंध में विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी हैं। इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि 22% का प्रतिफल उचित नहीं है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उन्होंने लगातार 22% नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की अनुमति दी है। हितबद्ध पक्षों द्वारा इस पद्धति से विचलन का कोई औचित्य नहीं दिया गया है और इसीलिए वर्तमान जाँच में भी इसे अपनाया गया है।
150. यह तर्क कि कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी, यदि एडीडी लगाया जाता है तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ जाएँगी, त्रुटिपूर्ण है। संबंधित वस्तुओं की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर एडीडी का कोई भी प्रभाव न्यूनतम है और डाउनस्ट्रीम उत्पाद की सामर्थ्य को प्रभावित किए बिना इसे अवशोषित या हस्तांतरित किया जा सकता है।
151. जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड को उपयोगिता-संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा प्रभावित हुई और इसलिए माना गया जांच की अवधि उपर्युक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और विशेष रूप से टाटा केमिकल्स का उत्पादन जांच की अवधि में बढ़ा है। हितबद्ध पक्ष द्वारा संदर्भित सम्मेलन की प्रतिलिपि से यह भी पता चलता है कि यह कहा गया था कि बाजार कारकों के कारण प्रतिकूल मूल्य आंदोलन के बावजूद विक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसी तरह, इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को उत्पादन में रुकावटों का सामना करना पड़ा, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा संदर्भित सम्मेलन की प्रतिलिपियों में से एक जांच की अवधि से पहले की है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा सत्यापित जानकारी से पता चलता है कि जांच की अवधि में कोई असामान्य शटडाउन नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन खातों पर अन्य हितबद्ध पक्ष के दावों में कोई योग्यता नहीं है।
152. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कोविड-19, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण तुलना अविश्वसनीय होने के तर्के के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि ये घटनाएँ जांच की अवधि से पहले के वर्षों में हुई थीं। वर्तमान जाँच में चयनित जांच की अवधि आधार वर्ष और पूर्व अवधियों के साथ एक सार्थक तुलना की अनुमति देती है। जांच की अवधि का चयन उपर्युक्त घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है। वास्तव में, यह देखा गया है कि जिन अवधियों में ये घटनाएँ हुईं, उनमें घरेलू उद्योग का प्रदर्शन जांच की अवधि की तुलना में बेहतर था, जो दर्शाता है कि इन घटनाओं का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्युत्तर देने वाले नियांतकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन दर्शते हैं।
153. ईटीआई सोडा और कज्जान के लिए पहुँच मूल्य की गणना के संबंध में, यह नोट किया गया है कि नियांत मूल्य के समायोजन के दावे बिना साक्ष्य के प्रस्तुत किए गए थे। सीआईएफ, सीएफआर और एफओबी मूल्य से नियांत मूल्य निकालने के लिए, माल दुलाई और अन्य बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, अंतर्रेशीय माल दुलाई और बीमा पर विचार किया जाना है। हालाँकि, इस संबंध में किसी भी जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने ईटीआई सोडा और कज्जान के अन्य संबंधित पक्षों के लिए समायोजन के औसत मूल्य पर विचार किया, जिसके लिए साक्ष्य उपलब्ध थे। सीआईएफ

मूल्य को ध्यान में रखते हुए पहुँच मूल्य की गणना की गई है। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पहुँच मूल्य और प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दावा किए गए आंकड़े के बीच का अंतर इन समायोजनों के विचार के कारण है।

154. इस तर्क के संबंध में कि डिटर्जेंट आपूर्तिकर्ता सीमित मार्जिन पर काम करते हैं और शुल्क लगाने से लागत बढ़ेगी, भारत के डिटर्जेंट क्षेत्र के लिए सोडा ऐश आपूर्ति शृंखला बाधित होगी, और अंततः अंतिम उपभोक्ता पर 3.49% प्रभाव पड़ेगा, यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग में उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। वास्तव में, ऐसी मांग का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा रहा है। तदनुसार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) के प्रभाव और, विस्तार से, उपभोक्ताओं पर, आनुपातिक रूप से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि खरीद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसे शुल्क के भुगतान के बिना किया जाता है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण में बड़ी हुई लागत पर 20% लाभ मार्जिन शामिल है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ इस अनुमानित मार्जिन से काफी कम है।
155. तुर्की सरकार ने दावा किया है कि प्रकटीकरण विवरण में विषयगत देश के दायरे में यूएई को शामिल करना कानूनी आधार के बिना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विषयगत देश ईरान है। प्राधिकारी ने आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है कि ईरान में उत्पन्न होने वाले माल को यूएई द्वारा ट्रांसशिप किया जा रहा है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईएचएस मार्किट रिपोर्ट, दिसंबर, 2020 से ग्लोबल सोडा ऐश मासिक रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, जो दर्शाता है कि यूएई में वास्तव में सोडा ऐश के उत्पादक नहीं हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वास्तव में यूएई के माध्यम से आने वाले आयात वास्तव में ईरानी मूल के सोडा ऐश हैं। प्राधिकारी ने आवेदक कंपनियों में से एक द्वारा भेजे गए आईएचएस मार्किट कार्मिक के ईमेल संचार को भी नोट किया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यूएई में उत्पादक नहीं हैं और केवल ईरानी उत्पादों को रूट किया जाता है।
156. घरेलू उद्योग ने क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय मालभाड़े को शामिल करने के अपने दावे को दोहराया है। प्राधिकरण अपने इस निर्णय को कायम रखते हैं कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय, बिना मालभाड़े के उत्तराई मूल्य की तुलना एनआईपी के साथ समान स्तर पर करना प्राधिकरण की सतत प्रथा है। इस मामले में भी यही पद्धति अपनाई गई है।
157. टाटा केमिकल्स के लिए डब्ल्यूआईपी में परिवर्तन पर विचार करने संबंधी चिंता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण की सतत प्रथा के अनुसार, घरेलू उत्पादक द्वारा डब्ल्यूआईपी पर विचार हेतु दी गई सूचना पर एनआईपी निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस दावे के संबंध में कि सघन सोडा ऐश में कैप्टिव उपभोग के लिए सोडा ऐश के स्व-उपभोग को डब्ल्यूआईपी आंकड़ों से घटाया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करते हैं कि प्रकटीकरण जारी होने के बाद पहली बार इस तरह का अनुरोध उनके ध्यान में लाया गया है। इस प्रकार, इस दावे का सत्यापन नहीं किया जा सका।
158. इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी का निर्धारण करते समय कैप्टिव खपत पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि प्रत्येक आवेदक की एनआईपी के साथ-साथ समग्र रूप से आवेदकों की भारित औसत एनआईपी की गणना प्राधिकरण द्वारा लगातार अपनाई गई पद्धति के अनुसार की गई है।
159. इस दावे के संबंध में कि किंलंकर उत्पादन में टाटा केमिकल्स द्वारा उठाए गए नुकसान को अनुबंध III के अंतर्गत लागत का निर्धारण करते समय शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि किंलंकर और सीमेंट के नुकसान के लिए दावा की गई लागत को विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनपीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त अपशिष्ट पदार्थ/स्क्रैप एनपीयूसी के लिए कच्चा माल बन गया। इस प्रकार, इस मद में कोई भी नुकसान एनपीयूसी से संबंधित है।

ण. निष्कर्ष और सिफारिश

160. प्रस्तुत किए गए निवेदनों और उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर; तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
 - i) विचाराधीन उत्पाद का दायरा रूस, ईरान, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न या वहां से निर्यातित “सोडा ऐश” है।

- ii) विषयगत वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत कोड 283620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii) प्राधिकरण ने प्राकृतिक सोडा ऐश के बहिष्करण अनुरोध और सघन एवं हल्के सोडा ऐश के लिए पीसीएन पद्धति अपनाने से संबंधित प्रस्तुतियों की जाँच की है। तदनुसार, अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी और इस प्राधिकरण के पिछले निर्धारणों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान जाँच में बहिष्करण अनुरोध और पीसीएन पद्धति के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। कारण अज्ञात
- iv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पाठनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से आयातित की जा रही विषयगत वस्तुओं के समान वस्तु हैं।
- v) यह आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले उत्पादक मेसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मेसर्स निरमा लिमिटेड, मेसर्स आरएसपीएल लिमिटेड, मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स जीएचसीएल लिमिटेड हैं।
- vi) मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स निरमा लिमिटेड, दोनों का अमेरिका में एक-एक संबंधित निर्यातिक है। तदनुसार, जाँच की अवधि के दौरान उनसे निर्यात की मात्रा का सत्यापन किया गया। मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, यह पाया गया कि जाँच की अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ। मेसर्स निरमा लिमिटेड के मामले में, जाँच की अवधि में निर्यात सीधे अंतिम ग्राहक को किया गया था, इसके अलावा, यह मात्रा मेसर्स निरमा लिमिटेड के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ भारत में कुल आयात के संदर्भ में नगण्य थी। इस प्रकार, नियम 2(ख) के अनुसार उत्पादकों को पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है।
- vii) रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंड को पूरा करता है।
- viii) हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों का विरोध किया गया। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा अनुवर्ती संशोधन के बाद, प्राधिकारी उनके दावों से संतुष्ट हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।
- ix) घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच में 6 महीने की अवधि को जाँच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया था और अप्रैल-सितंबर 2023 को जाँच अवधि के भाग के रूप में न मानने के कारण प्रस्तुत किए थे क्योंकि यह पाटित आयातों से होने वाली क्षति को प्रतिबिंबित नहीं करता था। प्रस्तुत तर्क उचित पाया गया, तथापि, क्षति पहुँचाने वाले पाठन के व्यापक विश्लेषण के लिए जाँच में 9 महीने की जाँच अवधि को उपयुक्त माना गया है।
- x) सहकारी उत्पादकों/निर्यातिकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन, साथ ही गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातिकों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित मार्जिन, नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर हैं।
- xi) विचाराधीन उत्पाद को भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर और महत्वपूर्ण है।
- xii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझा है।
- xiii) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई।
- xiv) आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में संबद्ध आयातों में 86% की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में यह दोगुना हो गया है। सापेक्षिक दृष्टि से भी जाँच अवधि में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- xv) आयात मूल्य और घरेलू उद्योग की कीमतों के विश्लेषण से पता चलता है कि मूल्य में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- xvi) हालाँकि पहले बिक्री मूल्य लागत से ज्यादा बढ़े थे। लेकिन, जाँच अवधि के दौरान, बिक्री मूल्य लागत की तुलना में अनुपातहीन रूप से गिर गए। इसके साथ ही, घरेलू उद्योग को भी कीमतों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है।

- xvii) प्राधिकरण ने भौतिक क्षति के आकलन हेतु प्रासंगिक सभी आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जाँच की है। विश्लेषण से पता चलता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान भारत में सोडा ऐश की माँग में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिल पाया है। इसके बजाय, उसे बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट, लाभप्रदता और निवेश पर लाभ में गिरावट, माल-सूची में वृद्धि और नकदी प्रवाह में कमी का सामना करना पड़ा है।
- xviii) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिग्रस्त कीमत और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करने पर यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।
- xix) गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथा उसे पाठित आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है।
- xx) प्राधिकरण को घरेलू उद्योग की सुरक्षा, उपभोक्ता और जनहित में संतुलन बनाए रखते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग उपाय आवश्यक लगते हैं। यह पाया गया है कि एडीडी का डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंततः अंतिम उपभोक्ता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
161. पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच आरंभ करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी, विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
162. अपनाएं गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विषयगत देशों में मूल की या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और विषयगत देशों में मूल की या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

एस. एन.	शीर्षक	विवरण	उद्भव देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2836.20	सोडा ऐश (डिसोडियम कार्बोनेट)	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान सहित कोई भी देश	ईटीआई सोडा यूरेटिम पज्जारलामा नकलियत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सनायी वे टिकारेट ए.एस.	69	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
					मैरसस कज्जान सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.			
2.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान सहित कोई भी देश	तुर्की सिस और कैम फैब्रिकालारी अनाम सिरकेटी	17	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
3.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की सहित कोई भी देश	एसएन 1 और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	113	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
4.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और	तुर्की	कोई	113	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

			ईरान के अलावा कोई भी देश					
5.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बशिकर सोडा कंपनी	40	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
					ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेजिनकी सोडा फैक्ट्री			
6.	-वही-	-वही-	रूस	रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान सहित कोई भी देश	एसएन 5 के अलावा कोई भी निर्माता	89	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
7.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई	89	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
8.	-वही-	-वही-	यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	27	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
9.	-वही-	-वही-	यूएसए	रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान सहित कोई भी देश	एसएन 8 के अलावा कोई भी निर्माता	79	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
10.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	यूएसए	कोई	79	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
11.	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान सहित कोई भी देश	कोई	88	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
12.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा	ईरान	कोई	88	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

			कोई भी देश					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

नोट: यदि आयात संयुक्त अरब अमीरात से होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी विषयगत वस्तुओं के मूल का सत्यापन कर सकते हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

163. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 29th September, 2025

Case No. AD (OI) – 29/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Soda Ash" originating in or exported from Turkey, Russia, USA and Iran.

F.No. 6/31/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act'), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the 'AD Rules' or the 'Anti-dumping Rules' or the 'Rules') thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

- Whereas, Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) (hereinafter referred to as the 'Applicant' or 'Applicant Association') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the DCW Ltd., Nirma Ltd., RSPL Ltd., Tata Chemicals Limited., and GHCL Ltd. (hereinafter referred to as the 'Applicant Companies'), in accordance with the Act and the Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Soda Ash" (hereinafter referred to as "subject goods") originating in or exported from Russia, Turkey, USA and Iran (hereinafter referred to as the "subject countries") and has requested the imposition of anti-dumping.
- And whereas, the Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide notification no. 06/31/2024- DGTR dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. HISTORY OF INVESTIGATIONS

- There has been a history of anti-dumping investigations and measures imposed on Soda Ash from various countries. The first anti-dumping investigation was initiated on 5th July 1999 and was concluded, and duties were recommended vide final findings No. 12/1/99-DGAD, dated 11th July 2000, against imports of Soda Ash from China PR. The duties were imposed vide Notification No. 107/2000- Customs, dated 4th August 2000.
- Thereafter, there was a safeguard duty recommended through final findings No. G.S.R. 725 (E) dated 6th October 2009, which was imposed through Notification No. 122/2009-Customs dated 5th November 2009.

5. An anti-dumping investigation was then initiated on 20th August 2010, which was concluded, and duties were recommended vide final findings No. 14/17/2010- DGAD dated 17th February 2012, against imports of Soda Ash from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine, and the USA. These duties were imposed vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD) dated 3rd July 2012. The Authority then discontinued these duties vide the final findings No. 7/5/2017- DGAD dated 14th December 2018 in the sunset review investigation.
6. Separately, an anti-dumping investigation was initiated on 10th February 2012 which was concluded, and duties were recommended vide final findings No. 14/3/2011- DGAD dated 9th February 2013, against imports of Soda Ash from Turkey and Russia. These duties were imposed vide Notification No. 8/2013- Customs (ADD) dated 18th April 2013. The Authority then discontinued these duties vide the final findings No. 7/4/2018-DGAD dated 14th March 2019 in the sunset review investigation.

C. **PROCEDURE**

7. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - ii. The Authority issued a notification dated 30th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. In accordance with Rule 6(2), the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject countries in India and known producers and exporters from the subject countries.
 - iv. The Authority also provided a copy of the initiation notification to the known importers/users in India who are known to be associated with the subject goods, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - v. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the nonconfidential version of the application was circulated to the other interested parties.
 - vi. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers/exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - vii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - a. Abadan Sulfurin Company
 - b. Kaveh Soda Chemical Industries Co.
 - c. Semnan Soda Ash Co.
 - d. Shiraz Petrochemical Company
 - e. M/s Trade House Ltd (Bashkirian Chemistry)
 - f. Open Joint Stock Company “Berezniki Soda Works”
 - g. JSC Bashkirian Chemistry
 - h. SASS SODA ASH SALES & SERVICES
 - i. M/s Public Stock Company, Crimea Soda Plant,
 - j. Eti Soda
 - k. Soda Senayii
 - l. Kazan Soda Electric
 - m. FMC Industrial Chemicals
 - n. Solvay Soda Ash
 - o. General Chemicals Industrial Products
 - p. ANSAC
 - q. FMC Corporation

- r. CINER Resources LP
 - s. Ciner Wyoming LLC
 - t. Ciner Resources corporation
- viii. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
- a. Limited Liability Company Trade House “Bashkirian Chemistry” Russia
 - b. Joint Stock Company “Bashkir Soda Company” Russia
 - c. Joint Stock Company “Berezniki Soda Factory” Russia
 - d. Dmc Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S.
 - e. Pacific Waters Dmcc
 - f. Pontus Trading Dmcc
 - g. Tutti Dmcc
 - h. Sisecam DIS Ticaret A.S.
 - i. Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS.,
 - j. Uniworld Global FZCO
 - k. Sisecam Wyoming LLC
 - l. Kempar Energy PTE Ltd
 - m. Hiranyavarnam Chemicals and Alkalies PTE Ltd
 - n. ADV International FZCO
 - o. AG Ciner Ithalat Ihracat ve Ticaret AS
 - p. ETI Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ
 - q. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ
 - r. Soda World Ltd.
 - s. U G Impex General Trading LLC, UAE
 - t. Uniworld Global FZCO
 - u. WE IC ve DIS Ticaret AS.
- ix. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- a. Gujarat Guardian Ltd
 - b. Advance Surfactant India Ltd.
 - c. Float Glass India Ltd.
 - d. A.R. Stanchem Pvt. Ltd.
 - e. Alenbic Glass Industries Ltd
 - f. Hind Silicates Pvt. Ltd.
 - g. Deepak Nitrite Ltd.
 - h. Taurus Chemical (P) Ltd
 - i. Hindustan National Glass & Ind. Ltd.
 - j. Kishoresons Detergents Pvt. Ltd.
 - k. Hindustan Unilever Ltd.

1. J.J. Patel Industries
 - m. Procter & Gamble Hygiene & Health Care
 - n. Shriram Bharath Chemical & Detergents (P) Ltd
 - o. Albright Morarji & Pandit Ltd.
 - p. Modern Glass Industries
 - q. Advatech Industries Pvt. Ltd.
 - r. Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd. Wares Pvt. Ltd
 - s. U.P. Glass Manufacture Syndicate
 - t. Paragati Galss Pvt. Ltd.
 - u. Asahi India Glass Limited
 - v. Gora Mal Hari Ram Ltd.
 - w. Fena (P) Ltd.
 - x. Rohit Surfactants (P) Ltd.
 - y. Shree Unicon Organics P. Ltd.
 - z. Astral Glass Pvt. Ltd.
 - aa. Pollachi Chamber Of Commerce & Industry
 - bb. Bdj Glass Industries Pvt. Ltd
 - cc. Vasunhara Rasayan Ltd.
 - dd. Shri Hari Industries,
 - ee. Power Soap Ltd.
 - ff. Hindustan National Glass & Industries Ltd.
 - gg. Shanti Nath Detegents (P) Ltd.,
 - hh. Jagatjit Industries Ltd.
 - ii. Advance Home & Personal Care Ltd.
 - jj. Advance Surfactants India Ltd.
 - kk. S. Kumar Detergent P. Ltd.
 - ll. Mauli Exports
- x. The following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:
- a. Aarna International
 - b. Libra Alkalischemie Pvt Ltd
 - c. Sisecam Flat Glass India Private Limited
 - d. PGP Glass Private Limited
 - e. Agi Greenpac Limited
 - f. Hindustan Unilever Limited
- xii. Other than the aforementioned known importers/users, Saint Gobain India and All India Federation of Soaps, Detergents and Homecare Products' Manufacturers did not file their importers questionnaires response but filed their submissions.
- xiii. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted by 04th January, 2025 by the following parties:
- a. Limited Liability Company Trade House "Bashkirian Chemistry" Russia
 - b. Joint Stock Company "Bashkir Soda Company" Russia

- c. Joint Stock Company “Berezniki Soda Factory” Russia
 - d. Dmc Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S.
 - e. Pacific Waters Dmcc
 - f. Pontus Trading Dmcc
 - g. Tutti Dmcc
 - h. Sisecam DIS Ticaret A.S.
 - i. Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS.,
 - j. Uniworld Global FZCO
 - k. Sisecam Wyoming LLC
 - l. Kempar Energy PTE Ltd
 - m. Hiranyavarnam Chemicals and Alkalies PTE Ltd
 - n. ADV International FZCO
 - o. AG Ciner Ithalat Ihracat ve Ticaret AS
 - p. ETI Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 - q. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş
 - r. Soda World Ltd.
 - s. U G Impex General Trading LLC, UAE
 - t. Uniworld Global FZCO
 - u. WE IC ve DIS Ticaret AS.
 - v. Aarna International
 - w. Libra Alkalischemie Pvt Ltd
 - x. Sisecam Flat Glass India Private Limited
 - y. PGP Glass Private Limited
 - z. Agi Greenpac Limited
 - aa. Hindustan Unilever Limited
- xiii. The applicant proposed the Period of Investigation (POI) as 1st October 2023 to March 31st 2024 (6 months), however, the period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation was adopted as 1st October 2023 to 30th June 2024 (9 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 30th September 2023 and the period of investigation.
- xiv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. For the purpose of the final findings, the Authority has relied upon the transaction wise DGCI&S import data.
- xv. The Authority vide para 5 of the initiation notification dated 30th September 2024 granted an opportunity to the interested parties to present their comments on the scope of the product under consideration within 15 days of the initiation, which ended on 29th October 2024 post an extension granted by the Authority upon request of an interested party. All the submissions made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration or for the construction of PCN which were received within such time period were considered. The Authority held a discussion on 19th November 2024 with all the interested parties to discuss the product under consideration and the PCNs. After receiving inputs from the interested parties, the Authority vide notification dated 4th December 2024 clarified the scope of the PUC.
- xvi. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xvii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing on 11th April 2025. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- xix. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 22nd July 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The interested parties were requested to submit their written submissions by 28th July 2025 and rejoinder submissions by 5th August 2025.
- xx. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xi. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to final findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- xxiii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 21st September 2025. The interested parties were allowed time up to 26th September 2025 to comment on the same. The disclosure on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in these final findings.
- xxiv. ‘****’ in this Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 84.14.

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 8. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

“The product under consideration is "Disodium Carbonate", also popularly known as "Soda Ash" having formula as Na₂CO₃. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. it is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is the bulk density. It can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same and the application filed by the applicant includes all types and form of Soda Ash.

The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.”

- 9. Various comments on the scope of the PUC and the PCN methodology were received from the interested parties. A meeting to discuss the same was held on 19th November 2024. The following are the comments received from interested parties with regards to scope of PUC, and PCN methodology.

D.1. Submissions by other interested parties

- 10. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. Natural Soda Ash is not made in India and in view of the same natural soda ash should be excluded from the scope of the PUC in the present investigation.
 - ii. Natural soda ash is produced in a fundamentally different method than synthetic soda ash, requiring mining and processing of ores. In contrast, synthetic soda ash production uses the Solvay process which uses salt and lime as raw materials and then undergoes treatment.

- iii. There is difference in the cost of the forms of Soda Ash – Light and Dense. The same requires the adoption of a PCN methodology.
- iv. There is a difference in the price of Light and Dense Soda Ash. The same has also been differentiated as per the cost audit report.
- v. All manufacturers of the PUC do not necessarily produce both dense and light soda ash.
- vi. Dense soda ash is preferred in sectors like glass while light soda ash is used in sectors like detergent.
- vii. There is difference in Natural and Synthetic Soda Ash also. The price difference is on account of the raw material cost. The same warrants adoption of a PCN methodology.
- viii. Natural Soda Ash is environmentally friendly with lower carbon emissions while Synthetic Soda Ash is energy intensive and having about 3 times more carbon emissions. This makes synthetic soda ash much more expensive.
- ix. The denial of PCN approach is likely to distort the comparison of domestic and imported product. Natural soda ash should be excluded as it is different and not produced by the DI. There ought to be a correct comparison between dense and light and synthetic and natural soda ash.
- x. The cost of production of synthetic soda ash is higher when compared to natural soda ash. Not treating them separately would result in incorrect determinations of non-injurious price and normal value, thereby leading to incorrect margin calculations.

D.2. Submissions by the domestic industry

- 11. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The consumers are interchangeably using the natural and synthetic soda ash. While it is admitted that the sources of the two forms of Soda Ash are different however, the technical and chemical properties and the interchangeability of Soda Ash derived from either of the sources does not differ.
 - ii. Natural and synthetic soda ash are identical in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Resultantly, they are used interchangeably by the consumer industry.
 - iii. The cost difference between light and dense soda ash is below 5%. The domestic industry has provided its cost audit report demonstrating the difference in cost of light and dense soda ash. Since the said difference is below 5%, it would be inappropriate to frame separate PCN.
 - iv. The costs for dense soda ash and light soda ash are reported separately only because they are defined under different chapter headings in the Central Excise Tariff Act (CETA). Dense and light soda ash can be imported under various codes, however importing of goods under various codes does not make the product different.
 - v. The Authority in its past investigations such as Final Findings No. 14/17/2020-DGAD dated 17th February 2012, and Final Findings No 14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013 has repeatedly held that the difference in the price and the cost of both forms of Soda Ash is minimal and negligible. There forms no reason for the Authority to deviate from its past practice of investigation in the subject goods.
 - vi. The origin of soda ash alone cannot be a factor warranting the adoption of a PCN Methodology when the subject goods are being used interchangeably irrespective of their source and the pricing of the subject goods also remains the same irrespective of the source of subject goods.
 - vii. Difference of lower carbon emissions and being environmentally friendly does not make the product different. Characteristically, both natural and synthetic soda ash are alike in terms of their physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The AD Rules are not designed to take measures for addressing environmental concerns. It is not appropriate to use the mechanism of the Rules to pursue objectives which it was not designed to address.
 - viii. The synthetic soda ash produced and supplied by the domestic industry constitutes like article to the imported natural soda ash. The consumers are interchangeably using the natural and synthetic soda ash. While the sources of the two forms of Soda Ash are different, however, the technical and chemical properties and the interchangeability of Soda Ash derived from either of the sources does not differ.

D.3. Examination by the Authority

12. The product under consideration in the present investigation is "Disodium Carbonate" originating in or exported from Russia, Turkey, USA and Iran. It is also popularly known as "Soda Ash" having the chemical formula as Na₂CO₃.
13. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It is produced in two forms by the Indian producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is the bulk density. Light and Dense soda ash are merely forms of the product under consideration and are the same. Further, it can be either natural soda ash or synthetic soda ash. The present investigation includes all types and forms of Soda Ash.
14. The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
15. The Authority considers as follows with regard to issues/ requests raised by the interested parties:
16. Request for exclusion of Natural Soda Ash: The Authority has examined the contention of the other interested parties that there exists a fundamental distinction between the production processes of natural and synthetic soda ash, and that Indian producers manufacture only synthetic soda ash. The domestic industry, however, has submitted that mere origin of soda ash can neither be sufficient to exclude a product, nor sufficient to be treated as a basis for adopting a PCN, since the subject goods, irrespective of source, are interchangeable in use. There is sufficient evidence on record to show that the consumers are using natural and synthetic soda ash interchangeably. Even though the two are sourced from different raw materials, the two contain the same physical and technical characteristics, are used interchangeably and are technically and commercially substitutable. They perform the same function. It has been claimed that natural and synthetic soda ash are merely two alternative sources of the same product. The Authority notes that although the product may be produced through different routes, there is no distinction in their essential characteristics, composition, or end uses. The Authority also observes that in previous investigations, no exclusions have been made on the basis of production processes or manufacturing routes of the PUC. Accordingly, the Authority concludes that the scope of the PUC covers both natural and synthetic soda ash. The Authority in the past investigation conducted had noted as below in its Final Findings No. 14/17/2020-DGAD dated 17th February 2012:

viii. As regards natural and synthetic soda ash, the Authority notes that there is no difference in natural and synthetic soda ash in terms of product characteristics, functions and uses, customs classification and pricing of the product. The only difference is in terms of the routes of manufacturing. However, the Authority further notes, difference in production process cannot render the two grades of soda ash as dislike articles, particularly when the resultant products are interchangeably used.
17. Environmental Issues between Natural and Synthetic Soda Ash: The other interested parties have submitted that natural soda ash is more friendly for the environment emitting lower carbon emissions, while synthetic soda ash emits 3 times more carbon emissions. The domestic industry has submitted that the allegation of different carbon emissions and environmentally friendly nature does not make the product different and does not deny the interchangeability of natural and synthetic soda ash. The Authority notes that the product soda ash is used interchangeably by the consumer industry. With respect to the submission regarding the environmental impact of natural soda ash in comparison to synthetic soda ash, the Authority notes that the interested parties have not shown any regulatory requirements in the Country prohibiting or discouraging use of any particular product or encouraging any particular product. Trade remedial measures do not distinguish in products based on environmental concerns. If a product is more environment friendly, it is expected to be less susceptible to dumping. The concern of the domestic industry is on dumping of the product, and not on preference of any producer or consumer. Anti-dumping investigations are designed primarily to remedy the practice of unfair trade and to provide a level playing field to the domestic industry.
18. Separate PCNs for Dense and Light Soda Ash: The other interested parties have submitted that there is a difference in cost between dense soda ash and light soda ash. The domestic industry has submitted that any difference in cost is less than 5%. With respect to the submissions that dense and light soda ash does not have a cost differential requiring separate PCN, the domestic industry has provided its cost audit report. The interested parties have

however not provided verifiable information to show cost difference between light and dense soda ash. The Authority notes that the cost audit report demonstrates that the cost difference between light and dense soda ash is less than 5%. The Authority considers a cost difference beyond 5% as mandatory before framing separate PCN for different product types. Mere existence of different product types is insufficient. Further, mere difference in prices is also not sufficient. In fact, it is seen from the sales listing of the domestic industry that there is significant difference in the prices of even light and dense soda ash sold to different customers around the same time. Further, there are also instances where light soda ash has been sold to some customer at a price higher than dense soda ash. Thus, adoption of separate PCNs for light and dense soda ash is inappropriate. Further, the Authority also notes that this issue has already been addressed in the past investigations of Soda Ash wherein the Authority has clearly held that the price difference between the two is less than 5% and does not warrant separate analysis. The Authority in the past investigation conducted had noted as below in its Final Findings No. 14/17/2020-DGAD dated 17th February 2012:

"During the course of the investigation, the interested parties have submitted that Light and Dense Soda Ash are different products due to different bulk density and not used interchangeably by the customers. They also submitted that the cost and price of the two grades are different. The Authority notes that the difference of cost and price between light and dense soda ash is negligible (about Rs 0.23 in price). Further, from the information available in the public domain it is evident that light soda ash can have usage in manufacture of sodium salts, glass, sodium silicates, bichromate, bi-carbonates, etc apart from the most common usage in the detergent sector. Similarly, while dense soda ash is used mainly for manufacturing glass, it can also find usage in manufacture of detergents, silicates, ultramarine, bi-chromate, etc. The Authority notes that both the grades of soda ash, having many common usages, are technically and commercially substitutable and therefore form part of the product under consideration. Moreover, in an earlier Final Finding in respect of imports of Soda Ash from China PR the Authority had already held light soda ash and dense soda ash as technically and commercially substitutable.

The Authority further notes that the difference in light & dense soda ash is in bulk density only. The product characteristics, production process, manufacturing technology, raw materials, manpower, functions & uses, customs classification and pricing of the light & dense soda ash are however the same, although for manufacturing dense soda ash, installation of additional equipment is required. The Authority notes that although some end applications may specifically require light or dense soda ash only, the bulk density or inability of some of the consumers to interchangeably use light and dense soda ash cannot render the two as dislike articles. These are merely two different forms of the same product.

As regards the submission for separate comparison of the two grades is concerned, the Authority notes that a separate comparison of the two grades is required to be undertaken only if the cost or price of the product varies significantly over the investigation period. However, The Authority observes that there is no consistent pattern of price difference in Light & Dense Soda Ash and therefore there is no need to determine dumping margin, non-injurious price, and injury margin etc separately. Nevertheless, the Authority has made the relevant calculations on weighted average basis."

19. Further, in its Final Findings in the anti-dumping duty investigation concerning imports of Di-sodium Carbonate (Soda Ash) originating in or exported from Turkey and Russia-reg dated 9th February 2013 bearing notification No 14/3/2011-DGAD, Authority held as below with regard to light and dense soda ash:

"8. The interested parties have submitted that Light and Dense Soda Ash are different products due to different bulk density and not used interchangeably by the customers. They also submitted that the cost and price of the two grades are different. The Authority had earlier found in the anti dumping investigations relating to imports of the subject goods from Kenya, USA, etc. that the difference of cost and price between light and dense soda ash is negligible and the information available in the public domain shows that light soda ash can be used in manufacture of sodium salts, glass, sodium silicates, bi-chromate, bicarbonates, etc. apart from the most common usage in the detergent sector. Similarly, while dense soda ash is used mainly for manufacturing glass, it can also find usage in manufacture of detergents, silicates, ultramarine, bichromate, etc. The Authority notes that both the grades of soda ash, having many common usages, are technically and commercially substitutable and, therefore, form part of the product under consideration. The Authority further notes that the difference in light and dense soda ash is in bulk density only but the product characteristics, production process, manufacturing technology, raw materials, manpower, functions & uses,

customs classification and pricing of the light and dense soda ash are, however, the same, although for manufacturing dense soda ash, installation of additional equipment is required. The Authority notes that although some end applications may specifically require light or dense soda ash, the bulk density or inability of some of the consumers to interchangeably use light and dense soda ash cannot render the two as dislike articles. These are merely two different forms of the same product.”

20. In view of the aforementioned, the Authority holds the product under consideration as below:

“The product under consideration is "Disodium Carbonate", also popularly known as "Soda Ash" having formula as Na₂CO₃. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is the bulk density. It can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same and the application filed by the applicant includes all types and form of Soda Ash.

The product under consideration is imported under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration”

21. The Authority notes that the product produced by the Applicant companies and the product under consideration imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The Authority holds that the subject goods produced by the Applicant companies is like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

E. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

E.1. Submissions by other interested parties

22. The submissions made by other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and its standing are as follows:
- i. Two of the domestic producers, Tata Chemicals Limited and Nirma Ltd. are ineligible to be considered as domestic industry as they are related to exporters of the subject goods.
 - ii. Tata Chemicals and Nirma Ltd. both have related exporters in the USA. Since they have related producers, they are not eligible to be considered as domestic industry as per Rule 2(b).

E.2. Submissions by domestic industry

23. The Applicant has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. The application for the present investigation was filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). AMAI represents the domestic industry for the product concerned in the country which comprises of the participating producers namely DCW Ltd., Nirma Ltd. RSPL, TCL and GHCL. There exists one other producer of the product concerned namely, Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited (TFL).
 - ii. The applicant companies account for a major proportion holding 98% of the total Indian domestic production. The applicant companies DCW Ltd., RSPL Ltd. and GHCL Ltd. have not imported the subject goods during the period of investigation nor are they related to either importer or exporter of subject goods.
 - iii. Tata Chemicals has a related producer in US but has not imported the subject goods in the POI. This related company in US has exported minimal quantity in the base year only.
 - iv. Nirma Ltd has a related producer in USA. The related producer of Nirma Ltd. in the USA has exported very minimal exports to the end consumer in the POI. The exports made by the related party of Nirma Ltd., Searless

Valley Minerals (“SVM”) are insignificant in relation to the production and sales of Nirma and in relation to the total imports in India. Information is already on record with the Authority. These exports have nothing to do with the Nirma Ltd. and ADD, if levied, will be equally applicable to these exporters also.

- v. The applicant companies thus constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2(b).
- vi. The domestic industry had clarified via separate letter dated 26th September 2024, prior to the initiation of the investigation that the related party of Nirma has exported subject goods in the POI. The letter was also attached as an addendum in the NCV application.
- vii. There is consistency between the claim of the domestic industry and the findings by the Authority in the initiation notification. The imports are made by the related party (SVM) in subject country to an independent third party.
- viii. The total exports of SVM in relation to Nirma’s production, sales, and total imports is negligible. These imports were to an independent buyer and not made by Nirma.
- ix. Related party of Tata chemicals made nominal exports only in the base year and do not show any imports made in the POI.

E.3. Examination by the Authority

24. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

25. The present application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India. The participating producers in the present investigation are DCW, RSPL, Nirma Ltd, TCL and GHCL. There exists one other producer namely Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited (TAC). There are no other domestic producers of subject goods in the period of investigation.
26. It has been contended by the other interested parties that Tata Chemicals Limited has a related exporter in the USA. The Applicants have submitted in this regard that there have been no exports from the related producer of Tata Chemicals Limited in the POI, and only a minuscule amount has been exported in the base year. It has been further contended by the other interested parties that Nirmal Ltd. has a related exporter in the USA. The Applicants in this regard have submitted that the related party of Nirma Ltd., Searless Valley Minerals (“SVM”) has minimal exports in the POI. The Authority notes that such exports have been made by the related party directly to the end customer. Further, the imports from SVM in the POI are minuscule and insignificant in relation to the production and sales of Nirma Ltd. as well as in relation the total imports in India. Table below provides the details of exports made by the affiliated companies of Tata Chemicals and Nirma Ltd:

Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	Oct23-Jun24 (POI)
Export by Tata's related party into India	MT	***	Nil	Nil	Nil
In relation to Tata's production	% range	0-1	-	-	-
In relation to Total import	% range	0-1	-	-	-
Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	Oct23-Jun24 (POI)
Export by Nirma's related party into India	MT	***	***	***	***
In relation to Nirma's production	% range	2-3	0-1	0-1	0-1%
In relation to Total import	% range	3-4	0-1	2-3	0-1

27. Considering the volume of exports made, the production volume by the companies in India and the nature of activities performed by the companies, the Authority considers that the focus of the companies is on production

in India, and not in imports. Thus, the Authority notes that since the imports are negligible, it does not affect the eligibility of Nirma Ltd and Tata Chemicals. to be treated as domestic industry in terms of the AD Rules. The Authority notes that the remaining applicant companies have not imported the subject goods and are neither related to an importer or exporter thereof.

28. As regards the argument raised by the interested party that Tata Chemicals is related to the exporter Tuticorin USA and in turn related to Tuticorin India, it is seen that such claim has not been substantiated with evidence and has not been made in written submissions to enable the domestic industry to adequately reply.
29. In view of the information on record and issues examined as above, the Authority holds that the applicant companies constitute “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. It is further noted that the production by the applicant companies account for a major proportion in total Indian production. The application thus, satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. **CONFIDENTIALITY**

F.1. Submissions by other interested parties

30. The following submissions have been made by other interested parties with respect to confidentiality:
 - i. The petitioner has not provided transaction-wise import data in the same format as originally recorded. This lack of data (and the excessive reliance on claims of confidentiality) significantly hinders meaningful analysis. The petitioner’s numerous claims of confidentiality (covering production figures, cost components, sales data, etc.) are to excessive and non-compliant with established Trade Notice guidelines. Essential information be disclosed in a non-confidential manner to ensure a fair and robust review.
 - ii. The domestic industry has not adhered to the trade notice and has claimed excessive confidentiality
 - iii. There is violation of trade notices 10/2018, 2/2000, 2/2004. Information in case of more than 2 companies has been claimed confidential.
 - iv. Authority has deviated from the Trade Notice by accepting an application which is not in terms of the mandatory preconditions notified to the interested parties for taking on record confidential submissions. Information such as market reports have been claimed confidential.
 - v. Trade Notice No. 2/2000 dated 28th August 2000 provides the mandatory procedure to be followed for claiming confidentiality in anti-dumping investigations and such requirements have been violated by the applicant in respect of the updated data filed by them for the POI of 9 months.

F.2. Submissions by domestic industry

31. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to confidentiality:
 - i. The domestic industry has adhered to the confidentiality guidelines laid out under the DGTR Trade Notice. Non-confidential versions of submissions contain detailed summaries, indexation of confidential data, and adequate reasoning for claims of confidentiality.
 - ii. The other interested parties have submitted data in a form that severely limits transparency thereby undermining the principle of fair rebuttal and due process. The Authority is requested to direct opposing parties to comply equally with the Trade Notice and reject inadequately filed responses.
 - iii. The subject goods have a dedicated code hence the Application was filed on the basis of DGCI&S published data and not on the basis of DGCI&S transaction wise data or transaction wise data from secondary source.
 - iv. The guidelines prescribed in Trade Notice No. 10/2018 allow for sensitive information to be protected on a confidential basis. The domestic industry has complied with the guidelines by providing necessary summaries and redacted data where appropriate.
 - v. The domestic industry has claimed confidentiality on information such as various injury parameters, information, evidence and documents relevant or incidental to determination of various injury parameters, production and sales quantity of other domestic producer on the grounds that these are business sensitive

information, their disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or would be detrimental to bonafide business interests of the domestic industry. Therefore, such information, documents, and evidence cannot be disclosed to the other interested parties.

- vi. The disclosure of actual information for the parameters listed out by the other interested parties will lead to confidential data of the domestic industry in the instant investigation being disclosed.
- vii. The interested party have referred to communication dated 03rd March, 2025. The said communication was not made available to the domestic industry. As per procedure, any such submissions being made by an interested party must be circulated to other interested parties.
- viii. Principles of natural justice demand that the interested parties do not keep parties with opposing interests in dark and do not act without their knowledge and hence the action of the interested party was clearly malafide.
- ix. The Authority shared the submission with the domestic industry seeking reply and the domestic industry had replied vide email dated 7th March 2025 and had objected to the acceptance of the submission as it was after the deadline specified in the notice of initiation.
- x. Such submission made by the interested party was heavily delayed by more than 60 days, seeing as the submission was made on 3rd March 2025, while the initiation of the investigation was on 29th September 2024. The belated submission should be rejected by the Authority, or, if necessary to be acknowledged and accepted, the interested party should be asked to provide an explanation as to why the submission was heavily delayed.
- xi. Interested parties had been given seven days to points towards confidentiality claims of the domestic industry. No such claims have been made by the party within the time limit allowed by the Authority. Thus, the claim made by the interested party are clearly time barred.
- xii. The reason for claiming confidentiality of information was provided in the application. Updated information filed contained updation of the same information because of change in POI and thus the reasoning claiming for such information would remain the same, as contended in the application providing similar information. The information or submission was mere Updation from the aspect of confidentiality. The confidentiality reasoning provided in the application should be considered for the updated information as well.
- xiii. Responding exporters have claimed excessive confidentiality in the public version of their responses, with information such as details of name of shareholders, details of company, and the affiliated companies, shareholding percentage, details of company, affiliated companies as well as activities of the related companies as confidential.
- xiv. Sample domestic and export sales documents have not been disclosed. While documents itself may be confidential, the list of documents submitted has not been disclosed.

F.3. Examination by the Authority

- 32. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).
- 33. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons

why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

34. The Authority notes that while contesting the confidentiality claims argued by the other parties, domestic industry has nonetheless, disclosed a revised non-confidential version of the injury information, wherein the information has been disclosed in accordance with the provisions of the Anti-Dumping Rules. Through this submission, the domestic industry has provided revised injury information for the periods October 2023- March 2024 as well as October 2023 to June 2024. The Authority has noted that the interested party raising confidentiality concerns made a belated submission, much after the deadline for filing submissions. In any case, the domestic industry provided and circulated the revised information on 13th May 2025, which contains actual information for parameters such as production quantity, capacity utilisation, sales quantity, employees, productivity per day, and inventories.
35. The Authority has allowed, wherever claimed, confidentiality claims of domestic industry on information such as selling price, cost of production, profit, cash profit, return on investment, customers' name, sale/purchase invoice, and documents/information in support of these information or leading to these information. Further, Authority has allowed, wherever claimed, confidentiality claims of exporters/other interested parties on information such as various performance indicators, sales volumes & values, price adjustments and various information & documents provided in support of the same or leading to the same. The Authority considers that these information are confidential by nature and disclosure of these information and document on actual basis can cause significant adverse effect on the party concerned and can give undue competitive advantage to competitors and parties with opposing interests.
36. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority accepts the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential and the same is considered appropriate.

G. MISCELLANEOUS ISSUES

G.1. Submissions by other interested parties

37. The following submissions have been made by the other interested parties:
 - i. The petitioner proposed a six-month POI, but the Authority has accepted a nine-month period. Both durations are too short to conduct a comprehensive analysis and any deviation from the 12-month standard (as prescribed under the rules) should be clearly justified.
 - ii. Authority has not provided justification for accepting the petitioner's request for shorter POI. The authority has also not explicitly invited comments on the POI prescribed in the initiation.
 - iii. The present investigation is not appropriate for the issuance of a preliminary finding.
 - iv. The evidence is lacking substantiating the need for ADD on a retrospective basis. The conditions for imposition of retrospective duties are not met.
 - v. Petitioners are habitual users of Trade Remedies. Reference laid upon the past cases in the subject matter. It has already received sufficient protection till date.
 - vi. Authority has not allowed any fair time to file responses/submissions in this matter even when the applicants submitted the revised application on 31.12.2024 and the deadline to file the submission was fixed as 4.01.2025
 - vii. Contradicting information has been filed by the applicants before the DCPC and the DGTR.
 - viii. The industry has already received protection by way of imposition of MIP and the imposition of ADD is unwarranted. Further, the existence of a Minimum Import Price (MIP) for Soda Ash should mitigate any potential threat.

- ix. The injury period information is also contrary to trade notices – information has been provided for 2020 – 2021 (12 months- Financial Year), 2021 – 2022 (12 months Financial Year), April 2022 - September 2023 (15 months- Not Financial Year) and POI (October 2023 – June 2024 - 9 Months). The respondent is not in a position to offer its comments on dumping, injury and causal link.
- x. The proceedings are in violation of Article 6.1.3 of the AD Agreement. The complete information of the DI was provided only in December, after 3 months of the initiation.
- xi. There is absence of certifications/ undertakings by the Domestic Industry with respect to the extended POI. Absence of data of POI at the time of initiation of the investigation ensured that the pre-conditioned mentioned in Rule 5 are not followed. This has resulted in the proceedings being without jurisdiction. Updated data filed does not have any certifications/ undertakings.
- xii. The Proceedings have not followed the procedure as established through Rule 6. Rule 6(1)(i) read with Rule 6(1)(ii) puts a legal obligation on the Authority to issue a public notice notifying its decision to initiate an investigation. Such public notice is required to contain adequate information with respect to the basis on which dumping is alleged in the application and summary of the factors on which the allegation of injury is based. In the present case, since no application containing the data relating to the complete period of investigation was in front of the Authority at the time of initiation, the initiation notification fails to meet with the obligations as set out. Rule 6(1)(vi) requires the Authority to clearly communicate the timelines to be followed in the investigation. The absence of complete application ensured that the timelines notified in the initiation notification were redundant.

G.2. Submissions by domestic industry

38. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. 9 month POI is justified in view of the specific circumstances of this investigation. The selection of 9 months POI by the Authority reflects the need to address the injury being caused to the domestic industry by the dumped imports. The period of investigation as chosen by the Authority is in line with the Anti-Dumping Rules. Rule 5 (3A) provides for a minimum period of 6 months to a maximum period of 18 months. While the petition was filed with 6 month period, the Authority has already extended the same by a quarter and made it a nine month POI.
- ii. The POI as chosen by the Authority presents a true picture of the injury suffered by the Domestic Industry at the hands of dumped imports.
- iii. There was significant difference between the two in July-Sept., 2023 quarter. The CIF import price reported in Indian customs is much higher (which could be because of time lag between exports and imports). Since the DGTR determines injury margin using CIF import price, inclusion of July-Sept., 2023 quarter would have been inappropriate and would have distorted injury margin.
- iv. The domestic industry understands that the Authority is now considering and processing the case for final findings. The issue is therefore no longer relevant. As regards requests for retrospective imposition of ADD, all submissions made before are reiterated.
- v. The claims as raised by the other interested parties are flawed and misleading. The domestic industry has evidenced and addressed in its written submissions that the duties have been imposed after the Authority determined that dumping was causing injury to the domestic industry. Infact the duties were allowed to lapse despite the claim of the domestic industry that there is likelihood of recurrence of injury. Repeated injury from recurrent dumping substantiates the need for measures rather than undermining their legitimacy.
- vi. The interested parties have got enough and multiple opportunities to defend their interests.
- vii. Information as filed before the DCPC and the DGTR evidence continued injury to the domestic industry. The trend analysis shows the same picture before the DCPC as well as the DGTR. The POI in the present investigation includes the first quarter of 2024-25 whereas the comparison with the DCPC information pertains to a period which does not include the Q1 of 2024-24. However, the trend remains the same in both injury information evidencing that the domestic industry is suffering from injury on account of the dumped imports.
- viii. The rapid surge in dumped imports as evidenced by the import data (POI, Post POI and Post initiation), clearly points to a threat that will exacerbate if left unchecked. The existence of a MIP does not fully neutralize the competitive disadvantage imposed by unfairly priced imports. Further, the imposition of MIP has only been

for a period of 6 months from 30th December 2024 till June 30th, 2025. The MIP introduced is at Rs. 20,108 per MT which is still materially below the NIP of the domestic industry.

- ix. It cannot be implied that the introduction of MIP has remedied the sufferings of the domestic industry. Imposition of the MIP is not a substitute to trade remedial measures. Despite the imposition of MIP, the imports are being dumped into the country.
- x. As far as trade notice 2/2004 is concerned, the said notice has been superseded vide trade notice No.1/2013 dated 09th December 2013. A copy of the said trade notice is enclosed. Since the trade notice itself is superseded, in any way, reference to the same is misplaced. it is the present practice of the Authority to allow injury period in the manner presented in the present case. The previous years are financial years only when the POI starts from April. If the POI does not start from April, the previous period will have to necessarily end with the month preceding the POI. The same approach has been followed in the present case. no prejudice can be claimed on this account. If the data is taken separately for 2022-23 and April-Sept., 2023, it would be seen that it would establish the same trend.
- xi. The allegation that the present proceedings violate Article 6.1.3 of the Anti- Dumping Agreement is misplaced as comments have been filed by the interested party first time on 03rd March 2025. Thus, the interested party had 61 days time to comment on the application coupled with updated data.
- xii. There is no requirement of certification or undertaking by the domestic industry with respect to extended POI. The requirements in the application are only because the Authority is required to examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury, where applicable, and where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.
- xiii. The timeline given to the interested parties were with regard to the following - to file response to the questionnaire and to provide information considered relevant by the Authority and to file comments on the information contained in the application. Such opportunity for comments was not in respect of data for the updated period. The said opportunity became available to the interested party under Rule 6(7). The same has been done.

G.3. Examination by the Authority

39. The miscellaneous submissions made by interested parties have been examined as under:

- a. As regards the contention that the Minimum Import Price (MIP) is in place on the subject goods, it is noted that this measure is not a substitute for a trade remedy under the Anti-Dumping Rules. Further, considering the level at which MIP has been fixed and the non-injurious price determined by the Authority, it is seen that the MIP notified by the DGFT is materially below the non-injurious price determined by the Authority. Thus, if imports happen at MIP, the same shall nevertheless cause injury to the Indian industry. Thus, MIP shall not address the injury suffered by the domestic industry.
- b. As regards the contention that POI of 9 months is not appropriate and no justification has been provided for considering the same, it is noted that there is no bar under the Anti-Dumping Rules on adopting a POI shorter than 12 months. In the present case, while the domestic industry had proposed a 6-month POI, the Authority, upon due consideration, did not find the same appropriate for the purpose of investigation. Accordingly, the Authority decided that a 9-month POI would be more suitable, and such determination is well within the scope of the Rules governing anti-dumping investigations. Rule 5(3A) of the Rules states as follows:

“5(3A) The period of investigation shall,-

- (i) *Not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;*
- (ii) *Be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months”*

It is noted that the Rule expressly stipulates that the period of investigation (POI) shall be of a minimum duration of six months and may extend up to eighteen months, subject to the condition that the reasons for such determination should be recorded in writing.

As regards the argument that the injury information is contrary to the trade notice No. 2/2004 dated 12th May 2004, the Authority notes as follows:

- i. At that at the stage of initiation, due regard was given to the submissions of the domestic industry, wherein it was contended that the period prior to September 2023 ought not to form part of the POI,

inasmuch as import prices underwent a significant decline post-September 2023, consequently corresponding with an increase in import volumes. The said decline in import prices was not accompanied by a proportionate decline in the cost of sales. Accordingly, the inclusion of the period July 2023 to September 2023 in the POI would not be appropriate, as the same would fail to correctly reflect the injurious effect of dumping on the domestic industry.

SN	Country	Price from Subject Countries (Rs/MT)
1	Jan 2023	32,539
2	Feb 2023	33,572
3	Mar 2023	31,036
4	Apr 2023	30,663
5	May 2023	29,969
6	Jun 2023	29,522
7	Jul 2023	27,051
8	Aug 2023	26,052
9	Sep 2023	21,887
10	2023-24H1	27,327
11	Oct 2023	20,175
12	Nov 2023	20,679
13	Dec 2023	19,973
14	Jan 2024	19,267
15	Feb 2024	19,907
16	Mar 2024	18,543
17	2023-24H2	19,756
18	Apr 2024	18,520
19	May 2024	19,066
20	Jun 2024	18,332
21	2024-25Q1	18,693

- ii. It has been contended that the Authority is required to record reasons for adopting a period other than twelve months. It has been further stated that such reasons should be specified in the notice of initiation. The Authority however considers that the rules do not provide that reasons for adopting a period shorter or longer than twelve months should be specified in the notice of initiation. The Authority considers that it is sufficient that the reasons have been explained in the final determination. In any case, the Authority has stated reasons in the present disclosure statement and the interested parties have had sufficient opportunity to comment on appropriateness of the same.
 - iii. The Authority notes that the periods under consideration include complete financial years. Further the injury period is a continuous period without any gap. It is further noted that a previous year to the POI may be treated as a complete financial year only where the POI begins in 1st April. In the present case, as already noted the period April–September 2023 could not be included in the POI. Thus, the previous year to the POI includes a financial year and 6 months, i.e., April 22- Sep 23. Furthermore, this approach has consistently been adopted by the Authority in multiple past cases.
- c. Interested party have argued that the present investigation is in violation of Article 6.1.3 of the AD Agreement as complete information of the domestic industry was provided only 3 months after the initiation of the investigation. Article 6.1.3 states as follows:

As soon as an investigation has been initiated, the authorities shall provide the full text of the written application received under paragraph 1 of Article 5 to the known exporters and to the authorities of the exporting Member and shall make it available, upon request, to other interested parties involved. Due regard shall be paid to the requirement for the protection of confidential information, as provided for in paragraph 5.

The Authority, upon initiation, pursuant to Article 6.1.3, circulated the full text of written application filed by the domestic industry. Thus, the application considered for the purpose of initiation was circulated at the stage of initiation of initiation to all the interested parties. In circulating the non-confidential version of the application, the Authority notes that the requirement under Article 6 of the AD Agreement and Rule 6 of the Indian Rules is met. Further, following the Authority's decision to extend the investigation period by one quarter, the domestic industry was given the opportunity to submit updated information for the extended period within the time period provided to all interested parties. This data was subsequently provided by the domestic industry and a corresponding non-confidential version was circulated to interested parties on 31st December 2024. It is seen that the interested party have filed comments on the non-confidential version circulated by domestic industry on 31st December 2024 and the comments made have been considered in the present determination, indicating that parties were provided with more than adequate time to respond and provide any comments.

- d. With regard to the argument raised by the other interested party that the domestic industry is a habitual trade remedy user, it is noted that there has been a history of dumping of the subject goods in India. All past investigation showed existence of dumping by the foreign producers. It is thus seen that the foreign producers have been resorting to dumping of the product in the Indian market. None of the participating producers have made any submissions nor provided any information on why the product has been found to have been exported at dumping prices so many times. It is known that India is a price sensitive market and producers from other countries including the subject countries in the present investigation have resorted to dumping the subject goods in the India market habitually. Further, any measures imposed prior to the present investigation are fair measures imposed based on investigation conducted and after establishing that the requirements under the law are met. The current investigation is a fresh investigation, on the basis of facts that are distinct from prior investigations and measures imposed. If duties are to be recommended in the present investigation, the same would be after complete and thorough investigation. The responding producers from US and Turkey have admitted the fact of dumping. The same is also established by the questionnaire response filed by these entities. It is thus evident that the fact of dumping has been admitted by the exporters themselves.

H. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

H.1. Submissions made by other interested parties

40. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to the normal value, export price, and dumping margin:
- i. Domestic industry has constructed normal value for Iran, Turkey, and Russia based on Indian production costs without adequately adjusting for country specific market conditions.
 - ii. Reliance on third party data from IHS Markit: Soda Ash Monthly is unrepresentative of the actual market prices in the USA.
 - iii. Domestic industry has only claimed to find no evidence for domestic sale prices in Russia and therefore decided to use constructed normal value.
 - iv. Application of the domestic industry contains no evidence that normal value for Russia was constructed with the view to make it as close
 - v. Normal value and export price claimed by the Applicants cannot be relied upon and the dumping margin should be assessed by the Authority based on actual data filed by the producers and exporters.

H.2. Submissions made by the domestic industry

41. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price, and the dumping margin are as follows:
- i. The domestic industry was unable to gather evidence of the prices of the product in Iran as the same was not publicly available. The domestic industry hence has determined normal value for Iran considering the cost of production in India, after due additions for selling, general, and administrative expenses and reasonable profits.

- ii. The domestic industry was unable to obtain information of the price of the subject goods in the US domestic market in the form of actual transaction prices. The domestic industry has considered prices published as HIS Markit: Global Soda Ash Monthly for the POI, to determine normal value for the USA.
- iii. The domestic industry was not able to obtain information on the prices of the subject goods in the domestic markets of Turkey. The domestic industry hence has determined normal value for Turkey considering the cost of production in India, after due additions for selling, general, and administrative expenses and reasonable profits.
- iv. The domestic industry was not able to gather information on the prices of the subject goods in the domestic markets of Russia. The domestic industry hence has determined normal value for Russia considering the cost of production in India, after due additions for selling, general, and administrative expenses and reasonable profits.

H.3. Examination by the Authority

Determination of Normal Value

42. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either—*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

43. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit. The Authority received questionnaire responses from the following exporters/producers:

- a. Limited Liability Company Trade House “Bashkirian Chemistry”, Russia
- b. Joint Stock Company Bashkir Soda Company, Russia
- c. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory, Russia
- d. DMC Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S., Turkey
- e. Pacific Waters DMCC, UAE
- f. Pontus Trading DMCC, UAE
- g. Tutti DMCC, UAE
- h. ADV International, UAE
- i. AG Ciner Ithalat, Turkey
- j. ETI Soda Uretim Pazarlama, Turkey
- k. Kazan Soda Elktrik, Turkey
- l. Soda World, UK
- m. UG Impex Generat Trading, UAE
- n. Uniworld Global, UAE

- o. WE IC ve DIS Ticaret, Turkey
 - p. Sisecam DIS Ticaret, Turkey
 - q. Turkiye Sise Ve Cam Fabrikalari, Turkey
 - r. Hiranyavarnam Chemicals, Singapore
 - s. Kempar Energy, Singapore
 - t. Sisecam Wyoming, USA
44. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

Turkey

S.N.	Producer/ Country	Exporter/ Country
1	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.Ş., Turkey	3. Sisecam Dis Ticaret A. S. (SDT), Turkey 4. Uniworld Global FZCO, UAE
2	Kazan Soda Elektrik Üretim A. Ş., Turkey	4. We İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., Turkey 5. Soda World, UK
3	ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret AS., Turkey	6. ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret AS., Turkey 7. We İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., Turkey 8. Soda World, UK 9. ADV International FZCO, UAE 10. U G Impex General Trading LLC, UAE 11. Uniworld Global FZCO, UAE

a. **Determination of normal value**

i. **M/s. Turkey Sise ve Cam Fabrikalari A S (Sisecam Group)**

45. M/s. Turkey Sise ve Cam Fabrikalari A S has produced *** MT of the PUC during the POI. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price of the total sale.
46. Price adjustments have been allowed, as claimed. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level. The normal value determined is provided in the dumping margin table below.

ii. **M/s. Kazan Soda Elektrik Uretim A.S. (WE Soda Ltd.)**

47. M/s. Kazan Soda has produced *** MT of the PUC during the POI. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price of total sales.
48. Price adjustments have been allowed, as claimed. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level. The normal value determined is provided in the dumping margin table below.

iii. **M/s. ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S. (Producer/Exporter, Turkey) (WE Soda Ltd.)**

49. M/s. ETI Soda has produced *** MT of the PUC during the POI. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price of total sales.

50. Price adjustments have been allowed, as claimed. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level. The normal value determined is provided in the dumping margin table below.

b. Determination of export price

51. From the response filed by M/s. Turkey Sise ve Cam Fabrikalari, it is seen that M/s. Turkey Sise ve Cam Fabrikalari is a producer of the subject goods. It has exported *** MT through unrelated exporter M/s. Sisecam Dis Ticaret to unrelated customers in India.
52. From the response filed by M/s. Kazan Soda, it is seen that M/s. Kazan Soda is a producer of the subject goods. It has exported ***MT through Soda World Ltd, ***MT through ADV International FZCO and *** MT through UG Impex General Trading LLC to unrelated customers in India.
53. From the response filed by M/s. ETI Soda, it is seen that M/s. ETI Soda is a producer of the subject goods. It has exported directly *** MT and exported *** MT through Soda World Ltd, *** MT through ADV International FZCO, *** MT through UG Impex General Trading LLC and *** MT Through Uniworld Global FZCO to unrelated customers in India.
54. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, and overseas freight have been claimed by the producer/exporter. Adjustments as claimed have been allowed by the Authority. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the unrelated customer in India. The export price was adjusted appropriately to arrive at the ex-factory price. Since there are a number of export channels, the Authority has considered weighted average export price. Accordingly, the net export price has been determined for exports to India. The determined export price is given in the dumping margin table below.

Russia

S.N.	Producer/ Country	Exporter/ Country
1	M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company (Producer/Exporter, Russia)	vi. M/s. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory (Exporter, Russia) vii. M/s. Limited Liability Company Trade House "Bashkirian Chemistry" (Exporter/Trader, Russia) viii. M/s. DMC Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S. (Exporter/Trader, Turkey) ix. M/s. Pacific Waters DMCC (Exporter/Trader, UAE) x. M/s. Pontus Trading DMCC (Exporter/Trader, UAE) xi. M/s. Tutti DMCC (Exporter/Trader, UAE)

a. Determination of Normal Value

M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company (Producer/Exporter, Russia)

55. M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company, M/s. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory, M/s. Limited Liability Company Trade House "Bashkirian Chemistry", M/s. DMC Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S., M/s. Pacific Waters DMCC, M/s. Pontus Trading DMCC, and M/s. Tutti DMCC are related parties. M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company and M/s. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory are producers of the subject goods in Russia. All the above-mentioned parties have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration

for the determination of normal value. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price of profitable sales.

56. Price adjustments have been allowed, as claimed. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level. The normal value determined is provided in the dumping margin table below.

b. Determination of Export Price

57. From the response filed by the producers/exporters, the Authority notes that M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company, M/s. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory, M/s. Limited Liability Company Trade House “Bashkirian Chemistry”, M/s. DMC Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S., M/s. Pacific Waters DMCC, M/s. Pontus Trading DMCC, and M/s. Tutti DMCC are related parties. It is noted that M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company has exported total *** MT to India in which *** MT through M/s. DMC Delta Danismanlik Ve Ticaret A.S. out of which *** MT through M/s. Pontus Trading DMCC, and *** MT through M/s. Tutti DMCC. It has exported *** MT through M/s. Pacific Waters DMCC to unrelated customers in India.
58. M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company and M/s. Joint Stock Company Berezniki Soda Factory have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port, and other related expenses, credit cost, and bank charges. Adjustments toward inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, and overseas freight have been claimed by the producer/exporter. Adjustments as claimed have been allowed by the Authority. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the unrelated customer in India. The export price was adjusted appropriately to arrive at the ex-factory price. Since there are a number of export channels, the Authority has considered weighted average export price. Accordingly, the net export price has been determined for exports to India. The determined export price is given in the dumping margin table below.

USA

S.N.	Producer/ Country	Exporter/ Country
1	M/s. Sisecam Wyoming LLC	iv. M/s. Hiranyavarnaam Chemicals v. M/s. Kempar Energy vi. M/s. Libra Alkalischemie (importer)

a. Determination of Normal Value

M/s. Sisecam Wyoming LLC

59. Ms/. Sisecam Wyoming LLC is a producer of the subject goods in USA. M/s. Hiranyavarnaam Chemicals, M/s. Kempar Energy have exported the goods produced by M/s. Sisecam Wyoming. M/s. Libra Alkalischemie is an unrelated importer who has imported the subject goods from the above-mentioned parties. All the above-mentioned parties have provided the relevant information in the prescribed questionnaire format. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. Where profit making transactions are more than 80%, the Authority considered the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price of total sales.
60. Price adjustments have been allowed, as claimed. Accordingly, normal value has been determined at ex-factory level. The normal value determined is provided in the dumping margin table below.

b. Determination of Export Price

61. From the response filed by M/s. Sisecam Wyoming LLC, the Authority notes that M/s. Sisecam Wyoming LLC is a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, M/s. Sisecam Wyoming LLC exported

subject goods to an extent of *** MT directly, as well as *** MT through Hiranyavarnaam Chemicals and *** MT through Kempur Energy Pte Ltd and *** MT Uniworld Global FZCO to unrelated customers in India.

62. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, and overseas freight have been claimed by the producer/exporter. Adjustments as claimed have been allowed by the Authority. Adjustments towards inland freight, credit cost, handling expenses, commission, insurance, and overseas freight have been claimed by the producer/exporter. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the unrelated customer in India. The export price was adjusted appropriately to arrive at the ex-factory price. Since there are a number of export channels, the Authority has considered weighted average export price. Accordingly, the net export price has been determined for exports to India. The determined export price is given in the dumping margin table below.

Determination of Normal Value for all non-cooperative producers from Iran, Turkey, Russia, and USA

63. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from the subject countries has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for all the non-cooperative producers from Iran, Turkey, Russia, and USA

64. The Export Price for other non-cooperative producers/exporters from the subject countries has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

65. Considering the normal values and export prices determined as above, it is determined that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules. The normal value has been considered for comparing the export price from the subject country for calculating dumping margin. The weighted average dumping margin is indicated in table below:

DUMPING MARGIN TABLE

S.No.	Name of the Producer	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
Turkey						
1	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Turkey	***	***	***	***	105-115
2	Kazan Soda Elektrik Üretim A. Ş., Turkey	***	***	***	***	80-90
3	Any other producer	***	***	***	***	140-150
Russia						
4	M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company (Producer/Exporter, Russia)	***	***	***	***	130-140
5	Any other producer	***	***	***	***	190-200
USA						
6	M/s. Sisecam Wyoming LLC	***	***	***	***	80-90
7	Any other producer	***	***	***	***	130-140
IRAN						
8	Any	***	***	***	***	85-95

I. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

I.1. Submissions made by other interested parties

66. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. Increase in imports from Russia must be viewed in the context of expansion of market demand. Such increase in Russian imports is only a response to growing demand and is not indicative of injury to the domestic industry.
 - ii. Increase in imports is coupled with increase in the total demand in India and has not resulted in reduction of production or sales of the producers in India as compared to the base year.
 - iii. Sales volume of the domestic industry increased by 13% over the injury period, reflecting its ability to compete in the market despite presence of imports.
 - iv. Sales of other domestic producers have increased significantly by 147% suggesting that if any injury is suffered by the domestic industry, it is due to domestic competition and shift in market dynamics.
 - v. Capacity of the domestic producers have increased from 2020-21 to 2022-23 and the POI, reflecting cumulative growth of 2% over the injury period.
 - vi. Production of the PUC and NPUC of the domestic producers has increased significantly from 2020-21 to 2022-23 and the POI, indicating growth of 20%. Production of the PUC also demonstrates a 20% growth.
 - vii. Capacity utilisation has increased from 2020-21 to the POI showing an increase of 17%, despite only marginal rise in installed capacity indicates that the domestic producers have been able to improve operational efficiency and optimise production.
 - viii. There is no material injury to the domestic industry, and trends show a healthy and growing trend of production.
 - ix. Total sales of the domestic industry increased by 24% and domestic sales grew by 13% while export sales grew significantly by 168%, indicating a shift in strategy toward export markets.
 - x. Domestic sales of the domestic industry have decreased in the POI from the previous year because of increased exports of the subject goods in the POI.
 - xi. Huge rise in export volumes show that any downward trend or slowdown in domestic sales is by choice and not caused by imports. Domestic producers seem to be prioritising international markets, undermining the claim of material injury.
 - xii. Average inventories are to be considered as percentage of production and sales, which shows a decline. This indicates that the domestic producers were able to sell what was produced, indicating no injury.
 - xiii. Authority is requested to examine other factors causing injury to the domestic industry due to which its profits have declined significantly.
 - xiv. Decline in employment and the increase in wages should not be directly linked to the subject imports.
 - xv. There has been a positive growth in productivity over the injury period with productivity per day increasing by 20% and productivity per employee and per day per employee increased by 23%, indicating no injury to the domestic industry.
 - xvi. Domestic industry's average capital employed increased by 49% and working capital saw a substantial rise of 168%. However, net fixed assets showed only a modest increase of 33%. Despite these increases, ROI dropped significantly by 46% while remaining positive. Authority is requested to examine other factors that could contribute to such movements.
 - xvii. Abnormal years have been considered for injury assessment. Imports were restricted due to supply chain issues due to COVID-19 in 2020-21 and 2021-22. Further, in 2022-23, supply chains were disrupted due to red sea crisis and the Russia-Ukraine conflict.
 - xviii. Imports were made only to meet the demand supply gap that exists in India which is due to the significant exports made by the domestic producers.
 - xix. Decrease in import prices is not due to dumping but rather due to a global phenomenon as can be seen from the movement of import price for all subject countries. Prices decreased during the POI but still remained higher than the base year.
 - xx. The selling price of the domestic producers have been increasing at a rate more than the increase in cost, showing there is no price depression/suppression in this case.
 - xxi. Cost of sales of the domestic industry increased till the period before the POI due to an increase in the prices of natural gas used in the production of ammonia.

- xxii. Domestic producer was able to increase selling price more than the increase in the cost of sales given the supply chain issues in the shipping industry, showing the domestic producer takes unfair advantage of supply chain crises to increase prices.
- xxiii. Data clearly shows that the domestic industry has maintained positive profits with only some decline in the POI as compared to the previous period, despite which the domestic producers remained profitable.
- xxiv. Domestic industry reached exceptional profit growth during 2021-22 and 2022-23, touching more than threefold increase in profits.
- xxv. Increase in depreciation indicates that the domestic industry has been consistently investing in equipment and facilities which is inconsistent with an industry that is experiencing material injury.
- xxvi. Overall financial data of three of the major producers of the subject goods indicates a trend of robust profitability over the past five fiscal years.
- xxvii. Freight should not be included for computing of injury margin as it is against Annexure III. Further, the Authority has rejected such claim in previous decisions with regard to the subject goods. The claim of the Applicants is not based on economic reasoning and disregards the long-standing practice of the Authority. Any reference made to India's paper on the lesser duty rule is misconceived and this paper was floated in the WTO much after the introduction of Annexure III.
- xxviii. Request of the Applicants to consider captive production of RSPL while determining non-injurious price must be rejected as this is simply a request to inflate the NIP.

I.2. Submissions made by domestic industry

67. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i. Cumulative assessment would be appropriate in the present investigation and Authority is requested to assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
 - ii. There is a history of dumping of the subject goods from the subject countries.
 - iii. There has been a significant increase in imports within a short period, with import volumes rising by 100%, while demand increased by only 9% compared to the previous year.
 - iv. Imports from the subject countries during the POI increased by 234% compared to the previous year and by 99% compared to the base year, indicating substantial rise in imports.
 - v. The imports in relation to Indian production and consumption rose significantly, from 19% and 9% respectively in 2022–23 to 34% and 18% in the POI.
 - vi. Price undercutting is positive and significant across all subject countries.
 - vii. Both the cost of sales and selling price declined during the POI; however, the decline in selling price was more than the decline in cost of sales.
 - viii. The subject imports resulted in significant price depression during the POI.
 - ix. The current landed value of imports is below both the selling price and the cost of sales of the domestic industry.
 - x. The increased import volumes have adversely affected domestic sales, inventory levels, and capacity utilisation.
 - xi. Capacity utilisation declined by 4% during the POI as compared to the previous year, with the domestic industry losing sales due to dumped imports.
 - xii. Inventories increased and exports increased, as the domestic industry had to divert its sales to the export market to maintain operations and profits.
 - xiii. Despite a demand increase, domestic sales declined, while imports surged.
 - xiv. The domestic industry lost significant sales volumes, resulting in a decline in the market share of the domestic industry.
 - xv. The market share of the domestic industry has remained materially low, despite rising demand and increased capacity.
 - xvi. Both the domestic industry and the Indian industry experienced a decline in market share during the POI as compared to the previous year.

- xvii. Import prices have steeply declined in the POI without a corresponding reduction in costs.
- xviii. The weighted average landed price of imports is below the domestic industry's cost of sales. The domestic industry is taking a hit to their profits in an attempt to match the prices of imports.
- xix. The domestic industry's profitability declined significantly in the POI, with a 67% decline as compared to the previous year.
- xx. When imports were priced higher in 2022–23, the domestic industry performed optimally; however, performance deteriorated with the subsequent decline in import prices.
- xxi. Cash profits followed the same trend, improving until 2022–23 and then declining sharply in the POI.
- xxii. The domestic industry was unable to increase sales proportionately with demand due to the subject imports, leading to a slight increase in inventory levels.
- xxiii. In the absence of exports, the domestic industry would have faced more severe injury through increased inventory or reduced production and utilisation.
- xxiv. Employment and wages are influenced by multiple factors and are not solely indicative of dumping-related injury.
- xxv. Productivity levels have remained stable throughout the injury period.
- xxvi. The domestic industry has experienced adverse growth in volume parameters and a significant decline in price parameters during the POI.
- xxvii. Imports have caused material injury to the domestic industry, and there exists a credible threat of intensified injury if remedial duties are not imposed.
- xxviii. Production meant for “captive use” needs to be considered for determination of NIP as the captive production is also meant to be used for domestic consumption. If RSPL had not undergone integration, the goods currently classified as captive production would have instead been sold in the domestic market. Similarly, in the absence of RSPL’s soda ash manufacturing capacity, domestic demand would have been fulfilled by alternative producers. Therefore, under either scenario, the volume presently considered captive would have formed part of the overall domestic production.
- xxix. The captive consumption of RSPL is not captive consumption and should be treated as captive sales. The financial records of RSPL demonstrate that RSPL soda ash division has sold soda ash to other plants of the company for use in different products and the same is demonstrated by invoices raised and payment received.

I.3. Examination by the Authority

- 68. The Authority has noted submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the information and documents provided by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 69. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect on such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc., have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1. Cumulative Assessment

- 70. As per Annexure II, Para (iii) of the AD Rules, in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of

the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and

- b. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

71. In this regard, the Authority observes as follows:

- a. the margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
- b. the volume of imports from each of the subject countries is more than the de-minimis limits prescribed;
- c. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete *inter se* but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
- d. imported and domestic product are being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product and imported product.

72. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports from the subject countries in light of the conditions of competition between the imported product and the like domestic product.

H.3.2. Assessment of Demand/Apparent Consumption

73. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicant and imports from all sources. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon transaction-wise data from DGCI&S. The Authority has considered the data based on the finalised PUC of the subject goods. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23(A)	POI (A)
Demand					
Total Imports	MT	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
Subject Countries	MT	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
USA	MT	1,95,753	81,801	1,12,924	2,20,990
TURKEY	MT	85,013	1,04,450	1,33,639	4,73,864
Iran including subject goods imported from UAE	MT	1,20,908	78,289	59,740	89,800
RUSSIA	MT	87,836	51,867	71,194	1,09,976
Other Countries	MT	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
Sales of Domestic Industry	MT	23,64,267	27,44,305	27,17,923	26,80,153
Sales of Others	MT	23,651	41,683	58,430	58,430
Captive Sale	MT	3,19,020	2,75,154	2,24,337	1,78,021
Captive transfer	MT	2,05,016	2,66,065	2,99,378	3,15,655
Total Demand	MT	36,03,876	38,60,017	39,35,955	42,49,426

Note - Apr22-Sep23 figures are annualised for 12 months

74. It is seen that the demand for the subject goods increased consistently over the injury period.

H.3.3. Volume effect of dumped imports on domestic industry

i. **Imports in absolute and relative terms**

75. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in

India. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Imports from Subject country	MT	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
Other countries	MT	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
Total Imports	MT	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
Subject country imports in relation to					
Indian Production	%	17%	9%	11%	26%
Indian Demand(with captive)	%	14%	8%	10%	21%
Indian Demand(without captive)	%	16%	10%	11%	24%
Total Imports	%	71%	59%	59%	88%

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

76. It is seen that the imports from the subject countries decreased from the base year to 2021-22, increased in Apr22 – Sept., 2023 and thereafter increased significantly in the POI. Subject imports increased by 83% in the POI as compared to the base year. Further subject imports have more than doubled in the POI as compared to the previous year, i.e., Apr22-Sep23.
77. The subject imports have increased significantly in the POI, both, in relation to Indian production, as well as consumption. Imports in relation to production and consumption has increased by 15% and 11% points respectively in the POI as compared to previous period.

H.3.4. Price Effect of dumped imports on domestic industry

78. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
79. Accordingly, impact of dumped imports on the prices of the domestic industry have been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries.
 - i. Price Undercutting
80. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry from each of the subject countries. It is seen that the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Table below shows the price undercutting:

Particulars	UOM	USA	Turkey	Iran including subject goods imported from UAE	Russia
Landed price	₹/MT	21,987	20,334	21,245	21,599
	Indexed	100	92	97	98
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	168	131	116

81. It has been contended by the domestic industry that transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods, as (a) the domestic industry is located in the State of Gujarat and the sales have to be made throughout India and (b) given the price of the product, freight cost forms a significant part in the procurement cost of the consumers. The domestic industry has thus contended that the selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs. However, having regard to the past practise, the Authority examined the extent of price undercutting without consideration of freight. It is found that the imports are undercutting the prices of the domestic industry, with and

without addition of freight. It is seen that subject goods have been exported to India at a price below prices prevailing in Indian market thus undercutting the domestic prices. The price undercutting has forced the domestic industry to reduce the prices. The price reductions have been more than the decline in costs.

ii. Price Suppression/Depression

82. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the Applicant has provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price, as is given in the table below.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	122	159	149
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	124	189	138
Landed price	₹/MT	16,948	18,075	33,508	21,515
	Indexed	100	107	198	127

83. It is seen that both, cost of sales and selling price increased till the period April 22-Sep 23, and the increase in selling price was more than the increase in cost of sales. Thus, the prices of the domestic industry were not suppressed or depressed till April 22 – Sept 23. However, while cost of sales and selling price declined in the POI as compared to the preceding period, the decline in selling price was much more than the decline in cost of sales. It is seen that the landed price of imports has also shown the same trend. The domestic industry has thus suffered significant depressing effect on its prices in the POI. Subject imports are causing significant price depression in the domestic market.

H.3.5. Economic Parameters of the Domestic Industry

84. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

85. The performance of the applicant in the POI has been compared with its performance in the base year.

i. **Capacity, Production, Capacity Utilisation, and Sales**

86. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilisation, and sales volume of the domestic industry over the injury period. The table below shows factual position.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Installed Capacity	MT	4,089,200	4,089,200	4,189,200	4,189,200
	Indexed	100	100	102	102
Total Production	MT	2,916,407	3,452,880	3,506,194	3,505,500
	Indexed	100	118	120	120
Capacity Utilization	%	71%	84%	84%	84%
	Indexed	100	118	117	117
Domestic Sales	MT	2,364,267	2,744,305	2,717,923	2,680,153
	Indexed	100	116	115	113

Captive Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	86	70	56
Export Sales	MT	166,753	235,368	212,094	447,616
	Indexed	100	141	127	268
Total Including Captive Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	114	111	116

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

87. It is seen that:

- a. Capacity of the domestic industry increased in the period April 22- Sep 23.
- b. The production and capacity utilization increased from the base year to April 22- September 23 period and has remained stable thereafter in the POI.
- c. The domestic merchant sales increased between 2020-21 and 2021-22. The domestic merchant sales have however declined thereafter till the POI despite increase in demand.
- d. Since two domestic producers have significant captive sales to other units for production of detergents, and further since these are recorded in the books of accounts as sale & purchase between the two divisions in these companies, the Authority determined such captive sales first individually and thereafter collectively along with merchant sales. It is seen that captive sales and merchant sales increased in 2021-22 and thereafter declined upto the POI. It is also seen that the gross domestic merchant sales and captive sales also shows the same trend, i.e., these increased in 2021-22 and thereafter consistently declined upto the POI. It is thus concluded that the domestic industry suffered decline in sales volumes in the POI whether or not captive sales are included. Further, captive sales also show decline in sales volumes in the POI.
- e. The capacity utilisation of the domestic industry is at high level. Even though the domestic industry contended that it has been prevented from producing and selling further, the Authority notes that the production levels of the domestic industry are in any case at high levels.

ii. Market Share in Demand

88. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Share in demand					
All imports	%	22%	16%	19%	27%
Subject Countries	%	16%	10%	11%	24%
Other Countries	%	7%	7%	8%	3%
Domestic industry	%	77%	83%	80%	71%
Other producers	%	1%	1%	2%	2%
Total Share in %	%	100%	100%	100%	100%

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

- 89. The market share of the subject countries declined sharply in 2021-22. The market share has however increased significantly thereafter till the POI, with significant increase in the POI as compared to preceding year and previous years.
- 90. Market share of the domestic industry increased in 2021-22, as the market share of subject imports declined in this period. The market share of the domestic industry has however consistently declined thereafter till the POI. The dumped imports have prevented the domestic industry from retaining its legitimate share in the market. The domestic industry lost volumes and market share due to dumped imports and was forced to divert the production to lower profitable export sales.

iii. Profitability, Cash Profits, and Return on Capital Employed

91. The profit, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed and were as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	122	159	149
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	124	189	138
Profit/loss	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	136	354	78
Profit/loss	Rs Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	158	407	88
Cash Profit (PBT+ Depreciation)	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	129	305	91
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	150	351	103
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	144	330	81
ROI	%	***	***	***	***
	Indexed	100	117	234	57

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

92. It is seen that

- The decline in the selling price in the POI was far more than the decline in the cost of sales. Resultantly, whereas the profits of the domestic industry increased from the base year to April 22- September 23, the same declined sharply in the POI with the steep increase in imports in this period. The profitability is at the lowest levels in the POI.
- Over the injury period, whereas the sales volumes increased by 13%, the gross profits before tax on domestic sales declined by 12%.
- Cash profits declined significantly (by 70%) in the POI when compared to preceding year. Cash profit per unit of sales also declined sharply over this period. Over the injury period, despite 13% increase in domestic sales, the cash profit per unit of sales declined by 8%.
- The return on investment (ROI) followed the same trend as that of profits and cash profits. Profit before tax declined sharply (76%) in the POI as compared to preceding period. Over the injury period, profit before interest on total sales declined by 20%, even when the sales volumes increased by 13%. Resultantly, return on investment declined significantly in the POI as compared to both preceding period as also base year.

iv. Inventory

93. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Opening Inventory	MT	260,972	155,080	101,801	240,287
	Indexed	100	59	39	92
Closing Inventory	MT	155,080	101,801	260,286	196,438
	Indexed	100	66	168	127
Average Inventory	MT	208,026	128,441	181,044	218,362
	Indexed	100	62	87	105

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

94. It is seen that the level of inventories with the domestic industry declined upto March, 2022. Inventory levels have however increased thereafter significantly. The increase in inventories is despite increase in export sales.

v. Employment, Wages, and Productivity

95. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
No of employees	Nos	3,921	4,014	3,834	3,824
	Indexed	100	102	98	98
Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	118	143	138
Productivity per day	MT	8,333	9,865	10,018	10,016
	Indexed	100	118	120	120
Productivity per employee	MT	744	860	915	917
	Indexed	100	116	123	123

Note - Apr22-Sep23 and POI figures are annualised for 12 months

96. The Authority notes that the number of employees has increased from the base year to 2021-22 and thereafter decreased till the POI. Wages paid have increased over the injury period with a marginal decline in the POI. The productivity per employee increased over the injury period.

vi. Growth

97. It is seen that the imports have led to an adverse effect on the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	Apr22-Sep23	POI
Production	Y/Y	-	18%	2%	0%
Capacity Utilisation	Y/Y	-	13%	-1%	0%
Domestic Sales	Y/Y	-	16%	-1%	-1%
Inventory	Y/Y	-	-38%	41%	21%
Profit Per Unit	Y/Y	-	36%	159%	-78%
Profit in ₹ Lacs	Y/Y	-	58%	157%	-78%
Cash Profit in ₹ Lacs	Y/Y	-	50%	134%	-71%
ROCE	Y/Y	-	3%	20%	-30%
Market Share-Domestic Producers	Y/Y		5%	-2%	-9%

vii. Factors affecting domestic price

98. The Authority has examined the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. The landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the Domestic Industry, causing price undercutting. The price undercutting has led to price depression in the Indian market. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. The Authority concludes that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

viii. Ability to raise capital

99. The Authority notes that the domestic industry has been unable to utilise its capacities fully due to the dumped imports. The dumping of the subject goods has impacted the domestic industry's ability to raise capital investments. The Authority also notes that the domestic industry has contended planned investments, but they are however, unable to move forward due to the dumped imports. The domestic industry contended that the PUC is heavily capital intensive product and the current investment plans are for capacity addition to the tune of *** MT at a gross investment of Rs. *** crores. The Authority notes that the profits earned in the POI would not be able to able to adequately protect this investment.

ix. Magnitude of Dumping and Dumping Margin

100. It is seen that the dumping margin from the subject countries is not only more than de-minimis but also significant.

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

101. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

102. It is seen that the imports of the product under consideration from other countries are in low volumes or high in price. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

b) Contraction in Demand

103. The demand has consistently increased throughout the injury period. Thus, decline in demand is not the cause of injury found by the Authority.

c) Changes in pattern of consumption

104. There are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

105. The investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) Developments in Technology

106. No evidence has been brought forward to show that there are no significant changes in technology.

f) Export performance of the domestic industry

107. It is seen that domestic industry is largely in the domestic market. In any case, the Authority has considered the data for domestic operations for its injury analysis.

g) Performance of other products

108. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry has not been considered.

Conclusion on Injury and Causal Link

109. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i. Imports have increased in absolute terms and in relative terms leading the domestic industry has lost sales volumes.
- ii. The market share of the subject imports increased, resulting in loss of market share for the domestic industry.
- iii. The domestic industry's loss of sales volumes led to underutilisation of capacity.
- iv. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry, thereby causing price depression. Thereafter, the domestic industry faced a significant decline in profits, cash profits, and return on investment.
- v. The profits and return on investment of the domestic industry suffered a significant decline in the POI.

110. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped imports of the subject goods into India from the subject countries. There exists a causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and the material injury suffered by the domestic industry.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

111. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

112. The Authority notes the claim of the domestic industry with regard to inclusion of freight while determining injury margin. The Authority notes that the consistent practise of Authority for injury margin assessment is to compare landed value without freight with the NIP on an equivalent level of comparison. The same methodology has been adopted in this case. Further, NIP has been determined as per Annexure III of the AD Rules at ex-factory level and the same has been compared with the landed price of imports at the port levels.

113. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin determined by the Authority is provided in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

<u>S.No.</u>	Name of the Producer	Non-Injurious Price (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range
Turkey						
1	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Turkey	***	***	***	***	0-10
2	WE Soda (ETI + Kazan)	***	***	***	***	30-40
3	Any other producer	***	***	***	***	60-70
Russia						
4	M/s. Joint Stock Company Bashkir Soda Company (Producer/Exporter, Russia)	***	***	***	***	10-20
5	Any other producer	***	***	***	***	40-50
USA						
6	M/s. Sisecam Wyoming LLC	***	***	***	***	10-20
7	Any other producer	***	***	***	***	30-40
IRAN						
8	Any	***	***	***	***	40-50

L. THREAT OF INJURY

114. In the present investigation, the domestic industry has contended threat of material injury. The Authority examined the threat of material injury to the domestic industry considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules, which states as under:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b. sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would be likely to increased demand for further imports; and
- d. inventories of the article being investigated.”

L.1. Submissions by other interested parties

115. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the threat of material injury:

- i. Claims made on threat are not contextual to the imports of subject goods into India and it ignores the fact about 70-80% of the Indian demand is met by the Indian producers and rest about 20-30% is imported that too when the country has nil production through the natural route.
- ii. Global capacity and production trends do not establish threat to the Indian market and the domestic industry has not provided evidence showing that the excess capacity of subject countries would be targeted at India.
- iii. The fact that producers in subject countries export does not establish that they would direct additional exports to India in injurious quantities or injurious prices.
- iv. Applicant has not provided any evidence with respect to the four factors of threat as identified in the Rules.

L.2. Submissions by the domestic industry

116. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the threat of material injury:
- i. Imports during the current POI are nearly three times higher than that in the previous year.
 - ii. These imports have been made at dumped and injurious prices, with both the dumping margin and injury margin being positive and significant.
 - iii. Subject countries possess substantial freely disposable capacities, far exceeding Indian demand.
 - iv. Globally, soda ash production is concentrated in the USA, Turkey, and China, which together account for 72% of global capacity.
 - v. The current global installed capacity of 75 million MT surpasses the global demand of 65 million MT.
 - vi. The USA has a capacity of 14 million MT, with an additional 5 million MT announced and Turkey has 5 million MT, with a planned increase of 400,000 MT, resulting in a projected net global capacity increase of 8 million MT.
 - vii. Presently, there is a surplus global capacity of 4 to 5 million MT, which is comparable to India's total demand and is expected to continue.
 - viii. ETI Soda, a major Turkish producer, is part of the Ciner Group, which also operates in the USA. As current US exports are solely from this group, US exports can effectively be considered Turkish exports.
 - ix. Major global markets such as Europe, Latin America, and USA have experienced negative consumption growth recently:
 - x. Declining demand globally, coupled with capacity expansions, has led to a global oversupply situation.
 - xi. Market reports highlight threats to demand stability, exacerbated by geopolitical tensions such as the Russia–Ukraine conflict.
 - xii. Global demand has declined due to economic slowdown and inflation, with operating rates peaking in 2022 and declining in 2023, with further decline expected in 2024.

SN	Market	Growth
1	Europe	-4%
2	Latin America	-7%
3	US	-10%
4	India	1%
5	Cumulative	-2%

- xiii. India remains one of the few markets with rising demand, making it an attractive destination for surplus global supply.
- xiv. Despite oversupply and weak demand globally, capacity additions continue, especially in the USA.
- xv. The imbalance between oversupply and declining demand globally, except in India, raises the risk of plant shutdowns if prices fall below production costs.
- xvi. Turkish producers have expanded capacity despite weak domestic and international demand.

- xvii. Ciner added 400,000 MT of capacity; WE Soda, with operations in both Turkey and the USA, also has expansion plans underway.
- xviii. Exports from Turkey to Europe have declined significantly due to weakened European demand.
- xix. Trade disruptions have occurred due to poor international demand, and worsened by expanding exporter capacities.
- xx. Significant new capacity was planned in the USA to serve export markets, though COVID-19 delayed implementation.
- xxi. The USA's total capacity stands at 14 million MT, with 5 million MT additional capacity announced.
- xxii. Actual production has not yet reflected the new capacity due to weak international demand limiting export opportunities.
- xxiii. According to the US Geological Survey, August 2023 production was 869,000 MT, an 8% decline from July and August 2022.
- xxiv. Production in the period from January 2023 to August 2023 was 7.23 million MT, 3% lower than the same period in 2022.
- xxv. US producers are responding to global oversupply and weakening demand by attempting to sell surplus stock in markets such as India.
- xxvi. Despite global challenges, imports from the USA to India increased significantly during the POI, with at least 30% of US capacity remaining unutilised.
- xxvii. Producers in subject countries are highly export-oriented due to their large capacities.
- xxviii. In the absence of anti-dumping duties, exporters from these countries are likely to significantly increase exports to India in a short timeframe.
- xxix. The global oversupply, driven by declining demand and continued capacity expansion, poses a clear threat of material injury to the Indian industry.
- xxx. India's rising demand makes it a prime target for surplus exports, intensifying the risk of injury despite existing challenges.
- xxxi. During the POI import prices have dropped significantly, with landed prices falling well below domestic selling prices.
- xxxii. The low-priced imports are undercutting domestic market prices and are even below the domestic industry's cost of production, exerting a strong downward pressure on local prices.
- xxxiii. The depressed domestic prices are likely to stimulate further demand for imports, potentially worsening the competitive disadvantage for domestic producers.
- xxxiv. Producers in the subject countries possess substantial manufacturing capacity, indicating their ability to rapidly scale up output if needed.
- xxxv. The existing capacity suggests that foreign producers can increase supply volumes in a short timeframe, posing a potential threat to domestic market stability.
- xxxvi. The domestic industry has experienced a sharp increase in inventory levels in the most recent period, signalling possible market saturation.

L.3. Examination by the Authority

117. With respect to the examination of the threat of material injury to the domestic industry, Rule 11 of the AD Rules requires the Authority to record the finding that the subject imports into India are causing or threatening material injury to any established industry in India or materially retarding the establishment of any industry in India. Since, the Authority concludes that there is material injury to the domestic industry due to the dumped imports from subject countries, it has restricted the injury examination with respect to the material injury to the domestic industry only.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

M.1. Submissions by other interested parties

118. The following submissions were made by the other interested parties with respect to the Indian industry's interest and other issues:
- i. The imposition of anti-dumping duties on Soda Ash is not aligned with public interest, given its role as a critical input across a wide spectrum of industries.
 - ii. Any ADD on Soda Ash would disrupt the industrial value chain, adversely affecting downstream sectors and undermining broader economic objectives.
 - iii. The domestic industry already benefits from protection through Minimum Import Price (MIP); additional duties would constitute excessive safeguard measures.
 - iv. Further levy of ADD risks rendering key industries, such as glass manufacturing as unviable, with potential long-term consequences for domestic production and employment.
 - v. Indian soda ash producers have historically relied on trade protection measures, despite now commanding over 70% of the domestic market share; such reliance continues even under current market dominance.
 - vi. The demand-supply equilibrium for soda ash remains tightly balanced, necessitating imports to meet industrial requirements; during the injury period, imports ranged between 5–10 Lakh MT against a total demand of 40–43 Lakh MT.
 - vii. Imports play a critical role in ensuring availability of soda ash produced via the natural route, which is significantly more sustainable, emitting 0.30 to 0.70 tons of CO₂ per ton compared to 1 ton CO₂ per ton from the synthetic route used by domestic producers.
 - viii. Restricting imports of natural soda ash would adversely affect the production of sustainable goods in India, while the proposed ADD would increase user costs by 2–5%, directly impacting margins without evidence of injurious pricing to domestic producers.

M.2. Submissions by the domestic industry

119. The following submissions were made by the domestic industry with respect to the Indian industry's interest and other issues:
- i. The subject goods were previously subject to anti-dumping measures, and there is no public information indicating that the previously imposed duties had any adverse impact on end consumers.
 - ii. Imports entering the Indian market at dumped prices are priced below the cost of sales of the domestic industry, thereby causing significant injury.
 - iii. The imposition of anti-dumping duties is necessary to restore fair competition, safeguard the viability of domestic production, and prevent India from becoming entirely dependent on imports for the product under consideration.
 - iv. Anti-dumping measures serve the long-term interests of consumers by fostering a competitive domestic industry capable of supplying products at fair prices.
 - v. Reliance solely on imports would compel consumers to maintain higher inventory levels, whereas procurement from domestic producers allows for more efficient inventory management.
 - vi. A robust domestic industry is essential to maintaining a fair and competitive market environment, which would otherwise be dominated by dumped imports.
 - vii. It is in the public's interest to support strong and competitive domestic manufacturing of the product under consideration.
 - viii. Promoting domestic production is vital to India's ambition of becoming a global manufacturing hub, as it contributes to employment generation and GDP growth.
 - ix. If the injury to the domestic industry is not addressed, continued production may become unsustainable, undermining broader economic objectives.

- x. The Indian soda ash industry has demonstrated consistent growth, with capacity increasing from 2 million MT in 1998–99 to 4.5 million MT in 2023–24, in line with national demand.
- xi. The industry has planned an additional 2 million MT of capacity expansion, reflecting its commitment to self-reliance and domestic supply security.
- xii. Employment has increased in tandem with capacity growth, and further expansion is supported by Rs. *** crores in planned investment to reach *** million MT.
- xiii. However, the current market conditions have severely jeopardized the viability of these proposed investments.
- xiv. The domestic soda ash industry plays a significant role in employment generation, providing direct and indirect jobs to approximately 22,000 individuals across India.
- xv. Gujarat, as a key manufacturing hub, accounts for a substantial share of this employment.
- xvi. The imposition of anti-dumping duties is not only beneficial to consumers but also serves the broader national interest.
- xvii. Protecting the domestic industry through such measures can stimulate the establishment of new manufacturing facilities and enhance production capacity.
- xviii. These actions are consistent with the Government of India's Make in India initiative and contribute meaningfully to national economic growth.

M.3. Examination by the Authority

- 120. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may stimulate the emergence of new producers within the country.
- 121. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, inter alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
- 122. The imposition of anti-dumping duties on soda ash is consistent with larger public interest, as it seeks to remedy dumping happening in the Indian market, restore fair competition and ensure the long-term viability of domestic manufacturing. The domestic industry submitted, despite previous duties, there is no evidence of adverse impact on end consumers, and the domestic industry has demonstrated growth, expanding capacity from 2 million MT in 1998–99 to 4.5 million MT in 2023–24, with further investments planned. These measures are essential to prevent India's over-dependence on imports, particularly when dumped goods are priced below domestic cost of sales, causing material injury. A strong domestic industry not only supports efficient inventory management for consumers but also contributes to employment generation, with over 22,000 direct and indirect jobs.
- 123. With regard to the impact of duties on the glass industry in India, it is noted that the imposition of duties on soda ash would have a negligible impact on its cost. This sector has already received substantial protection through the imposition of ADD across various categories of glass products. As noted from the submission of the domestic industry, there have been eleven distinct cases wherein duties have been levied on different types of glass, highlighting the consistent support extended to protect domestic manufacturers of the glass industry. Consequently, any additional duty on soda ash is unlikely to disrupt the cost or materially affect the downstream value chain.

124. It is noted that some of the applicant companies are also engaged in the production of detergents within the country. An analysis of price movements as submitted by the domestic industry shows that despite a decline in the import prices of soda ash, the prices of detergents have not decreased in proportion. This suggests that detergent prices are not directly correlated with fluctuations in soda ash prices, indicating a degree of pricing insulation or independence in the downstream market. Further, when considering the potential impact of anti-dumping duties on detergent prices, the prices of the soda ash and the other primary raw material- which is Linear Alkylbenzene (LAB)- has been provided by the domestic industry. A comparative assessment since April 2020 shows that when the prices of LAB and soda ash increased, detergent prices also rose. However, when the prices of these raw materials declined, detergent prices remained stable and did not reflect a corresponding decrease. Thus, movement of raw material price does not have a significant impact on the prices of the detergents.
125. It is noted that in view of the prevailing economic conditions, including the widening trade deficit and depletion of foreign exchange reserves, it is necessary to strengthen reliance on domestic production capacities. As noted above, there exists no discernible demand-supply gap in the domestic market. The imposition of duties is expected to foster a level playing field. Imposition of duties is deemed to be in the interest of the end-users, particularly in light of the high degree of export dependency.
126. Anti-dumping duties would be in line with the nation's priorities by reinforcing India's policy to become a global manufacturing hub under the Make in India initiative. Additional duties would incentivize domestic capacity expansion, supported by ₹1,200 crores in planned investment, and promote sustainable production practices. By fostering a competitive and self-reliant industrial base, the imposition of duties aligns with economic growth, supply security, and environmental sustainability, without demonstrable harm to downstream sectors or consumer margins.
127. The Authority recognises that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry, and help maintain availability of a wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

N. POST DISCLOSURE COMMENTS

N.1 Submissions by other interested parties

128. The following comments to disclosure statement have been made by the other interested parties:
- i. The Authority's observation of non-exclusion of natural soda ash and existence of interchangeability between natural and synthetic soda ash is incorrect as there is visible difference in the production processes, cost structures and environmental impact.
 - ii. Light and dense soda are also different products and come under different HSN codes. Light soda ash is particularly used by the detergent manufacturers as natural soda ash consists of high levels of impurities.
 - iii. The question on eligibility cannot be dismissed based on the related party relationship between Tata Chemicals and Nirma only because the volumes were minuscule during the POI. The relationship between the two entities gets confirmed by the fact that exports by their affiliates occurred in early period.
 - iv. Imposition of anti-dumping duty in addition to the already existing MIP shall be a double sword for the users and importers as MIP is determined to be a valid and sufficient measure to check low-priced imports.
 - v. The application filed by the domestic industry in another forum for issue of Quality Control Order ("QCO") and a mandatory BIS standard is also pending. Hence, the domestic industry should have waited for the forum's decision before approaching DGTR.
 - vi. There has been no justification on record for the allowance of a 9-month POI in the subject investigation. Comparing the POI with 2020-21, 2021-22 and 2022-23 shall give adverse injury analysis as these years were

marked by supply chain disruptions, COVID-19, red sea crisis, and Russia-Ukraine conflict thereby making the comparison unreliable.

- vii. The as-filed Petition was marked with excessive confidentiality thereby violating Rule 7 of the AD Rules and Trade Notice 10/2018. While some important financial and cost data were withheld or provided only in indexed form, the revised data was provided after a significant delay which precluded the interested parties from providing meaningful comments on the same.
- viii. The anti-dumping protection is not required any longer given past discontinuation of the Petitions and domestic industry's habitual recourse to anti-dumping proceedings even though there is no injury.
- ix. The domestic industry is not suffering any material injury because of the subject imports. There is a persistent demand-supply gap in the country and the same gets intensified given the domestic industry's decision to export a part of its production.
- x. The domestic industry's selling price has increased well above the cost of sales till 2022-23 and remained higher than indexed cost levels in the POI. The domestic industry has also garnered positive profitability, and the decline in profit in the POI is only due to the normalization after windfall gains during supply disruptions. Even the increase in the inventory level is minuscule and there is a discrepancy between the closing inventory in September 2023 and opening inventory in October 2023. The correlation between global and Indian prices shows that the domestic price movements is market driven.
- xi. There will be severe impact on the user industry as there is a significant demand-supply gap in the domestic market which will only be exacerbated with the imposition of the anti-dumping duties as the downstream users would find it extremely unaffordable to rely on imports. The quantified impact on the detergent manufacturers will also be significant and close to 3.49% in the event of imposition of the anti-dumping duty. Given the strict competition given by the ASEAN countries which are export oriented who sell detergent at much lower price than that offered by the Indian market, it shall prove to be a death blow to the downstream industries.
- xii. The recent GST reforms undertaken by the Government which saw reduction in many products from 18% to 5%, consisting of items mostly used by common people, to ease their financial burden for the purchase of items of daily use shall become worthless in case anti-dumping duties are imposed on the PUC. Detergents is used by people on a daily basis, and if the duties are imposed on the raw material used in their manufacture, the cost of the end product, detergent in this case, shall anyway increase and nullify the impact of the GST reduction on the same.
- xiii. Upon imposition of anti-dumping duties, it is likely that domestic producers of the PUC will revise their pricing strategies. In the absence of competitive pressure from imports, domestic industry may increase selling prices of PUC. This will result in a general upward correction in market prices, affecting all buyers of soda ash, including AGI.
- xiv. AGI has recently entered the segment of packaging products for cosmetics and perfumery, with a primary focus on exports. Any imposition of anti-dumping duty on soda ash will increase AGI's input costs and reduce its competitiveness in export markets. This will be detrimental to AGI's business interests, as the cost of raw material will increase substantially regardless of whether AGI imports natural soda ash or procures synthetic soda ash from domestic producers.
- xv. Synthetic soda ash has a carbon footprint of atleast 1.3 CO₂/Mt, whereas natural soda ash has a significantly lower carbon footprint of about 0.4 CO₂/Mt. Further, the Central Pollution Control Board ("CPCB") prescribes emission and effluent standards for the detergent industry, which in effect encourages the use of products with lower greenhouse gas ("GHG") emissions.
- xvi. The cost difference between synthetic light/dense soda ash and natural dense soda ash exceeds 20%, while the price difference between synthetic light and natural dense soda ash is over 10%.
- xvii. In the past, the Authority examined if the related domestic producer has acted differently due to relationship or has participated in dumping practices and has taken such steps which would have resulted in self-inflicted injury. However, in the present investigation, the Authority has not considered the factors above other than an assessment that the imports of the PUC by Tata and Nirma are quite low.
- xviii. The Authority has not disclosed the percentage of imports from related parties vis-à-vis Indian production and total imports. This approach constitutes a deviation from the Authority's established practice.
- xix. The information related to sale value, PBIT, depreciation, etc., is critical, and the failure to provide this information inhibits the ability of interested parties to make meaningful comments thereto. The Domestic Industry cannot be held to a different or lower standard of transparency vis-à-vis other interested parties in the subject investigation who are required to adhere to prescribed formats.

- xx. The MIP of ₹20,108/MT has already had the effect of increasing market prices. The imposition of any anti-dumping duty in addition to the MIP would significantly increase input costs for the downstream industry and result in excessive and unwarranted protection. It is the users will ultimately bear the financial burden of such overcompensation.
- xi. The very purpose of the MIP was to mitigate the alleged injury by restricting low-priced imports and thereby improving the financial position of the Domestic Industry. However, the failure of the MIP to deliver any material improvement in their profitability undermines the core assumption that imports are the cause of the alleged injury.
- xii. The Disclosure Statement does not provide any reasons for considering a 9-months period for the POI. Without prejudice, the Authority's decision to adopt a POI that is longer than what was proposed by the Petitioner requires an independent evaluation of whether that period is representative and appropriate.
- xiii. The Authority in previous investigations not only provided reasons for considering a period of nine months as the period of investigation but also invited comments from interested parties.
- xiv. Both the 6-month and 9-month periods are too short and not representative for the Authority to conduct a proper and objective assessment of dumping, injury and causation, and the situation of the Indian domestic market.
- xv. In the 6-months referred to in the petition and 9-months ultimately being considered by the Authority, one of the constituents of the Domestic Industry, i.e., Tata Chemicals Limited, faced utility-related limitations which in turn affected the production volumes during the POI.
- xvi. The User notes that the dumping margin table does not include the margin for “all others”. The same constitutes an essential fact and the Authority is requested to issue a revised disclosure statement providing the margins for “all others” rate before proceeding further with the issuance of the final finding.
- xvii. The Authority is requested to determine price undercutting for the entire injury period to assess the effect of the same on the profitability of the Domestic Industry. The price at which HUL has sourced the PUC is much higher than the prices at which HUL sourced the PUC from import sources.
- xviii. Based on the annual and quarterly reports published by GHCL, i.e., one of the largest producers of the PUC in India, has recorded profits in the POI in comparison to the base year.
- xix. The injury (if any) to the Domestic Industry is due to factors other than subject imports:
- xx. Low production. DCW Ltd., admitted in their earnings conference call for Q4 of FY 2023-2024, that their production was low during the injury period due to breakdown of capital equipment, and it operated at three-fourths of its installed capacity. DCW Ltd., noted that it continued to operate at the same capacity level during the POI due to production stoppages and revamping of their capital assets. As admitted by DCW Ltd., in their earnings call for Q1 of FY25. Similar utility-related limitations affected Tata Chemicals Limited's production volumes during the POI. This was admitted by Tata Chemicals Limited in their earnings call for Q4 of FY2023-2024.
- xxi. The temporary decline in import prices was due to disturbances within the downstream product industry, rather than an actual decrease in import prices. The underlying reasons for this drop in import prices have been clearly outlined in GHCL Ltd's annual report.
- xxii. There are significant discrepancies between the figures recorded in the Disclosure Statement and those furnished by the Petitioner.
- xxiii. Authority should examine the impact of high net fixed assets while determining the capital employed for the purposes of NIP.
- xxiv. The detergent industry is already reeling under the pressure of the drastic increase in imports of detergent from the countries comprising the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”), particularly Indonesia, in the past four years. Any increase in the cost of soda ash due to the levy of duties would significantly impact the operations of the producers of detergent.
- xxv. Quantification of impact of duties based on margins recorded in the Disclosure Statement: The impact of anti-dumping duties would be significant this is opposed to merely 0.46% as claimed by the Domestic Industry.
- xxvi. The objective of trade remedial measures is not to create an environment that is designed to incentivize domestic industry expansion, but to remedy the injury, if any, cause to the domestic industry on account of the imports of the product concerned.
- xxvii. The POI of less than 12 months is self-serving and is specifically carved out to demonstrate an otherwise non-existent injury.
- xxviii. It is apparent from the information provided in the Disclosure Statement that the POI has been specifically carved out by including only those months/period where the prices were low.

- xxxix. The Respondent asserts that selecting a POI shorter than 12 months violates Rule 5(3A)(ii) of the ADD Rules.
- xl. The Disclosure Statement justifies the truncated POI by citing a post-September 2023 decline in import prices and rise in volumes. This justification is deemed flawed and manipulative, as it selectively includes months with low prices to fabricate injury.
- xli. These justifications were disclosed to the Respondent only at the Disclosure Statement stage, denying them a fair hearing. Such ex post facto reasoning breaches natural justice and contradicts the express language and intent of Rule 5(3A)(ii).
- xlii. The claim that reasons for POI deviation need not be in the initiation notice is incorrect and undermines stakeholder participation. The Respondent submits that the investigation suffers from jurisdictional infirmities and must be terminated.
- xliii. The Respondent highlights that the application and initiation notification breach Trade Notice No. 2/2004, which mandates inclusion of POI and three prior financial years.
- xliv. The Supreme Court in SAIL v. Collector of Customs held that Trade Notices are binding and must be amended if erroneous—not disregarded. The Authority’s selective deviation from the Trade Notice appears biased and unjustified.
- xlv. Disturbances in the glass industry caused muted demand for the subject goods leading to a drop in import prices.
- xlvi. The domestic industry unilaterally deviated from Trade Notice No. 2/2004 without prior approval from the Authority.
- xlvii. The Authority’s post-facto reasoning lacks prior application of mind and amounts to retrospective rationalization.
- xlviii. Endorsing this deviation without amending the Trade Notice creates procedural distortion and risks bias.
- xlix. Rule 2(b) disqualifies domestic producers related to exporters of subject goods from being considered part of the domestic industry. The Disclosure Statement improperly considers export quantum, which is irrelevant under Rule 2(b). Inclusion of Tata Chemicals and Nirma Ltd. despite their related-party exports violates the Rule and renders injury analysis invalid.
1. The POI and injury period appear to have been selectively altered to exclude periods of related-party exports by Nirma Ltd.
 - ii. Evidence suggests exports occurred in July–September 2023, which was excluded from POI and added to prior year.
 - iii. The applicant submitted updated injury data for the extended POI (Oct 2023–Apr 2024) without mandatory certifications or authorizations.
 - iv. The Rules do not permit piecemeal correction of deficient information, especially under confidentiality claims.
 - liv. Depreciation of the domestic industry has increased significantly. 22% ROCE for NIP lacks legal justification and reasonability
 - lv. Economic factors and indices indicated show growth during the injury investigation period
 - lvi. Landed value calculation for ETI Soda and related company Kazan differs in DS versus claimed.
 - lvii. The price of detergent powders could not be increased to the extent of increased prices of Soda Ash and LAB, so, the manufacturers were forced to resort to adjustments in their formulations by reducing the incorporation of Soda Ash and LABSA to cushion the effects of the extremely high prices of Soda Ash and LABSA. Further, when the prices of Soda Ash and LAB reduced from their peak prices though not to the extent that existed before the prices shot up, the detergent manufacturers reacted by restoring their old formulations i.e. by increasing the soda ash and LABSA incorporation. Hence, the Authority could not see the corresponding effect of the reduced prices of the raw materials in the form of reduced detergent prices

N.2 Submissions by the domestic industry

129. The following comments to disclosure statement have been made by the domestic industry:

- i. The domestic industry filed updated information due to change in POI. Therefore, reasoning for claiming confidentiality remains the same. Trade notice of 10/2018 has been fully complied with.
- ii. The petition was filed for 6 months, but the Authority extended it to 9 months to address injury being caused to the industry. This POI, thus, is in line with Rule 5(3A) of the Anti-dumping Rules.

- iii. There was significant difference between the export price as exporting countries customs and import price as per Indian customs in July–Sept. 2023 quarter (which could be because of time lag between exports and imports). Thus, including July–Sept. 2023 would distort the injury margin.
- iv. The WTO in Guatemala-Cement II confirmed that POI can be extended even after issuance of preliminary findings. It can be inferred that the POI can be extended while initiating investigations as well.
- v. Law does not mandate that reasons for a shorter POI be recorded in the notice of initiation. they can be reflected in preliminary or final findings, under Article 12. The requirement only calls for recording of the reasons by which a shorter POI is chosen. Thus, this recording may be in public notice or by the Authority's consideration.
- vi. The Authority in its final findings No.14/17/2010-DGAD dated 17.02.2012; and final findings no 14/3/2011-DGAD dated 9.02.2013 held that light and dense soda ash are merely two forms of the same product. Thus, natural soda ash should be included within the scope of PUC.
- vii. The cost difference between dense and light soda ash is below 5% with both types having many common usages. Consumers use both interchangeably. Further, import of dense soda ash have caused injury to the production and sale of light soda ash also.
- viii. There is no requirement for separate PCNs even with respect to production processes, as interested parties have claimed. The same has been held by European Commission in Regulation (EC) No 823/95 of 10 April 1995, imposing provisional duties on Disodium Carbonate from USA.
- ix. The interested parties were given seven days to raise confidentiality claims. No claims were made in the time limit. Any claims thereafter are time barred.
- x. In view of the change in the POI, the domestic industry filed revised information in full compliance with Trade Notice 10 of 2018. Further, the confidentiality reasoning provided in the application should be considered for the updated information as such reasoning would remain the same for the information.
- xi. The domestic industry circulated revised injury statements on 13th May 2025, to which also there were no comments raised, despite sufficient time being available.
- xii. Inclusion of freight as an element of fair comparison while determining injury margin and price undercutting is important. Non-consideration of freight would lead to unfair comparison between imported product price and domestic product price.
- xiii. Recognising freight as a price adjustment does not breach the WTO Agreement, since the lesser duty rule is only a best endeavour clause and leaves full discretion to members on determining injury margin.
- xiv. In 2003, India had circulated a proposal before Negotiating Group on Rules of the WTO on mandatory application of lesser duty rule wherein India had proposed two alternative options for determination of injury margin – one based on price and other based on target price. In either situation, the injury margin is required to be determined as a difference between two "prices" - the price of the domestically procured product and the price of the imported product.
- xv. Import price might mean import price at any level, such as CIF, at port price, resale price of the importer or delivered price to the customer. Thus, import price and target price ought to be at a comparable level.
- xvi. At present, Designated Authority has been comparing NIP of the domestic industry at ex-factory level and import price at landed price at port. If the import price is at port, it is not an ex-factory level; whereas, the domestic industry NIP/price is at the ex-factory level. Further, it is also evident that the NIP at ex-factory level and import price at the port after payment of customs duty are not at the comparable levels/same level. Otherwise, there was no purpose of proposing a comparison wherein one of the options could have been CIF price of import.
- xvii. Therefore, India had proposed that WTO member countries compare the imported product price with the domestic industry price as close to consumption as is reasonably possible.
- xviii. Since anti-dumping duties in India cannot exceed the dumping margin, including freight does not result in excessive protection but merely corrects an anomaly in the current methodology to properly address injury to the domestic industry.
- xix. As per India's proposal at WTO, the term "price" can be interpreted as meaning import prices at any level such as cost, insurance and freight (CIF), or ex-customs area, or resale price to the importers, or the delivered price to the customers, provided that the comparisons with the price of the dumped imports, for the purpose of arriving at the injury margin, are made only at comparable level.
- xx. Demand for product increased marginally in the POI compared to previous year, however, imports from subject countries increased suddenly and significantly i.e. by 130% in the POI, compared to previous year.

- xxi. Imports from subject countries increased by 130% in the POI, compared to previous year and by 86% compared to base year.
- xxii. The gross demand for product in the country is about 4.2 million MT which is comparable to the installed capacity in the country.
- xxiii. Imports in relative terms increased significantly. Imports in relation to production and consumption was 17% and 14% respectively in the base year and has gone up to 20% and 20% in the POI.
- xxiv. Landed value of imports from all subject countries are undercutting domestic industry's prices.
- xxv. The cost of sales and selling price declined in the POI. However, the decline in selling price in the POI is much more than the decline in cost of sales. Although, subject imports were not causing suppressing/depressing effect till previous year, current landed value is below both selling price and cost of production of domestic industry.
- xxvi. Despite steady capacity utilisation, the domestic industry lost sales and market share due to a surge in dumped imports, forcing exports at low prices to manage rising inventories.
- xxvii. To sustain production and manage stock, domestic industry was forced to export at low prices.
- xxviii. Even though demand rose, imports more than doubled causing major losses in both sales and revenue.
- xxix. Loss of sales volume is reflected in the domestic industry as well as the Indian Industry's market share which declined in the POI whereas market share of subject imports increased significantly in the POI.
- xxx. During POI, import prices fell below the domestic industry's cost of sales severely depressing market prices. While production costs declined only marginally, selling prices dropped disproportionately, leading to a significant fall in profitability.
- xxxi. When import prices were higher in 2022-23, the domestic industry achieved its best performance. However, after that domestic industry is facing intensified financial stress due to underpriced imports. In the POI, both profits and cash profits has declined sharply.
- xxxii. Although demand grew, domestic industry's inventories rose slightly. This is despite exports, without which domestic industry would have reported faced higher stockpiles, reduced production, and lower capacity utilisation.
- xxxiii. The growth of the domestic industry has been adverse in terms of volume parameters and has seen a significant decline in price parameters in the POI.
- xxxiv. Rising imports due to price undercutting, depressed domestic prices, declining sales and market share, forced low-priced exports, negative growth, and sharply reduced profitability, PBIT, cash profits, and ROI during the POI are the direct consequence of dumped imports. No other factor has caused material injury to the domestic industry.
- xxxv. Captive production of RSPL and Nirma Ltd. should be considered while calculating the non-injurious price of the domestic industry.
- xxxvi. As per Annexure III, the purpose of determination of NIP the Rules simply refer to "production" at various instances, with no defined distinction between production meant for sales or captive use. Annexure-II [para (vi)] further clearly provides for consideration of "domestic production". Therefore, production meant for "captive use" needs to be considered for determination of NIP as the captive production is also meant to be used for domestic consumption.
- xxxvii. Captive consumption of soda ash must be included in domestic consumption, as it either substitutes domestic sales or would have been met by other producers. Thus, in either situation, the volume of captive production would have been included in the "domestic production".
- xxxviii. RSPL's captive consumption is actually captive sales, as invoices are raised and payments are made between company units.
- xxxix. These internal sales are conducted at prevailing market prices, with applicable taxes and GST, similar to sales to independent customers.
- xl. RSPL's financial records confirm these are genuine sales, not typical captive consumption, which involves no sale or payment.
- xli. Thus, not only are these sales being at market price but they also follow all such statutory requirements and procedures as are applicable to sale to an outside party. If it were a captive consumption, there would be no sale/purchase and there would be no payments received.
- xlii. Tata Chemicals' does not discharge the effluent into sea, instead the company uses the effluent to produce Clinker cement. Loss incurred in this production has been deducted from the non-injurious price. However, effluent

- treatment is unavoidable in soda ash manufacturing, and converting it into cement is an environmentally responsible compliance measure, not a separate business.
- xliii. Any costs or losses arising therefrom are intrinsically linked to the production of the main product, i.e., soda ash and cannot be considered avoidable inefficiencies or unrelated activities. Excluding such costs would artificially suppress the non-injurious price and would penalize efficient and eco-friendly practices.
 - xliv. Tata Chemicals Ltd, does not discharge effluent into the sea, instead, the company uses the effluent to produce Clinker cement. The company is incurring losses in this production. This loss has been deducted from the non-injurious price.
 - xlv. During the POI in the present investigation, the company has suffered loss on the same, as the expenses incurred is more than the sale value of effluent. Therefore, the said cost should be considered as part of the conversion cost.
 - xlvi. the loss incurred in producing clinker cement from effluent treatment must be included in the cost of production under Annexure III of the Anti-Dumping Rules because effluent treatment is an unavoidable part of the manufacturing process. Tata Chemicals' choice to convert effluent into cement is not a separate business venture but an environmentally responsible method of compliance. Any costs or losses arising therefrom are intrinsically linked to the production of the main product, i.e., soda ash and cannot be considered avoidable inefficiencies or unrelated activities.
 - xlvii. The WIP for Tata Chemicals Ltd has been considered for all four years on a pro rata basis, resulting into high negative change in WIP on a per unit basis for the year 2020. This resulted in the lowest cost for raw material in the base year leading to high normation on this account in the POI.
 - xlviii. The self-consumption of Soda Ash for captive consumption into dense soda ash should be deducted from the WIP figures which are considered at present. Tata Chemicals Ltd. has also provided a detailed certification in this regard.

N.3 Examination by the Authority

- 130. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that the comments which are reiteration and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paragraphs of this final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised by the interested parties other than those examined in detail and which are considered relevant by the Authority have been examined hereunder.
- 131. The argument that the period of investigation (POI) of less than twelve months is flawed overlooks the underlying rationale for its selection. The Authority notes that POI is central to establishing both the existence of dumping and the injury caused, and consequently to determining the appropriate quantum of duty, if any, to address such injury. As demonstrated in this finding, import prices declined sharply from October 2023 onward, accompanied by a significant increase in import volumes. Inclusion of months prior to this period would not have captured the actual dumped and injurious behavior of exporters and would therefore have distorted the analysis.
- 132. While the applicants had initially proposed a six-month POI, the Authority extended it by an additional three months to allow for a broader examination of exporter behavior and to ensure a more comprehensive and balanced analysis. This approach addresses concerns of representativeness while still reflecting the period in which dumping and injury actually occurred. It is further noted that there is no provision under the ADD Rules which mandates that the POI cannot be changed while initiating the investigations. The Rules authorises the Designated Authority to seek supplementary information as and when required during the course of investigation, from the other interested parties as well as domestic industry. The Designated Authority can change the POI, even after issuance of preliminary findings. The only obligation on the Designated Authority and right of the interested parties is adequate opportunity for defense to the interested parties. The Designated Authority has provided such opportunity to the interested parties.
- 133. As regards the contention that interested parties were denied an opportunity to present their views before the Authority, it is noted that the non-confidential version of the application circulated at the stage of initiation contained a specific addendum from the applicant explaining why the period July–September 2023 could not be considered as part of the POI. Subsequently, two oral hearings were held, followed by written and rejoinder submissions by the interested parties. During these proceedings, the domestic industry reiterated its position on the inappropriateness of including July–September 2023 within the POI. Accordingly, it is evident that interested parties had adequate opportunity to address this issue before the Authority.
- 134. As regards the argument that the justification for adopting a shorter POI ought to have been specified in the initiation notification, the Authority notes that the submissions of the domestic industry were duly examined while

initiating the investigations and it was decided not to include the period July–September 2023 within the POI. The same is recorded in the case file. There is no requirement of notifying such reasons in the initiation notification. The only requirement is for recording the reasons in writing, and the same has been done. Further, there is no legal obligation to record such reason in public notice of initiation. The Designated Authority is required to record such reasons in the public notice at the stage of issuance of preliminary findings under Rule 12, if any, or at the stage of issuance of Final Findings under Rule 17.

135. In any case, the omission of these reasons in the public initiation notification does not in any way prejudice the rights of the interested parties. The justification for the selection of the POI forms part of the official record of the investigation and has been explicitly reflected in the disclosure statement as well as in these final findings. The Authority is, therefore, in full conformity with the requirements under ADD Rule 5(3A)(ii).
136. With respect to the contention that the injury period prescribed under Trade Notice No. 2/2004 dated 12.05.2004 has been violated, the Authority finds no such violation. Having determined the appropriateness of commencing the POI from October 2023, the Authority, in line with the provisions of the said Trade Notice, included the period April–September 2023 within the preceding financial year (2022–23). This ensured continuity of the injury period and avoided any gap within the injury period, thereby maintaining full conformity with Trade Notice No. 2/2004.
137. As regards the argument that Rule 2(b) mandates that a domestic producer related to an exporter automatically becomes ineligible, the Authority finds such an assertion without legal basis. Rule 2(b) provides the Authority with discretion to treat producers who have imported the subject goods themselves, or who are related to an importer or exporter of the subject goods, as ineligible domestic producers. In the present case, the Authority examined the export volumes of the related exporters of Tata Chemicals and Nirma Ltd. It is clarified that the related parties of Tata Chemicals did not export the subject goods to India during the POI. Further, related party of Nirma Ltd, i.e., SVM, had exported *** MT directly to independent customers in the POI. Further, with respect to the argument that the POI was deliberately shortened to exclude the period in which exports were made by the related party of Nirma Ltd., the Authority notes that, infact, there were no exports by such related exporter during the period April–September 2023. Thus, the information on record shows that Nirma's focus is not on introducing imported goods into the domestic market, nor its related exporter is focussing on targeting the Indian market through its exports.
138. It has been argued by the interested party that certifications / undertakings / declaration has not been furnished by the Domestic Industry regarding the extended period of investigation, it is noted that the applicant submitted all declarations along with the application forming the basis of initiation. It is noted that these declarations are taken from all interested parties, and this declaration has its validity for the entire duration of the investigation, irrespective of whether the POI is subsequently extended. The purpose of these verifications/inspections is to check the accuracy of the claims made by the parties and to authenticate the data and information provided by the parties. There is no mandatory requirement of providing certifications by the Domestic Industry with respect to extended POI. The requirements in the application are only to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury, where applicable, and where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation. In present case, the Authority initiated the investigation only after being "*prima facie*" satisfied with the evidence. Authority has verified the records of the concerned parties involved in the present investigation. Thus, reliance is now placed only on the verified information furnished by the domestic industry.
139. As regards the contention that the revised non-confidential information filed by the domestic industry was submitted belatedly, the Authority notes that the second oral hearing was conducted only after circulation of the revised data. Consequently, the responding parties were afforded sufficient opportunity to present their views on the revised information, both during the hearing and through their written and rejoinder submissions. In these circumstances, no prejudice can reasonably be claimed by the interested parties on account of the timing of the revised submissions.
140. As regards the contention that there exists a demand supply gap for the subject goods in the country, it is noted that the domestic industry holds capacity to cater to a very substantial part of the Indian demand. Despite this, imports continue to occupy a substantial share of total demand. It is noted that the same is not due to any shortfall in domestic supply but owing the large volume of dumped imports. Further, the domestic industry has submitted that it has been compelled to divert its subject goods towards exports even at lower price than what is being sold in the domestic market. The Authority also notes that the inventories with the domestic industry increased in the POI with the increase in dumped imports.
141. With regard to the submission that the temporary decline in import prices was due to disturbances in the downstream product industry, rather than an actual decrease in import prices, it is noted that the demand for the subject goods has increased in India. Further, the data provided by the foreign producers shows much higher domestic price as compared to export price. Therefore, possible disturbances in the glass industry does not seem to have affected the demand for the subject goods in India. It is also noted that the glass industry is protected by way of trade remedial measure through anti-dumping or countervailing duties. It is further noted that the other

major consumer of the subject goods, the detergent industry, has not shown any decline in pricing in accordance with the decline in the import price of the subject goods. In fact, the information shared by the domestic industry shows that detergent prices increased with increase in price of soda ash, while with a decrease in prices of the subject goods, there was no corresponding decrease in prices of detergent. It is therefore noted that movement in the downstream industries would not have an effect on the import prices of the subject goods.

142. As regards the argument that the imports of the subject goods are subject to the MIP of Rs. 20,108/MT, leading to an increase in prices, it is noted that MIP for the product is only till 31st of December, 2025. Further, the NIP determined by the Authority is much higher than the MIP fixed at present. Even if imports occur at MIP, the same shall still be injurious to the domestic industry. The MIP was fixed considering the dumped and injurious import price of the product. Since MIP is in force only till 31st December, 2025, the competent authority would consider the ADD now recommended, while considering any request for extension of MIP, if filed by the domestic industry.
143. As regards the argument that the domestic industry's sales and production increased throughout the injury period, including the POI, it is noted that while the sales and production volumes of the domestic industry increased, the market share of the domestic industry in demand has dropped by 9% from the previous year. Further, significant part of the increase in production in the POI went to export sales. The market share of the subject imports increased from 19% to 27% in the POI, showing an increase by 8%, nearly the same loss of share faced by the domestic industry. The Authority notes that even in comparison to the base year, the same pattern emerges. The subject goods imports have taken away the market share in demand of the domestic industry. Further, the domestic industry has suffered significant deterioration in its profits, cash profits and return on investment in the POI, thus establishing adverse price effect as a result of dumping in the country.
144. With regards to the argument that the MIP did not aid in material improvement in profitability of the domestic industry, it is noted that the MIP fixed is below its non-injurious price. The Authority notes that the data of the domestic industry shows that even with the MIP in place, subject imports have increased.
145. As regards the argument that information related to sale value, PBIT, depreciation of the domestic industry has to be disclosed, the Authority notes that information such as sale value, profit before interest and tax, and depreciation is related to the pricing and costing structure of the domestic industry, constituting business sensitive information. Therefore, the same were claimed confidential by the domestic industry and allowed by the Authority. This actual information therefore cannot be disclosed.
146. As regards the contention that natural and synthetic soda ash are not like article, the Authority earlier noted that the consumers are interchangeably using the natural and synthetic soda ash. While the sources of obtaining the two forms of Soda Ash are different, however, the technical and chemical properties and the interchangeability of Soda Ash derived from either of the sources does not differ. Natural and synthetic soda ash are identical in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Resultantly, they are used interchangeably by the consumer industry. The Authority noted in its past investigation on subject goods vide Final Findings No. 14/17/2020-DGAD dated 17th February 2012, that the difference production process cannot render natural and synthetic soda ash as dislike articles, especially as the resultant products are used interchangeably. The Authority notes that the interested parties have not brought any new factual evidence and information warranting reconsideration.
147. It has been argued that natural soda ash is more environmentally sustainable, due to its lower carbon emissions compared to synthetic soda ash, which is claimed to emit three times more carbon. In response, the domestic industry has clarified that differences in carbon emissions or environmental attributes do not alter the fundamental nature of the product, nor do they affect the interchangeability between natural and synthetic soda ash. The Authority notes that soda ash, irrespective of its origin, is used interchangeably by downstream consumers. Regarding the environmental impact submissions, the Authority notes that no evidence has been provided to indicate the existence of domestic regulatory provisions that either prohibit or discourage the use of one variant over the other, or that promote a particular type of soda ash.
148. As regards the argument that the depreciation of the domestic industry has increased significantly, it is noted that GHCL has enhanced capacity during the injury period and further RSPL, who is a new entrant in the market as compared to the other constituents of domestic industry, has increased its domestic sales. Since depreciation has been allocated on a pro rata basis, the depreciation shows increase over the injury period. It may be noted that cash profits per unit has infact declined in the POI.
149. The interested parties have made various submissions on the calculation of non-injurious price. With regard to the submission that return of 22% is not justified, the Authority notes that it has consistently allowed 22% return on capital employed. No justification has been given by the interested parties to deviate from this practice and thus the same has been adopted in the present investigation as well.
150. The argument that the GST lowered from 18% to 5% on some daily use items shall be invalidated if ADD is imposed as it will increase the price, is flawed. There is sufficient domestic availability of the subject goods.

Further, it is noted that any impact of ADD on downstream products is minimal and can be absorbed or passed on without materially affecting the affordability of the downstream product.

151. As regards the submission that Tata Chemicals Limited, faced utility-related limitations which in turn affected the production volumes during the POI and therefore the POI considered is not appropriate, the Authority notes that the production of the domestic industry and Tata Chemicals in particular has increased in the POI. The transcript of the conference referred by the interested party also shows that it was stated that the sales volume has increased despite adverse price movement on account of market factors. Similarly, regarding the submission that DCW Ltd. faced stoppages in production, it is noted that one of the transcripts of the conference referred to by the other interested party is prior to the POI period. Further, the verified information by the Authority shows that there has been no abnormal shutdown in the POI. Thus, the claims of the other interested party on these accounts do not hold any merit.
152. As regards the contention that supply chain disruptions, COVID-19, red sea crisis, and Russia-Ukraine conflict making the comparison unreliable, it is noted that these events were in years preceding the POI. The POI as selected in the present investigation allows for a meaningful comparison with the base year and prior periods. The selection of the POI is not affected by the above-mentioned events. In fact, it is seen that in the periods in which these events occurred, the domestic industry's performance was better than that in the POI, showing that the events did not have an impact on the domestic industry. It is also noted that the questionnaire responses filed by the responding exporters shows significant dumping margin.
153. Regarding the calculation of landed value for ETI Soda and Kazan, it is noted that the claims for adjustments for export price were submitted without evidence. To arrive at export price from CIF, CFR, and FOB price, freight and other port and handling charges, inland freight and insurance are to be considered. However, in the absence of any information in this regard, the Authority considered the average value of adjustments as considered for other related parties of ETI Soda and Kazan, for which evidence was available. The landed value has been worked out considering the CIF price. Thus, the difference between the landed value determined by the Authority and the claimed figure of the responding exporter is due to the consideration of these adjustments.
154. With regard to the contention that detergent suppliers operate on limited margins and that the imposition of duties would increase costs, disrupt the soda ash supply chain for India's detergent sector, and ultimately lead to a 3.49% impact on the end consumer, it is noted that the domestic industry possesses sufficient capacity to meet consumer demand. In fact, a substantial portion of such demand is already being met by the domestic industry. Accordingly, the impact of anti-dumping duty (ADD) on the downstream industry and, by extension, on consumers, must be considered proportionately, since a significant share of purchases is made without the payment of such duty. Further, the impact analysis presented by the interested party factors in a 20% profit margin on the increased cost. However, the profit earned by the domestic industry is significantly lower than this assumed margin, underscoring the need to protect the domestic industry from unfair trade practices.
155. Govt of Turkey has claimed that inclusion of UAE in the scope of subject country in the disclosure Statement is without legal basis. It is clarified in this regard that the subject country is Iran. The Authority has considered the submission of the application that the goods originating in Iran is being transhipped by UAE. The Authority notes that amongst reliance has been placed on IHS Markit Report, Global Soda Ash Monthly Report from December, 2020 which shows that UAE actually does not have producers of soda ash. The report further states that imports that are actually entering via UAE are actually soda ash of Iranian origin. Authority also notes the email communication from IHS Markit personnel sent by one of the applicant companies, corroborating that UAE does not have producers and is merely routed Iranian products. It is seen that significant imports have been made through UAE when there is no manufacturing facility. None of the interested party have made opposing submission in this regard. The Authority has thus considered imports from UAE also while examining imports from Iran.
156. The domestic industry has reiterated its claim for inclusion of freight while determining injury margin, the Authority upholds its determination that it is the consistent practise of the Authority to compare landed value without freight with the NIP on an equivalent level of comparison while determining injury margin. The same methodology has been adopted in this case.
157. As regards the concern raised on consideration of change in WIP for Tata Chemicals is considered, it is noted that the information reported by the domestic producer for consideration of WIP has been considered for the purpose of determining NIP as per the consistent practise of the Authority. Further as regards the claim that the self-consumption of Soda Ash for captive consumption into dense soda ash should be deducted from the WIP figures, the Authority notes that such submission has been brought to the notice for the first time after issuance of disclosure. Thus, such claim could not be verified.

158. As regards the argument that captive consumption should be considered while determining NIP, the Authority notes that the NIP of individual applicant as well as weighted average NIP of the applicants as a whole has been computed as per the practise followed by the Authority consistently.
159. As regards the claim that the loss incurred by Tata Chemicals in producing clinker should be included while determining cost under Annexure III, the Authority notes that the cost claimed towards clinker and cement losses should not be included in the cost of production of the product under consideration, since the waste material/ scrap used in the production of NPUC, became raw material for the NPUC. Thus, any loss on this account is related to NPUC.

O. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

160. Based on the submissions made and information provided; and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

The scope of the product under consideration is “Soda Ash” originating in or exported from Russia, Iran, Turkey, and USA.

- i) The subject goods are classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act 1975, under the code 283620. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
- ii) The Authority has examined the submissions regarding exclusion request of natural soda ash, and adoption of a PCN methodology for dense and light soda ash. Accordingly, it has been concluded based on information on record and past determinations of this Authority, that the exclusion request and prescription of a PCN methodology is not warranted, in the present investigation.
- iii) The goods produced by the domestic industry are “like article” to the subject goods being imported from the subject countries in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules.
- iv) The application has been filed by Alkali Manufacturers Association of India. The participating producers in the present investigation are M/s DCW Ltd., M/s Nirma Ltd., M/s RSPL Ltd., M/s Tata Chemicals Ltd., and M/s GHCL Ltd.
- v) M/s Tata Chemicals Ltd. and M/s Nirma Ltd., each have a related exporter in USA. Accordingly, volume of exports therefrom during the POI were verified. In case of M/s Tata Chemicals Ltd. it was found that there were nil exports in the POI. In case of M/s Nirma Ltd., exports in the POI were made directly to end customer, moreover, this volume was minuscule in relation to the production and sales of M/s Nirma Ltd. as well as in relation the total imports into India. Thus, the producers are considered as eligible domestic producers in terms of Rule 2(b).
- vi) Based on information on record, the Authority has therefore, determined that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application met the criteria of standing as per Rule 5(3).
- vii) The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. Confidentiality claims of domestic industry were contested. However, upon consequent revision by domestic industry, the Authority is satisfied with its claims. Accordingly, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted.
- viii) Domestic industry had proposed a period of 6 months as POI in the present investigation and had submitted reasons for non-consideration of April- Sept 2023 as part of the POI as it did not reflect the injury being caused by dumped imports. The reasoning provided was found appropriate, however, POI of 9 months in the investigation has been considered appropriate, for a comprehensive analysis of dumping causing injury.
- ix) The margins of dumping determined for the cooperative producers/exporters, as well as those based on best facts available for the non-cooperative producers/exporters, are above the de-minimis level prescribed under the Rules.
- x) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.
- xi) The Authority has considered it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

- xii) Demand for the subject goods increased over the injury period.
- xiii) Subject imports increased by 86% in the POI compared to the base year and have doubled in the POI compared to the preceding year. Imports in relative terms have also increased significantly in the POI.
- xiv) Analysis of import price and prices of the domestic industry show that the price undercutting, is positive and significant.
- xv) While selling prices had earlier increased more than costs. However, during the POI, selling prices declined disproportionately compared to costs. Concurrently, domestic industry has therefore suffered significant price depression.
- xvi) The Authority has examined the performance of the domestic industry with respect to all economic parameters relevant for assessing material injury. The analysis indicates that while demand for soda ash in India has increased over the injury investigation period, the domestic industry has not been able to secure commensurate benefits. Instead, it has suffered a decline in market share, deterioration in profitability and ROI, build-up of inventories, and erosion of cash flows.
- xvii) Considering the non-injurious price determined by the Authority and landed price of imports, it is seen that the injury margin is significant.
- xviii) Non-attribution analysis shows that no other factor has caused injury to the domestic industry, and it has suffered material injury as a result of the dumped imports.
- xix) The Authority finds anti-dumping measures necessary to safeguard domestic industry, ensuring fair competition while balancing consumer and public interest. It is found that the impact of ADD would not be significant on the downstream industry and eventual end consumer.

161. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
162. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of final anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years, from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

SN (1)	Heading (2)	Description (3)	Country of Origin (4)	Country of Export (5)	Producer (6)	Amount (7)	Unit (8)	Currency (9)
1.	2836.20	Soda ash (Disodium Carbonate)	Turkey	Any Country including Turkey, USA, Russia and Iran	ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat Ve Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S. Kazan Soda Elektrik Uretim A.S.	69	MT	USD

2.	-do-	-do-	Turkey	Any Country including Turkey, USA, Russia and Iran	Turkey Sise ve Cam Fabrikalari Anonim Sirketi	17	MT	USD
3.	-do-	-do-	Turkey	Any Country including Turkey	Any Producer other than SN 1 & 2	113	MT	USD
4.	-do-	-do-	Any country other than Turkey, USA, Russia and Iran	Turkey	Any	113	MT	USD
5.	-do-	-do-	Russia	Any Country including Russia	Joint Stock Company Bashkir Soda Company Joint Stock Company Berezniki Soda Factory	40	MT	USD
6.	-do-	-do-	Russia	Any Country including Russia, USA, Turkey and Iran	Any Producer other than SN 5	89	MT	USD
7.	-do-	-do-	Any country other than Turkey, USA, Russia and Iran	Russia	Any	89	MT	USD
8.	-do-	-do-	USA	Any Country including USA	Sisecam Wyoming LLC	27	MT	USD
9.	-do-	-do-	USA	Any Country including Russia, USA, Turkey and Iran	Any Producer other than SN 8	79	MT	USD
10.	-do-	-do-	Any country other than Turkey, USA, Russia and Iran	USA	Any	79	MT	USD
11.	-do-	-do-	Iran	Any country including Iran	Any	88	MT	USD

12.	-do-	-do-	Any country other than Turkey, USA, Russia and Iran	Iran	Any	88	MT	USD
-----	------	------	---	------	-----	----	----	-----

Note: The customs authorities may, verify the origin of subject goods in case imports are reported as originating in UAE.

P. FURTHER PROCEDURE

163. An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority